ISSN-0971-8397

योजना

अगस्त 2015 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 10

समावेशी विकास व सामाजिक परिवर्तन

वित्तीय समावेशन और सामाजिक बदलाव
चरण सिंह
सी एल दाधीच
एस अनंत

डिजिटल क्रांति से बदलता सामाजिक परिवेश
आशीष खंडेलवाल

आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक वदलाव
एन आर भानुमूर्ति
वर्षा सिवराम

समावेशी विकास एजेंडा में एमएसएमई
पी एम मैथ्यू

स्किल इंडिया कार्यक्रम

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई 2015 को पहले विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का उद्घाटन किया। इस मिशन का लक्ष्य भारत में कौशल विकास के प्रयासों में गति लाना है। इसे परिणाम केंद्रित तरीके से संभव बनाया जा सकेगा जिसमें नियोक्ताओं की कुशल श्रम की मांग और टिकाऊ विकास के प्रति नागरिकों की आकांक्षाओं का भी ध्यान रखा जाएगा इस मिशन के उद्देश्य हैं:

➢ कौशल विकास के क्रियान्वयन के लिए एक सटीक रणनीति बनाना जिसमें जीवनभर सीखने के लायक माहौल बनाया जा सके। इसमें शामिल है- स्कूली पाठ्यक्रमों में कौशल को शामिल करना, अल्पकालीन और दीर्घकालीन कौशल प्रशिक्षण के लिए अवसर मुहैया करवाना और जरूरी रोजगार और करियर विस्तार का मौका दिलवाना ताकि प्रशिक्षु की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। ➢ परिणाम केंद्रित प्रशिक्षण की व्यवस्था करके नियोक्ता/उद्योग जगत की मांग और श्रमिक उत्पादकता को संयोजित करना जो प्रशिक्षुओं की आकांक्षा के अनुरूप हो और उसे टिकाऊ आजीविका के साधन मिल सकें। अलग-अलग क्षेत्र के कौशल को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना, संयोजित करना जो कि राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से हो और जिनकी गुणवत्ता का स्तर हो और जो सभी मंत्रालयों, राज्यों और निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए उपयुक्त हो। ➢ प्रमुख असंगठित क्षेत्र में कौशल विकास के लिए क्षमता निर्माण करना (जैसे कंस्ट्रक्शन क्षेत्र जहां कौशल विकास के कम अवसर हैं)। साथ ही इन क्षेत्र के कामगारों को फिर से कौशल का ज्ञान देना या ज्ञान का उन्नयन करना ताकि वे औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के लायक बन सकें। ➢ पर्याप्त, उच्च गुणवत्तायुक्त, दीर्घावधि वाला और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल मुहैया करवाना जो आखिरकार एक उच्च कौशल से परिपूर्ण श्रम-बल का निर्माण कर सके।

➢ कौशल विकास तंत्र में सुयोग्य शिक्षक और प्रशिक्षकों का एक बैंक बनाना और उसके लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना। ➢ मौजूदा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और औद्योगिक ढ़ांचे को कौशल विकास के काम में लाना ताकि क्षमता निर्माण किया जा सके। ➢ऐसी व्यवस्था हो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप श्रम बल सृजित कर हम अपने कुशल कामगारों को विदेश भेजने की व्यवस्था कर सकें। ➢एक साख स्थानांतरण तंत्र बनाया जाए जिसके द्वारा वोकेशनल प्रशिक्षण तंत्र और औपचारिक शिक्षण तंत्र के बीच कोई पुल बनाया जाए। ➢ सारे केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/राज्य/क्रियान्वयन एजेंसी के बीच तालमेल और संलयन को बढ़ावा देना। ➢ लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के दुर्बल और हाशिए के वर्ग के लोगों को कौशल विकास की गतिविधियों से जोड़ना। ➢ कौशल प्रशिक्षण पर समाजिक जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं में कौशल के प्रति आकांक्षा का भाव पैदा करना जो देश में मांग और पूर्ति के बीच एक पुल का काम करेगा। लेबर मार्केट इनफॉर्मेशन सिस्टम एक तरफ पूरे देश में कौशल विकास से संबंधित बातों के बारे में लोगों को जानकारी देगा, दूसरी तरफ वह मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रदर्शन पर भी नजर रखेगा जो कि हरेक राज्य में चलाया जा रहा है।

कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, 2015

प्रधानमंत्री ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, 2015 का भी औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इन नीति का दृष्टिपत्र इस प्रकार है: ''बड़े पैमाने पर और तीव्र गति से उच्च गुणवत्तापूर्ण परिस्थिति का निर्माण कर सशक्तीकरण को बढावा देना और उद्यमिता पर आधारित आविष्कार की संस्कृति को बढावा देना जिससे पूंजी और रोजगार का सृजन हो सके और जो देश के सभी नागरिकों के लिए एक टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित कर सके।'' मिशन ये है कि पूरे देश में कौशल की मांग पैदा की जा सके, जरूरी क्षमताओं के साथ कौशल का विकास हो या उसमें कुछ जोड़ा जा सके, क्षेत्र विशेष की मांग के साथ कुशल श्रम-बल की आपूर्ति को बहाल किया जा सके, राष्ट्रीय मानक के अनुरूप उसका आकलन हो और उसे सर्टिफिकेट दिया जाए और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाए जहां उत्पादक और नवाचारी उद्यमिता फल-फूल सके, टिक सके और विकसित हो सके जिससे कि एक और ज्यादा गतिशील उद्यमी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ सकें और ज्यादा औपचारिक रोजगार पैदा करने में सक्षम हो सकें।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को सुयोग्य बनाकर सशक्त करना ताकि वह अपनी समस्त क्षमताओं से अवगत हो सके, जीवन भर की अनुभव प्रक्रिया से सीख सके जहां पर उसकी क्षमताओं को मशीन, या प्रमाणन या साख निर्माण या स्थानांतरण के जरिए मान्यता दी जाएगी। जैसे-जैसे किसी व्यक्ति की तरक्की होती है, उसी हिसाब से किसी राष्ट्र या समाज का भी विकास होता है। इस उद्यमशील ढांचे का मूल उद्देश्य विकास के लिए जरूरी कारकों को संयोजित करना और मजबूत करना है जो उद्यमशीलता के लिए जरूरी हैं। इसमें शामिल हैं- ✓ उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना और उसे आकांक्षा से जोड़ना ✓ प्रचार के द्वारा उद्यमशीलता को एक संभव करियर अवसर के रूप में स्थापित करना ✓ मेंटरशिप और नेटवर्क के द्वारा संभावित उद्यमियों को बढ़ावा देना ✓ औपचारिक शिक्षण तंत्र में उद्यमशीलता की पढ़ाई को जोड़ना ✓ जनसंख्या पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर नवाचार और समाजित उद्यमिता को फलने-फूलने का अवसर प्रदान करना ✓ प्रवेश और बहिर्गमन की बाधाओं को दूर कर कारोबार करने की परिस्थितियों में आसाना लाना ✓ साख और बाजार संपर्क के द्वारा वित्त की व्यवस्था करना। ✓ महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना ✓ जनसंख्या में सामाजिक और भौगोलिक रूप से हाशिये पर रहे लोगों दलित, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यकों और विकलांगों के लिए उद्यमिता के आधार को विस्तृत करना और उसके लिए विशेष उपाय करना।

योजना

वर्ष : 59 • अंक 8 • अगस्त 2015 • श्रावण-भाद्रपद, शक संवत 1937 • कुल पृष्ठ : 64

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल
संपादक: ऋतेश पाठक
उपसंपादक: भुवनेश
संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971
ईमेल: yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट: www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
http://www.facebook.com/yojanahindi
संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी.के. मीणा
व्यापार व्यवस्थापक: पद्म सिंह
(प्रसार एवं विज्ञापन)
ईमेल: pdjucir@gmail.com
आवरण: जी. पी. धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:
व्यापार व्यवस्थापक
(प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53
भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है।

इस अंक में

- संपादकीय 7
- वित्तीय समावेशन और सामाजिक बदलाव
  चरण सिंह, सी एल दाधीच, एस अनंत 9
- भारत का समग्र विकास: अवधारणाएं और साक्ष्य
  श्रीपद मोतीराम 13
- डिजिटल क्रांति से बदलता सामाजिक परिवेश
  आशीष खंडेलवाल 17
- आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक विकास
  एन आर भानुमूर्ति, वर्षा सिवराम 21
- समावेशी विकास एजेंडा में एमएसएमई
  पी एम मैथ्यू 25
- समावेशी विकास से ही बनेगा समतामूलक समाज
  डिम्पल कुमारी 31
- समावेशी विकास में कृषि के मायने
  भुवन भास्कर 37
- विकास में सुदूर का समावेश
  ऋषभ कृष्ण सक्सेना 41
- भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राजनीतिक अर्थव्यवस्था
  सी.एस.सी. शेखर 46
- बेरोजगारी का समाधान: समावेशी विकास की पहचान
  कमलदेव सिंह 51
- वंचितों का विकास: नयी पहलें
  अनिल सौमित्र 55
- बीमा योजनाएं: सामाजिक सुरक्षा की ठोस पहल
  जितेंद्र सिंह 59
- क्या आप जानते हैं? 62

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष: 24367260, 5610)
हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष: 23890205)
701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष: 27570686)
8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030)
'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष: 24917673)
प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुअनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650)
ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383)
फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष: 25537244)
बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2683407)
हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष: 2225455)
अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669)
के. के. बी. रोड, नयी कॉलोनी, कमान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष: 2665090)

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

दरें: वार्षिक: ₹ 100 द्विवार्षिक: ₹ 180, त्रिवार्षिक: ₹ 250, विदेशों में वार्षिक दरें: पड़ोसी देश: ₹ 530, यूरोपीय एवं अन्य देश: ₹ 730

आपकी राय

मील का पत्थर- योग दिवस

मैं ने 'वैकल्पिक चिकित्सा' पर केंद्रित जून 2015 का अंक पढ़ा। अंक के सभी लेखों से ज्ञानोपयोगी, सारगर्भित, स्वास्थ्यवर्धक जानकारी मिली। संपादकीय हमेशा की तरह जानकारी से परिपूर्ण रहा। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द 'युज' से हुई हैं, जिसका अर्थ 'सम्मिलित करना' होता है। अर्थात योग शरीर की समस्त आंतरिक चेतनाओं को जोड़ने का कार्य करती हैं। शास्त्रों के अनुसार, योग का नियमित अभ्यास व्यक्तिगत और सार्वभौमिक चेतना के बीच एकात्म स्थापित करने के मार्ग पर ले जाता है, जो मन और शरीर, मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्ण तारतम्य का संकेत देता है।

योग विभिन्न प्रकार के रोगों के साथ-साथ मानसिक अशांति को समाप्त करने में महाऔषधि के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी योग की महत्ता को स्वीकार करते हुए प्रत्येक वर्ष 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाने का निर्णय लिया है, जो योग के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

अमित कुमार गुप्ता
रामपुर नौसहन, हाजीपुर, वैशाली, बिहार

वैकल्पिक चिकित्सा पर शानदार प्रस्तुति

मैं राजकीय चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून में चीफ फार्मेसिस्ट के पद पर कार्यरत हूं। गत 37 वर्षों से मैं इस पेशे में हूं। मैंने अपने अनुभव से यह जाना है कि गंभीर बीमारियों, इमरजेंसी, एक्सीडेंटल, में एलौपैथी (सिस्टम) ही सहारा होता है लेकिन लोगों को अन्य जीर्ण रोगों (Chronic) के लिए जैसे कि उच्च रक्तचाप, डायबिटिज, दमा, त्वचा रोग, मूत्र रोग और यहां तक कि कैंसर आदि भयंकर रोगों के लिए भी अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां अपनानी चाहिए। जिनमें आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपेथी आदि प्रमुख हैं। मानसिक रोगों के लिए योगासन, ध्यान (विपश्यना) बहुत उपयोगी व जीवनदायी साबित होती है। अवसाद की पहली स्टेज तक। बाद की स्टेज में तो ध्यान हो ही नहीं सकता।

'योजना' का जून 2015 का "*वैकल्पिक चिकित्सा संपूर्ण स्वास्थ्य का प्राकृतिक मार्ग*" इस जानकारी पूर्ण अंक के लिए पत्रिका के संपूर्ण संपादकीय परिवार को हार्दिक आभार। आशा है आगे भी 'योजना' में कुछ आम जन उपयोगी अंक प्रकाशित किए जाते रहेंगे, ताकि न केवल शोध एवं प्रतियोगी युवा बल्कि आम जनों को भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। मेरी शुभकामनाएं। सादर।

शशिभूषण बडोनी
देहरादून (उत्तराखंड)

विनोबा के बहाने

यो जना हिंदी मासिक मई-2015 के अंक का अध्ययन किया। जोकि पर्यटन पर केंद्रित है। 'नज़रिया यात्राएं जिन्होंने भारत को बदला।' संजय श्रीवास्तव जी का लेख हमें ज्ञानवर्धक लगा। आखिर क्यों नहीं लगता जब गांधीजी विनोबा जी की यात्राओं का सवाल था।

गांधीजी की मृत्यु के बाद ही सेवाग्राम ने सर्वोदय कार्यकर्ताओं व विचारकों का एक सम्मेलन किया जिसमें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। उस अधिवेशन में सर्व सेवा संघ की स्थापना के साथ यह विचार भी सामने रखा गया कि सर्वोदय विचार को सारे देश में फैलाने के लिए उपयुक्त पत्र-पत्रिकाओं और साहित्य की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। इस लिहाज से 'योजना' में विनोबा जी का जिक्र सुखद लगा।

खुशाल सिंह कोली
फतेहपुर सीकरी, आगरा, उ.प्र.-283110

श्रम-कल्याण पर जोर

मैं ने योजना का जून 2015 का अंक पढ़ा। श्री दीपक राजदान द्वारा लिखित लेख श्रम सुधार-कारोबार से उत्साह में, श्रम-कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। यह सत्य है कि वर्तमान में श्रमिक वर्ग बेहद गरीबी में अपना गुजर-बसर कर रहा है तथा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति और भी दयनीय है।

वर्तमान सरकार ने इस दिशा में श्रमिकों की स्थिति हेतु श्रम सुविधा पोर्टल, नेशनल करियर सर्विस, राष्ट्रीय पेंशन योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आरंभ करने के साथ-साथ, मौजूदा श्रम कानूनों में

जो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, वो निश्चित रूप से उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारेगी एवं श्रमिक तथा नियोक्ता के बीच एक साझेदारीपूर्ण संबंध बनाने में भी सहायता मिलेगी।

नियोक्ताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि श्रमिकों का योगदान हमारे अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अत: यह उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में सरकार तथा नियोक्ता दोनों ही ''श्रमेव जयते'' के मार्ग को सुनिश्चित करेंगे और श्रमिक वर्ग देश की प्रगति में अपनी भागीदारी की अहमियत को समझ पाएंगे तभी वास्तव में ''श्रमेव जयते'' की पहल सार्थक हो पाएगी।

तापसी मुखर्जी
जमाल रोड, पटना

हमारी संस्कृति, हमारा योग

पत्रिका का जून 2015 अंक में प्रकाशित आलेख 'योग: स्वास्थ्य व आरोग्य का सही मार्ग' ज्ञानवर्धक लगा। आज विश्व में योग का खुलकर विश्लेषण किया जा रहा है। मन-मस्तिष्क को स्वस्थ्य रखने के लिए योग अनिवार्य है। अंग्रेजी दवा दुष्प्रभाव भी डालती है। नकली दवा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बदलती परिस्थिति में मन-मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ्य रखने के लिए योग बहुत ही लाभकारी विद्या है। इसे अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी मान्यता दे चुका है। इस परिस्थिति में युवा वर्ग ''योग'' विद्या को करियर के रूप में ले सकता है।

अशोक कुमार ठाकुर
मालीटोल, अदलपुर, दरभंगा (बिहार)

पहली बार भारत में

मैं इस पत्रिका का कई वर्षों से नियमित पाठक रहा हूं। यह पत्रिका प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत अनिवार्य है। जून, 2015 के कवर पृष्ठ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि इस कवर पृष्ठ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जगह दी गई। योग दिवस 21 जून को मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मंजूर कर लिया गया और 177 देशों का समर्थन मिला, यह काबिलेतारीफ है। संपादकीय में संपादक जी के द्वारा ''संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर'' के माध्यम से देशवासियों को जगाने का कार्य किया गया है, वह गागर में सागर का कार्य है। मैं उन्हें इस कार्य के लिए साधुवाद देना चाहता हूं और इसी प्रकार से हम सभी पाठक एवं देशवासियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जगाते रहें।

सुजीत कुमार
''शांति निकेतन'' आर.एम.एस. कॉलोनी, उर्दू बाज़ार, भागलपुर (बिहार)

अशुद्धता से शुद्धता की ओर

मैं ने जून माह की '*योजना*' पत्रिका पढ़ी। इस अंक में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के बारे में काफी अच्छी जानकारियां दी गईं थीं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास अपने लिए समय ही नहीं बचता। चिंता, थकान, काम की अधिकता के चलते तरह-तरह की बीमारियां शरीर में लग रही हैं जिनके चलते इंसान शीघ्र ठीक होने के लिए अंग्रेजी दवाओं का सेवन करता है जोकि जल्दी ठीक तो कर देती हैं परंतु अपना गलत प्रभाव भी शरीर पर दिखाती है। अगर इंसान आयुर्वेद या होम्योपैथी इलाज कराए तो शरीर पर उसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर सुबह जल्दी उठकर थोड़ा-सा योगा किया जाए, तो शरीर में कई प्रकार की बीमारियां दूर रहेंगी लेकिन किसी भी इंसान के पास समय मानो है ही नहीं। सुबह-से शाम तक भागम-भाग में ही लगा रहता है। योग कहां से करेगा? केवल विश्व योग दिवस पर ही योगा करने से कुछ नहीं होगा। योग को नियमित रूप से अपनाना होगा। आयुर्वेद को अपनाना होगा। सरकार की पहल से सरकारी अस्पतालों में आयुष विभाग द्वारा अलग से यूनिट बना दी गई है, ताकि जनता को आयुर्वेद, यूनानी, होमियोपैथी द्वारा इलाज की सहुलियत मिल सके। विभाग बनने से कई बीएएमएस डॉक्टरों को भी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सरकार को चाहिए कि वो पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में जहां बड़े एम.बी.बी.एस. डॉक्टर जाने से कतरा रहे हैं, उन सभी दुर्गम स्थानों पर बीएएमएस डॉक्टरों की तैनाती करे, ताकि पहाड़ों की स्वास्थ्य सुविधा में सुधार हो सके। साथ ही पहाड़ की जनता को भी आयुष विभाग की सेवाओं का फायदा मिल सके।

महेन्द्र प्रताप सिंह
मेहरागांव, अल्मोड़ा (उत्तराखंड)

हमारा आने वाला कल

योजना का जून 2015 अंक पढ़ा। अंक के समस्त लेखों से ज्ञान में वृद्धि हुई। मैं योजना पत्रिका का अध्ययन विगत एक वर्ष से कर रही हूं। प्रकाशन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित यह पत्रिका विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन करती है। राज के. मनचंदा और हरलीन कौर द्वारा होमियोपैथी एक सस्ती, सरल चिकित्सा पद्धति है, जो एक व्यक्ति का उपचार सहज, प्राकृतिक और स्थाई रूप से करती है।

नियमित स्तंभ 'क्या आप जानते हैं' से 'राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूची' और 1 जनवरी, 2015 को प्रारंभ हुई 'पहल योजना' के संदर्भ में बेहतर जानकारी मिली। जुलाई का नया अंक उपलब्ध कराने के लिए योजना की पूरी टीम को धन्यवाद।

नेहा कुमारी
हाजीपुर, वैशाली, बिहार

आदि से अंत तक

पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजपथ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में किए गए सामूहिक योग कार्यक्रम में नया कीर्तिमान रच दिया है। एक साथ 38 हजार लोगों के योग करने का यह रिकॉर्ड अपने आप में अनूठा है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक लगभग 38 हजार सरकारी कर्मचारी, छात्र एवं नागरिकों ने योग के इस महा कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

हालांकि पश्चिमी जगत योग को मुख्यत: शारीरिक व्यायाम मानता है पर भारतीय इसे आसन एवं संस्कृत श्लोक के कारण ज्यादा उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि इनके वैचारिक या धार्मिक मायने हैं।

यह औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा छोड़े गए पश्चिमी जीवन-शैली के अवशेष को दूर करने का समय है। इस योग को लेकर जो झुकाव पैदा हुआ है, वह कई मायनों में हिंदू राष्ट्रवादी विचार के साथ शामिल है। योग के व्यापक अभ्यास से हिंसक अपराधों की दर में कमी आएगी। जब लोग कुछ सकारात्मक करेंगे तो बुरे विचार उनके मन से निकल जाएंगे। लोग इससे ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ और कम भ्रष्ट होंगे। नौकरशाही के कामकाज भी में निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा।

राजेन्द्र कुमार
कप्तानगंज, कुशीनगर (यू.पी.)

दृष्टि The Vision

IAS- 2014 में हिन्दी माध्यम में सर्वोच्च स्थान पर चयनित!

Most trusted & renowned institute among IAS aspirants

निशांत जैन
Rank-13

आई.ए.एस., पी.सी.एस. तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित पत्रिका

दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स टुडे

वर्ष 1 | अंक 2 | अगस्त 2015

पूजा अग्निहोत्री
टॉपर से बातचीत

महत्वपूर्ण लेख
- योग पर तकरारः समस्या कहाँ है?
- न्यौंकार में सैनिक कार्रवाई के निहितार्थ?
- संकट में क्या करे ग्रीस?
- रोहिंग्या समस्या के विविध पहलू
- ई-बुक्सः किताब व तकनीक की जुगलबंदी

प्रिलिम्स विशेषांक
- रणनीतिक आलेखः बचे हुए 40 दिनः कैसे तोड़ें प्रिलिम्स का चक्रव्यूह?
- पर्यावरण-पारिस्थितिकी पर अचूक सामग्री (भाग-1)
- कला-संस्कृति पर विशेष सामग्री (भाग-2)
- जी.एस. प्रेक्टिस पेपर

निबंध व इंटरव्यू
- शैतान, जो हमारे भीतर रहता है...
- भारतीय संस्कृति
- मॉक इंटरव्यू और मूल्यांकन

एथिक्स और वाद-विवाद
- महात्मा बुद्ध से क्या सीखें, क्या नहीं?
- धर्म और नैतिकता : सहयोगी या विरोधी?
- समलैंगिकता : उचित या अनुचित?

₹ 100

तथा और भी बहुत कुछ...

Not feeling confident in Current Affairs for UPSC??
Remove information overloading, Read genuine content in Drishti's "Current Affairs Today".
Monthly Magazine
Book your copy at the nearest book shop
For distribution/business enquiries- 8130392355
For preview & subscription visit: drishtiias.com

सिविल सेवा परीक्षा में अपनी सफलता के लिए मैं डॉ॰ विकास दिव्यकीर्ति के प्रति विशेष तौर पर आभारी हूँ। परीक्षा के तीनों चरणों; प्रारम्भिक, मुख्य और साक्षात्कार में दिव्यकीर्ति सर और 'दृष्टि The Vision' ने मेरा बहुत सहयोग किया। विकास सर केवल मेरे शिक्षक ही नहीं, अग्रज और मार्गदर्शक की भूमिका में भी रहे हैं। उनकी संतुलित एप्रोच और सहज शैली परीक्षार्थियों के लिए वरदान ही है। सामान्य अध्ययन, निबन्ध, साक्षात्कार और हिन्दी साहित्य के लिए दृष्टि संस्थान और विकास सर के मार्गदर्शन का कोई सानी नहीं है। कंटेंट और एप्रोच में निरन्तर विकास और इनोवेशन दृष्टि की खासियत है। मैंने किसी अन्य संस्थान से कक्षा नहीं की है।
धन्यवाद विकास सर, शिवेश जी और दृष्टि!

निशान्त जैन
04-07-15

सामान्य अध्ययन
बैच प्रारंभः सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में

इतिहास
द्वारा
अखिल मूर्ति

भूगोल
द्वारा
कुमार गौरव

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9 Ph.: 011-47532596, (+91)8130392354,56,57,58,59
E-mail:info@drishtiias.com, drishtiacademy@gmail.com * Website: www.drishtiias.com

YH-106/2015

संपादकीय

समावेशी विकास की ओर बढ़ते कदम

पिछले साढ़े छह दशकों में भारत ने उल्लेखनीय रूप से विकास किया है और इस दरम्यान वो अविकसित राष्ट्रों की श्रेणी से निकल कर दुनिया की विशालतम अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गया है। पिछली तिमाही में दुनिया की अर्थव्यवस्था में आए उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत अपनी विकास दर को बरकरार रखने में कामयाब रहा है और उसने इस अवधि में 7.5 फीसदी का विकास दर हासिल की है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत, दुनिया की तीव्रतम विकास दर वाली अर्थव्यवस्था होगा। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2015-16 में 7.5 फीसदी की दर से विकास करेगा जो सन् 2016-17 में 7.9 फीसदी और फिर सन् 2017-18 में 8 फीसदी तक पहुंच जाएगी। आर्थिक सूचकांक पिछले एक साल में विकास के आंकड़ों में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाते हैं।

बजट सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 'निर्धनतम लोगों को लाभ पहुंचाने वाले समावेशी विकास' को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताया। यह बात उस अनुभव से निकली है कि भारत में विकास की प्रवृत्ति और उसकी रफ्तार में कुछ फर्क है। विविध क्षेत्रों में देश के विकास का फायदा समाज के सभी तबकों तक नहीं पहुंच पाया है और वंचितों व गरीबों के जीवन में सर्वांगीण योगदान नहीं दे पाया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के मानव विकास सूचकांक में भारत का 135वें पायदान पर रहना इस बात की तस्दीक करता है। भारत में आर्थिक विकास और उसके फायदों को ज्यादा से ज्यादा समावेशी बनाने की आवश्यकता हमेशा से महसूस की जाती रही है। समावेशी विकास की अवधारणा पहले-पहल ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में प्रस्तुत की गई थी जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने और अवसर की समानता लाने की बात कही गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में इस पर और भी जोर दिया गया जिसमें गरीबी को कम करने, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में सुधार और आजीविका के अवसर प्रदान करने जैसी बातों पर खास जोर दिया गया।

समावेशी विकास का मतलब वैसा विकास है जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हों और जो गरीबी को कम करने में मदद करे। इसमें अवसर की समानता प्रदान करना और शिक्षा व कौशल विकास के द्वारा लोगों को सशक्त करना शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई सारी योजनाओं की शुरूआत की है जो समाज के हाशिए के लोगों को मुख्यधारा में लाने में मदद करेगी और उन तक तीव्र आर्थिक विकास का फायदा पहुंचाएगी। ऐसी ही योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसने अपनी शुरूआत के महज दस महीनों में लाजवाब नतीजे हासिल किए हैं और 98 फीसदी घरों तक हमारी बैंकिंग प्रणाली की पहुंच हो गई है। (उन घरों के लोगों के बैंक का खाता खुल गया है)। इसी तरह मुद्रा बैंक, सेतु (स्वरोजगार के लिए प्रतिभा उपयोग) और स्किल इंडिया मिशन सरकार के कुछ ऐसे ही मजबूत कदम हैं जो देश में कुशल श्रम और आजीविका के अवसर मुहैया कराएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को टिकाऊ (जीवन) सुरक्षा-तंत्र मुहैया कराएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया है और गांवों से हो रहे पलायन को रोकने में एक निश्चित भूमिका अदा की है। दूसरी तरफ किसान कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कृषक समुदाय को बड़े पैमाने पर मदद करेगी, जो देश की सामाजिक-आर्थिक खुशहाली का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

हालांकि 1.2 अरब जनसंख्या वाले देश में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि विकास के फायदों को समाज के सभी वर्गों और सभी हिस्सों तक कैसे पहुंचाया जाए और यहीं पर तकनीक के उपयुक्त इस्तेमाल की भूमिका सामने आती है। इस महीने शुरू किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इसी चुनौती का सामना करने के लिए शुरू किया गया है ताकि तकनीक के प्रभावी और सक्षम इस्तेमाल से प्रशासन और सेवाओं को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। इस मिशन का उद्देश्य, तकनीक के इस्तेमाल से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव लाकर आमलोगों के जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना है। भारतीय अर्थव्यवस्था समावेशी विकास के एक विराट ध्येय के साथ आगे बढ़ रही है और यह अपने नागरिकों के बीच अवसर और हैसियत की समानता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ❑

IAS
GS World
GSI
PCS
A Team of Experienced & Committed Experts...
Ashok Singh
Manikant Singh
Prof. Pushpesh Pant
Prof. Majid Hussain
R. Kumar
Abhay Kumar
Deepak Kumar
Rajesh Mishra
V. K. Trivedi
Pankaj Mishra
Subodh Mishra
Niraj Singh
Managing Director
Divyasen Singh
Co-ordinator
Target IAS 2016
Allahabad Centre
हिन्दी माध्यम
GS Foundation 7 Aug. 5 PM
Exclusive Eng. Medium
GS Foundation 20 Aug., 8 AM
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
PH. 0532-2266079, 8726027579
Delhi Centre
हिन्दी माध्यम
GS Foundation 18 Aug., 8 AM
Exclusive Eng. Medium
GS Foundation 15 Aug., 6.15 PM
705, 2nd Floor, Main Road,
Mukherjee Nagar, Delhi - 9
PH. 011-27658013, 7042772062/63
Lucknow Centre
हिन्दी माध्यम
GS Foundation 20 August 8 AM & 5 PM
Exclusive Eng. Medium
GS Foundation 20 August 8 AM & 5 PM
A-7, Sector-J, Near Puraniya
Chauraha, Aliganj, Lucknow
PH. 0522-4003197, 8756450894
YH-111/2015

वित्तीय समावेशन और सामाजिक बदलाव

चरण सिंह
सी एल दाधीच
एस अनंत

सरकार के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आजादी के समय से ही वित्तीय समावेशन के दायरे को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। हाल के महीनों में भारत सरकार ने उस वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों का मूल्यांकन किया। सीमित दायरे में बैंक खाता खोलना एक सफल कदम सिद्ध हुआ है। भारत जैसे देश जिसकी अधिसंख्यक आबादी निरक्षर है, वहां उन्नत प्रौद्योगिकी और मोबाइल फोन का प्रसार इस दिशा में आशा की किरण प्रदान करता है। बैंकिंग में विस्तार का पूर्ण लाभ, यद्यपि जो मोटे तौर पर निर्धारित नहीं है, यह है कि इसने विभिन्न सेवाओं की लागत कम कर दी है

वित्तीय समावेशन का प्रमुख उद्देश्य देशभर में समाज के असुरक्षित और कमजोर वर्ग को निवेश के अवसर और आर्थिक वृद्धि का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आसान शर्तों पर धन मुहैया कराना है। वित्तीय समावेशन के जरिए पूरे देश में समान रूप से विकसित और बेहतर सामाजिक विकास संभव होता है। इसका लक्ष्य जमा और भुगतान खाता, साख बीमा (क्रेडिट इंश्योरेंस) और पेंशन जैसे व्यापक वित्तीय सेवाओं को वृहत् स्तर पर सुलभ करना है। इतना ही नहीं वित्तीय समावेशन में व्यापार के लिए अवसर, शिक्षा, सेवानिवृत्ति के लिए बचत और आपात ऋण सहित जोखिमों के लिए बीमा आदि भी शामिल होते हैं। अत: वित्तीय समावेशन का मुख्य लक्ष्य किसी देश के अधिक से अधिक नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर और आय का उचित प्रबंध होना चाहिए।

औपचारिक वित्तीय क्षेत्र जिसका वित्तीय समावेशन एक हिस्सा भर है, तक पहुंच बनाने के लिए किया जाने वाला प्रयास एक सतत प्रक्रिया है। सरकार के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आजादी के समय से ही वित्तीय समावेशन के दायरे को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। प्रारंभ में उठाए गए कदम वांछित परिणाम देने में नाकाम साबित हो रहे थे। हालांकि, हाल के महीनों में भारत सरकार ने उस वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों का मूल्यांकन किया। सीमित दायरे में बैंक खाता खोलना एक सफल कदम सिद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) फलदायी रहा और लगभग 98 प्रतिशत भारतीय परिवारों के पास आज बैंक खाता है। विभिन्न प्रकार के प्रभावों के बावजूद समग्र रूप से ये कार्यक्रम भारत में बदलाव ला रहे हैं और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र को बदल रहे हैं।

वित्तीय समावेशन का अतीत

नीति-निर्माता अनौपचारिक क्षेत्र के दखल को कम करने के लिए पराधीन भारत के समय से ही जूझ रहे हैं। (निकोल्सन रिपोर्ट 1985)। साहूकारों को प्रभुत्व के स्थान पर 'भूमि बैंक' की स्थापना की आवश्यकता को उजागर करने वाले कुछ कदमों में से एक था। परिणामस्वरूप अन्य चीजों के साथ ही सहकारी साख समितियों को एक कानूनी आधार उपलब्ध कराने के लिए सहकारी साख समितियां अधिनियम, 1904 पारित किया गया। वित्तीय पहुंच बढ़ाने की संकल्पना को महत्व आजादी के बाद के वर्षों में और अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण, 1951-1954 के तुरंत बाद मिला। इस सर्वेक्षण में कहा गया था कि 1950-51 में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को कुल आमदनी का केवल 0.9 प्रतिशत ही मुहैया कराया गया जबकि कृषि के लिए ऋण देने वाले साहूकारों ने 24.9 प्रतिशत उपलब्ध कराया वहीं व्यवसायिक साहूकारों ने कुल आमदनी का 44.8 प्रतिशत मुहैया कराया

चरण सिंह आईआईएम बेंगलोर में अर्थशास्त्र के आरबीआई चेयर प्रोफेसर तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में बैंकिंग शोध के पूर्व निदेशक हैं। ईमेल: charansingh@iimb.ernet.in, charansingh60@gmail.com, **सी एल दाधीच** इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के मानद सचिव हैं। वह आरबीआई में ग्रामीण अर्थशास्त्र के निदेशक तथा पुणे स्थित कृषि बैंकिंग महाविद्यालय में अध्यापक रह चुके हैं। ईमेल: cldadhich@hotmail.com, **एस अनंत** आईडीआरबीटी में एसोसिएट प्रोफेसर (एडजंक्ट फैकल्टी) और स्वतंत्र शोधार्थी हैं। ईमेल: sananth99@gmail.com

(आरबीआई 2008, 2011)। वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के तहत 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद 1969 और 1980 में और अधिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना और कृषि सहित कुछ निश्चित क्षेत्रों में धन के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों को प्रमुखता के आधार पर ऋण देने की शुरुआत, औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक पहुंच को सुधारने की दिशा में कुछ अन्य कदम हैं। आरबीआई ने 2005 में वित्तीय सेवाओं के पूर्ण ताने-बाने के लिए प्रावधानों सहित कई कदम उठाने की घोषणा की।

शुरुआत में बैंकों को नो-फ्रील खाते (अगस्त 2012 में इसे आधारभूत बचत बैंक जमा खाता नाम दिया गया और इसे अब जन धन खाता के नाम से जाना जाता है) खोलने की सलाह दी गई। वित्तीय समावेशन को और अधिक प्रोत्साहन रंगराजन समिति (भारत सरकार, 2008) की सिफारिशों से मिला। इस रिपोर्ट में गरीबों को जमा, साख, व्यष्टि बीमा (माइक्रो इंश्योरेंस) और धन की सुरक्षित वापसी आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक के विस्तार पर बल दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप पायलट परियोजना के तौर पर बैंकों को कम से कम किसी एक जिले की पहचान करने का सुझाव दिया गया जहां 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। बैंकों को (क) सुदूर गांवों में लोगों के घर तक कम से कम खर्च पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए आईसीटी पर आधारित बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट मॉडल (बीसी मॉडल), (ख) 2010 में शुरुआत कर बोर्ड ने तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) को मंजूरी प्रदान की, (ग) 2012 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले, 2013 तक 1000 से 2000 के बीच जनसंख्या वाले सभी गांवों तक पहुंचने के लिए रोडमैप तैयार करने, (घ) कम से कम चार बैंकिंग उत्पादों की उपलब्धता और (ड.) बैंकिंग रहित ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 25 प्रतिशत नई शाखाओं को खोलने का लक्ष्य इस योजना में शामिल किए गए थे।

किसान/सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना इस दिशा में अन्य महत्वपूर्ण कदम है। हाल की पहल के रूप में लघु इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) बैंक छोटे उद्यमी जिनकी वित्तीय आवश्यकता 10 लाख से नीचे है, को ऋण उपलब्ध करने पर केंद्रित है। 20,000 करोड़ रुपये की राशि के साथ स्थापित और 3,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी राशि के साथ, यह भारत में लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों को वित्त और सहायता प्रदान करेगा। हालांकि, विविध प्रयासों के बावजूद, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के लिए औपचारिक स्रोतों के विस्तार की गति धीमी रही है।

अखिल भारतीय कर्ज एवं निवेश सर्वेक्षण (एआईडीआईएस 2013) दर्शाता है कि संस्थानिक एजेंसियों द्वारा 17.2 प्रतिशत परिवारों को कर्ज दिया गया जबकि गैर-संस्थानिक एजेंसियों द्वारा कर्ज मुहैया कराने की दर 19.0 प्रतिशत रही। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्ज मुहैया कराने वाले स्रोत के तौर पर प्रभावी साहूकारों के प्रभुत्व को समाप्त करने में ग्रामीण क्षेत्रों में, औपचारिक क्षेत्र का विस्तार और इसके लिए चलाए जाने वाले अन्य विविध कार्यक्रम असफल रहे। अनंत और ओंकू ने 2013 में गरीबों के बीच औपचारिक बैंकिंग सेवाओं के विस्तार में रोड़ा अटकाने वाले कई कारण गिनाए थे। 2015 में सिंह और नाइक ने 2014 के प्रारंभ में हुए एक सर्वेक्षण के परिणामों का जिक्र करते हुए वित्तीय समावेशन मॉडल के मांग और आपूर्ति पक्ष पर पड़ने वाले जोर का विश्लेषण किया था।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना और कृषि सहित कुछ निश्चित क्षेत्रों में धन के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों को प्रमुखता के आधार पर ऋण देने की शुरुआत, औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक पहुंच को सुधारने की दिशा में कुछ अन्य कदम हैं।

इस संदर्भ में, पीएमजेडीवाई पूर्व में की गई पहलों से अलग है, तो न केवल इसलिए कि यह मिशन के तौर पर समावेशन की प्रक्रिया को लागू करने की बात करता है बल्कि यह रुपे डेबिट कार्ड और लघु बीमा प्रदान करता है तथा यह गांवों को बैंक से जोड़ने के स्थान पर परिवारों को जोड़ने की बात पर बल देता है। पीएमजेडीवाई शुरू किए जाने के समय 26 जनवरी, 2015 तक 7.5 करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसमें अप्रत्याशित सफलता हासिल हुई। (तालिका 1)

वित्तीय समावेशन: सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

समावेशन के लिए जोर के निहितार्थ केवल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने से कहीं आगे है। पिछले दो दशकों से, यह स्पष्ट हो चुका है कि आर्थिक विकास के लिए वृहत् बैंकिंग क्षेत्र के निर्माण और प्रसार की आवश्यकता होती है। अतीत पर ध्यान दें तो, हमेशा से ही आर्थिक बदलाव, सामाजिक बदलाव के वाहक बने हैं। ग्रामीण भारत में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव आ रहा है, मसलन कृषि का द्रुत गति से यांत्रिकीकरण, परिवहन व्यवस्था में सुधार, संचार एवं अन्य प्रौद्योगिकीय बदलाव आदि। सामाजिक आर्थिक बदलाव बैंकिंग लेन-देन में तेजी से हो रहे वृद्धि में दिखाई पड़ता है। (तालिका 2)

जन धन का प्रभावशाली सामाजिक प्रभाव इसकी तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना) के साथ एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा का जाल खड़ा करने की क्षमता है। लगभग 10.4 करोड़ लोग इन तीन योजनाओं के तहत शामिल किए जा चुके हैं (भारत सरकार,

तालिका 1: प्रधानमंत्री जन धन योजना (संख्या करोड़ में)

क्रम सं.	बैंक	खोले गए खाते			रुपे डेबिट कार्ड	खाते में जमा राशि	शून्य जमा खाता*
		ग्रामीण	शहरी	कुल			
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	6.9	5.8	12.7	11.9	14,357.5	52.3
2.	निजी बैंक	2.5	0.4	2.9	2.1	3258.5	52.1
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.4	0.3	0.7	0.6	1068.6	49.3
	कुल	9.08	6.5	16.3	14.5	18,684,6	52.2

** प्रतिशत में*

स्रोत: भारत सरकार (2015)

तालिका 2: वित्तीय समावेशन प्रगति: बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

मद	2010	2011	2012	2013	2015
गांवों में बैंकिंग स्रोत					
क) शाखा	33,378	34,811	37,471	40,837	46,126
ख) शाखा विहीन मोड	34,316	81,397	144,282	227,617	337,678
ग) कुल	**67,694**	**116,208**	**101,753**	**268,454**	**383,804**
बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट वाले शहरी क्षेत्र	447	3,771	5,891	27,143	60,730
आधारभूत बचत बैंक जमा खाता शाखा					
क) संख्या 10 लाख में	60.19	73.13	81.20	100.80	126.00
ख) राशि 10 लाख में	44.33	57.89	109.87	164.69	273.30
आधारभूत बचत बैंक जमा खाता (बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट)					
क) संख्या 10 लाख में	13.27	31.63	57.30	81.27	116.90
ख) राशि 10 लाख में	10.69	18.23	10.54	18.22	36.00
बीएसबीडीए के खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा मौजूद है					
क) संख्या 10 लाख में	0.18	0.61	2.71	3.92	5.90
ख) राशि 10 लाख में	0.10	0.26	1.08	1.55	16.00
केसीसी					
क) संख्या 10 लाख में	21.31	27.11	30.24	33.79	39.90
ख) राशि 10 लाख में	1240.10	1600.05	2068.39	2623.00	3684.50
जीसीसी					
क) संख्या 10 लाख में	1.40	1.70	2.11	3.60	7.40
ख) राशि 10 लाख में	35.10	35.07	41.84	76.30	1096.90

स्रोत: *भारत सरकार (2014सी), आरबीआई (2013, 2014, 2015)*

2015बी)। पीएमजेडीवाई खाता को केंद्र बिंदु मानकर ये योजनाएं नागरिकों को लाभ पहुंचाने के तरीके को बदलाव में सहायक होंगी, साथ ही इसके जरिए गरीबों और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का जाल खड़ा किया जा सकेगा।

विशेषकर 2010 के बाद से वित्तीय समावेशन की अग्रिम पंक्ति में प्रौद्योगिकी रहा है। प्रौद्योगिकीय विकास और प्रौद्योगिकी की लागत में लगातार हो रही कमी, पीएमजेडीवाई के लिए बहुत आशाएं प्रदान करती हैं। जन धन, आधार और मोबाईल (जेएएम) क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के उपयोग में प्रस्तावित छूट संयुक्त रूप से हमारे अर्थव्यवस्था और समाज में आदर्श बदलाव के लिए अपूर्व स्थिति प्रदान करते हैं। सरकारी सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में निवेश के साथ बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार व आधार संख्या में हो रही बढ़ोतरी मिलकर नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। इस अबूझ अवसर का उपयोग एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए किया जा रहा है जिसके माध्यम से डिजिटल ईकोसिस्टम का सपना साकार हो सके। क्षेत्रीय अध्ययन से प्राप्त अब तक के साक्ष्य दर्शाते हैं कि यह मानने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जन धन खातों का प्रसार होगा। तथ्य यह है कि ज्यादातर परिवार 25 किलोमीटर के दायरे में अपना धन खर्च करते हैं। भारत का आर्थिक-भूगोल यह है कि गांवों की बड़ी संख्या शहरों से 5 से 25 किलोमीटर के दायरे में बसे हुए हैं।

जन धन खातों की उपलब्धता एक ऐसा जनसमूह तैयार करने के अवसर को आधार प्रदान करती है जिसमें लोग छोटे व्यापारों से जुड़ने के लिए आगे आ सकें। कुछ छोटे व्यापारियों के पास पहले से औपचारिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। आधार समर्थित माइक्रो एटीएम (बीसी आउटलेट) रुपे कार्ड के उपयोग का मौका देता है, जिसमें खरीद के भुगतान लिए नकद के स्थान पर बायोमैट्रिक का उपयोग किया जाता है। हालांकि, इसके लिए कुछ निश्चित पूर्व शर्तें होती हैं, जिन्हें पूरा करना होता है। महत्वपूर्ण यह है कि बैंक वह प्रारूप तैयार करे जिसके तहत अल्पतम समय में पैसे भेजने में कोई कठिनाई न हो। यदि प्रत्येक रुपे कार्ड में अंतर्निहित तुरंत भुगतान सेवा (इमीडिएट पेमेंट सर्विस-आईएमपीएस) पंजीकरण और नजदीकी क्षेत्रीय संचार (नियर फील्ड कम्युनिकेशंस-एनएफसी) टैग प्रदान कर दिया जाए तो उक्त सुविधा आसानी से सुलभ हो जाएगी। इस प्रकार के डिजिटल ईकोस्टिम में ऐसे समाज की कल्पना संभव है जहां इलेक्ट्रॉनिक विनिमय पूरी तरह से नकद लेन-देन का स्थान ले ले। भारत जैसे देश जिसकी अधिसंख्यक आबादी निरक्षर है, वहां उन्नत प्रौद्योगिकी और मोबाइल फोन का प्रसार इस दिशा में आशा की किरण प्रदान करता है। इसी प्रकार के प्रौद्योगिकीय विकास का एक नमूना हाल ही में अमेरिका द्वारा सैमसंग को एक पेटेंट की मंजूरी देना है, जिसके तहत फोन मेमोरी में अवस्थित वास्वविक फिंगरप्रिंट इमेज को सकारात्मक रूप से मेल कराकर स्पर्शमुक्त फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण किया जा सकता है।

प्रभावशाली रूप से काम करने पर बीसी मॉडल में इसे समुदाय के बीच तेजी से लोकप्रिय होते हुए देखा गया है। यह औपचारिक वित्तीय सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में अपूर्ण मांगों का सूचक है। गैर-बैंकिंग क्षेत्रों में तीन फायदे (सुविधा, लेन-देन की कम लागत और लोगों का बैंकों के साथ संबंध में सुधार जो कि लोन वापसी की दर में बढ़ोतरी के रूप में देखा जा सकता है) स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। बैंकिंग में विस्तार का पूर्ण लाभ, यद्यपि जो मोटे तौर पर निर्धारित नहीं है, यह है कि इसने विभिन्न सेवाओं की लागत कम कर दी है। ये सेवाएं कभी अनौपचारिक सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए जाते थे। तेलंगाना के महबूबनगर जिले में एटीएम और बीसी सुविधाओं के प्रसार के कारण अब अनौपचारिक रूप से धन स्थानांतरण कराने वाले एजेंट दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसी प्रकार से पिछले चार वर्षों से, जब से बैंकों ने पैसे के तत्काल स्थानांतरण के उद्देश्य से अपने निवेशों के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) प्रणाली का मार्ग अपनाया है, तब से धन विप्रेषण की लागत में भी भारी कमी देखी गई है। बहुतेरे गांवों

में, बीसी अक्सर सावधिक खातों को चलाने का असरदार जरिया बन गया है, जिसकी अनुपस्थिति से लोग अपना धन अनौपचारिक निवेश या पिरामिड योजनाओं में रखने को मजबूर थे, जो कि काफी जोखिम भरा होता है। इस क्षेत्र में बड़ी सफलता से भारत में पहली बार लोगों को औपचारिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार लोगों को बिना किसी प्रकार के जोखिम के अपनी जमा की गई राशि पाने का महत्वपूर्ण साधन प्राप्त होगा। सामाजिक रूप से, यह लोगों को उदासीन पिरामिड निवेशों और अन्य अनौपचारिक साधनों में निवेश कर मेहनत से कमाई धन को खो देने के स्थान पर शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे क्षेत्रों में बैंक के माध्यम से अपने निवेश के सदुपयोग का विश्वासप्रद अवसर प्रदान करता है।

जन धन और उससे आगे

जन धन योजना की सफलता अभी निश्चित नहीं है। इसके उलट, इसकी व्यापक सफलता का संकेत तब मिलेगा जब औपचारिक बैंकिंग प्रणाली निजी, अनौपचारिक ऋणदाताओं को बाहर कर देंगे। पीएमजेडीवाई के लाभ को इसके लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचने में दो बड़े बाधक-बैंकों का दूर होना और बीसी के माध्यम से खोले गए खातों पर लेन-देन का सीमित दायरा होना है (अनंत और आंकू 2014, दाधीच 2014)। बैंक तक पहुंच की कमी से आशय है कि भारत के आधे गांव प्रभावी रूप से बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं (तालिका 2)। पीएमजेडीवाई पर लगाए गए लेनेदेन की सीमा का हटा लेने के बाद यह खाता को बार-बार उपयोग करने की दृष्टि से ज्यादा आकर्षक हो जाएगा। जन धन की सफलता और मुख्य रूप से बैंकिंग संस्कृति का विकास, खोले गए खातों के सीमित दायरे और बीसी चैनल के माध्यम से लेन-देन पर लगाए गए अवरोधकों से प्रभावित हो रही है। ज्यादातर बैंकों में किसी खाते में एक दिन में धन जमा करने और निकासी की सीमा 1500 रुपये से 10,000 रुपये है। किसी एक लेन-देन की मंजूर की गई अधिकतम सीमा 50,000 रुपये है।

किसी लेन-देन में इस सीमा को पार करने के लिए बीसी को खाताधारक के साथ बैंक जाना होगा और उन्हें इस लेन-देन के लिए अनुमति लेनी होगी। प्रतिदिन 10,000 रुपये से अधिक के लेन-देन की अनुमति नहीं दी गई है। समस्या और जटिल इसलिए हो गई है कि ज्यादातर मामलों में खाताधारकों ने अपना धन प्राप्त करने करने के लिए जन धन खाता संख्या दे रखी है, जबकि सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी को भेजे जाने वाले पैसे, या विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से दिए जाने वाले पैसे या एलआईसी भुगतान आदि की सीमा बैंकों द्वारा जनधन खाता में लेन-देन की तय सीमा से अधिक होता है।

सिंह (2014) का मत है कि वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को बल तभी मिलेगा जब डाकघरों को बैंकिंग दायरे में विस्तार करने के लिए उपयोग में लाया जाए। डाकघरों में लगभग 28 करोड़ खाते हैं जिसमें से जमा खातों की संख्या 13 करोड़ से अधिक है और आवर्ती जमा खाता 11 करोड़ से अधिक है। यद्यपि समाज के सभी वर्गों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने के लिए ढेरों प्रयास किए गए हैं, लेकिन इन कदमों का लाभ बहुत कम ही दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से, राशन वितरित करने वाले उचित मूल्य की दुकानों का उपयोग पीएमजेडीवाई खातों के लाभ के दायरे को विस्तृत करने में किया जा सकता है, जो कि इसके साथ-साथ डिजिटल ईकोसिस्टम तैयार करते वक्त गांवों के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में बड़े बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होंगे। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आंध्र प्रदेश सरकार में मिलता है-वहां की सरकार ने एक जनोपयोगी कदम (अभी लागू करने के चरण में है)-''कहीं भी राशन'' के रूप में उठाया है। इसके तहत व्यक्ति अपना राशन शहर में नागरिक आपूर्ति विभाग के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त कर सकता है। चूंकि नागरिक आपूर्ति विभाग का डाटा आधार से जुड़ा हुआ है, अत: विभाग किसी विशेष समय में राशन की कितनी निकासी हुई है, का पता आसानी से लगा लेता है। सभी राशन दुकानों (27,176) में बिक्री मशीन के लिए एक प्वाइंट दिया गया है जिसे 267 मंडल (तहसील) स्तरीय स्टॉक प्वाइंट से जोड़ा गया है। इसकी निगरानी एक केंद्रीय स्थान से की जाती है। राशन दुकानों को बहुउद्देशीय स्टोर में बदल कर, जहां पर वित्तीय श्रृंखलाओं सहित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध होती हैं, बैंकिंग क्षेत्र के दायरे में विस्तार के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है।

वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को बल तभी मिलेगा जब डाकघरों को बैंकिंग दायरे में विस्तार करने के लिए उपयोग में लाया जाए। डाकघरों में लगभग 28 करोड़ खाते हैं जिसमें से जमा खातों की संख्या 13 करोड़ से अधिक है और आवर्ती जमा खाता 11 करोड़ से अधिक है।

निष्कर्ष

वित्तीय समावेशन से अर्थव्यवस्था विशेष कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की अपेक्षा की जाती है। वित्तीय समावेशन से ये आशाएं पीएमजेडीवाई, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना और मुद्रा बैंक के आधार पर की जा रही हैं। डीबीटी जिसका संचालन बैंक के जरिए किया जाएगा, इससे भी घरों में धन के सतत प्रवाह को बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिसके चलते निवेश के माहौल को बढ़ावा मिलेगा। बाज़ार में मुख्य भूमिका बैंकों, लघु वित्त संस्थानों, स्वयं-सहायता समूहों, डाकघरों और मुद्रा बैंक की होगी। बैंकिंग निकाय जो साधनों की बहाली का मुख्य जरिया बनेंगे, इससे निवेश को चालू व्यवस्था में ही बनाए रखने और उपयोग करने के लिए वित्तीय स्रोतों को खड़ा करने की आशा की जाती है। इसी प्रकार से, डाकघरों विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में 1,40,000 शाखाओं की उपस्थिति से भी इन संसाधनों का लाभ उठाने के लिए नई योजनाएं लाने की आशा की जाती है। विभिन्न प्रकार की जमाएं, डाकघरों के माध्यम से लघु बचत स्रोत, स्वर्ण बांड और उक्त संस्थानों के द्वारा चलाई जाने वाली अन्य योजनाएं हैं, जिन्हें बाज़ार में अपनाया जा सकता है।

ये सभी विकास अर्थव्यवस्था में रचनात्मक योगदान देने वाले और बाज़ार के लिए इन विचारों को उत्पादित उत्पादों में बदलने के लिए आसान वित्त उपलब्ध कराने वाले माने जाते हैं। 'मेक इन इंडिया' से यह आशा की जाती है कि इसका उद्देश्य रोजगार की संख्या में भारी इजाफा करना और अर्थवव्यस्था के लिए उत्पादक साबित होना है। ❑

संदर्भ

अनंत, एस और ओंकु, सबरी (2013) ''भारत में वित्तीय समावेशन की चुनौतियां : आंध्र प्रदेश का

(शेषांश पृष्ठ 35 पर)

भारत का समग्र विकास: अवधारणाएं और साक्ष्य

श्रीपद मोतीराम

गरीबी में गिरावट को समग्र विकास के संकेत के तौर पर देखा गया है। असल में भारत के शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के बीच गरीबी में गिरावट की दर के विश्लेषण की पुरानी परंपरा रही है। इस लिहाज से यह विस्तार से बताना जरूरी हो जाता है कि इसकी प्रक्रिया क्या है। आमतौर पर गरीबी को सरकारी गरीबी रेखा और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के उपभोग पर खर्चों के पंचवर्षीय सर्वेक्षण के जरिए मापा जाता है। यह सर्वे हर पांच साल में एक बार होता है। आय के विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में गरीबी का अंदाजा लगाने के लिए खर्चों को आधार बनाया गया है

नब्बे के दशक की शुरुआत से भारत की विकास दर प्रभावी तरीके से बढ़ी है। ताजा आर्थिक सर्वेक्षण (2015) के मुताबिक वास्तविक सकल राष्ट्रीय आय औसतन सालाना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान 7.8 प्रतिशत, दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान 7.6 प्रतिशत और नौंवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान 5.6 प्रतिशत रही। भारत की पिछली ग्रोथ के मुकाबले और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिहाज से यह विकास दर असाधारण रही है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत "विकास की हिंदू दर" के दायरे से बाहर निकल आया है लेकिन भारत के समीक्षकों को इस बात से हमेशा हैरानी हुई है कि इस विकास दर का गरीबों और समाज के दूसरे वंचित वर्गों के जीवन पर क्या असर पड़ा है। इन चिंताओं के कारण *समावेश*, *समग्रता* और *सम्मिलित विकास* जैसी धारणाओं पर ध्यान केंद्रित हुआ और अकादमिक एवं नीतिगत भाषणों में इनका जिक्र बार-बार होने लगा।

पूर्व योजना आयोग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में समेकित विकास की इच्छा पर जोर दिया गया और इसमें शामिल बातों का ब्योरा दिया गया। इसकी दलील यह है, "समेकित विकास से गरीबी में कमी आनी चाहिए, स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में व्यापक और अहम सुधार होना चाहिए, सभी बच्चे स्कूल पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा छात्रों को उच्च शिक्षा मिले और कौशल विकास सहित शिक्षा के स्तर में सुधार होना चाहिए। इससे लोगों को मजदूरी और रोजगार के बेहतर मौके मिलने चाहिए और पानी, बिजली, सड़क, स्वच्छता एवं आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान में सुधार होना चाहिए। विशेष तौर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी की जरूरतों पर ध्यान देने की जरूरत है।" (योजना आयोग 2011)

निश्चित तौर पर समग्र विकास की धारणा ने अलग-अलग लोगों को विभिन्न तरीकों से इसकी अवधारणा तय करने का मौका दिया है। इनमें कुछ दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा कठोर हैं। हाल के वर्षों में एक छोटा लेकिन प्रगतिशील अकादमिक साहित्य उभरा है जो यह इन सवालों के विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा है: समेकित विकास (समावेश या समग्रता) के क्या मायने हैं? क्या भारत का विकास समग्र है? नीचे दी गई चर्चा में मैं अपना कुछ काम पेश करूंगा और ऊपर दिए गए सवालों का गैर-तकनीकी जवाबों को संक्षिप्त तौर पर रखूंगा। दूसरे सवाल का जवाब ज्यादातर नकारात्मक है (यानी भारत की ग्रोथ समग्र नहीं है) और मैं इसके कारणों पर भी संक्षेप में चर्चा करूंगा।

समग्रता क्या है?

जैसा मैंने ऊपर जिक्र किया है ऐसे कई तरीके हैं जिनके जरिए समग्रता की अवधारणा तय की गई है। कुछ विद्वानों ने उस दर पर फोकस किया है जिस दर से उस दौरान गरीबी घटी है।

गरीबी में गिरावट को समग्र विकास के संकेत के तौर पर देखा गया है। असल में भारत के शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के

लेखक मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डिवेलपमेंट रिसर्च के प्रोफेसर हैं। उनके शोध का केंद्र विकास अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र और राजनीतिक अर्थव्यवस्था आदि होते हैं। ईमेल: sripad@igidr.ac.in

बीच गरीबी में गिरावट की दर के विश्लेषण की पुरानी परंपरा रही है। इस लिहाज से यह विस्तार से बताना जरूरी हो जाता है कि इसकी प्रक्रिया क्या है। आमतौर पर गरीबी को सरकारी गरीबी रेखा और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के उपभोग पर खर्चों के पंचवर्षीय सर्वेक्षण के जरिए मापा जाता है। यह सर्वे हर पांच साल में एक बार होता है। आय के विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में गरीबी का अंदाजा लगाने के लिए खर्चों को आधार बनाया गया है।

गरीबी मापने का सबसे लोकप्रिय तरीका है हेड काउंट रेशियो (एचसीआर) है। यह उन लोगों का प्रतिशत है जिनकी आमदनी गरीबी रेखा से नीचे है। दो अलग-अलग समयावधियों को ध्यान में रखते हुए साल 2004-2005 में हेड काउंट रेशियो को एचसीआर 2004-2005 और 2009-10 के लिए एचसीआर 2009-2010 से दर्शाते हैं

गरीबी रेखा के इस्तेमाल से गरीबी में कमी की दर संवेदनशील है। इसके अलावा, समग्र ग्रोथ के लिहाज से यह दृष्टिकोण संकुचित है जैसा कि उदाहरण के तौर पर ऊपर दिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों में पेश किया गया है। इस समस्या से निपटने का एक तरीका यह है कि एक ऐसे दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया जाए जो समग्र विकास के आकलन के लिए वाजिब गरीबी रेखा तय करें। अर्थशास्त्र में इस तरह का दृष्टिकोण मौजूद है।

और गरीबी में गिरावट की दर को (एचसीआर 2004-2005-एचसीआर 2009-2010)/5 से निर्धारित करते हैं।

ध्यान दें कि गरीबी में कुल गिरावट (एचसीआर 2004-05-एचसीआर 2009-10) है और यह पांच साल की अवधि में हुई है। इस अवधि की तुलना 11 साल के समयकाल 1993-94 से 2004-05 से करें तो गरीबी रेखा में गिरावट की दर सालाना 2.2 फीसदी रही। हालांकि, 2004-05 से 2009-10 के बीच गरीबी दर घटने की दर ज्यादा तेज रही। इस दौरान यह दर सालाना 4.4 फीसदी दर्ज की गई। (ये आंकड़े थोराट एवं दूबे 2012 से लिए गए हैं।) एनएसएसओ का हालिया सर्वे 2011-12 में किया था। एनएसएसओ का यह सर्वे इससे पहले सर्वेक्षण (2009-10) के सिर्फ दो साल बाद ही हुआ। पूर्व योजना आयोग ने एनएसएसओ के इस सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल नाटकीय सुधार प्रस्तुत करने के लिए किया : "लिहाजा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 2004-05 से 2011-12 के बीच सात साल की अवधि में गरीबी घटने की दर 1993-94 से 2004-2005 तक के 11 साल के मुकाबले तीन गुना रही।" (योजना आयोग 2013)

ऊपर दिए गए दृष्टिकोण से गरीबी में गिरावट की दर की व्याख्या आसानी से की गई है। हालांकि, इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि सरकारी गरीबी रेखा पर गंभीर विवाद है और यह मानने की वजह है कि गरीबी में कृत्रिम तौर पर गिरावट दिखाई गई है और यह एक अपूर्ण पद्धति पर आधारित है। सरकारी गरीबी रेखा के कई आलोचकों ने इसे सबूत के तौर पर आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक में प्रकाशित किया है। (सुब्रमण्यम 2014 देखें)। गरीबी रेखा के इस्तेमाल से गरीबी में कमी की दर संवेदनशील है। इसके अलावा, समग्र ग्रोथ के लिहाज से यह दृष्टिकोण संकुचित है जैसा कि उदाहरण के तौर पर ऊपर दिए बारहवी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों में पेश किया गया है। इस समस्या से निपटने का एक तरीका यह है कि एक ऐसे दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया जाए जो समग्र विकास के आकलन के लिए वाज़िब गरीबी रेखा तय करें। अर्थशास्त्र में इस तरह का दृष्टिकोण मौजूद है। इस तरीके से यह पता लगाया जाता है कि गरीबों की आमदनी उस दर से बढ़ी है या नहीं, जिस दर से औसत व्यक्ति की आमदनी बढ़ी है। 2004-05 से 2011-12 की अवधि के दौरान औसत व्यक्ति का (औसत) खर्च ग्रामीण इलाकों में 22 फीसदी की दर से और शहरों में 27 फीसदी की दर से बढ़ा। जैसा ऊपर बताया गया है, आमदनी की जगह खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने पाया कि ग्रामीण और शहरी, दोनों इलाकों में गरीबों के खर्चे की ग्रोथ कमजोर रही है। यानी रईस और मध्यम आय वर्ग के मुकाबले गरीब की विकास दर कम रही। यह अंतर शहरों में ज्यादा रहा।

उदाहरण के तौर पर ग्रामीण इलाकों में गरीबों की व्यय दर (10 के पर्सेंटाइल पर) 20.3 फीसदी से बढ़ी और शहरों में यह आंकड़ा 24.5 फीसदी रही। ध्यान दें कि गरीब व्यक्ति की विकास दर औसत व्यक्ति के मुकाबले कम (गांवों में 22 फीसदी और शहरों में 27 फीसदी) रही। इससे उलट 90 के पर्सेंटाइल के व्यक्ति (रईस) की विकास दर सबसे ज्यादा रही। गांवों में ऐसे लोगों की विकास दर 23.1 फीसदी और शहरों में 29.1 फीसदी रही। इसी पैमाने का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बताया कि वंचित जाति वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) के गरीबों और निचले तबके (खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, छोटे किसानों और अस्थाई शहरी कामगारों) की आमदनी पर्याप्त दर से नहीं बढ़ी है। कुल मिलाकर इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में समग्र विकास नहीं है।

कई अन्य विद्वान भी दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। जगह की कमी के कारण मैंने इनमें से कुछ के

2004-05 से 2011-12 की अवधि के दौरान औसत व्यक्ति का (औसत) खर्च ग्रामीण इलाकों में 22 फीसदी की दर से और शहरों में 27 फीसदी की दर से बढ़ा। जैसा ऊपर बताया गया है, आमदनी की जगह खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने पाया कि ग्रामीण और शहरी, दोनों इलाकों में गरीबों के खर्चे की ग्रोथ कमजोर रही है। यानी रईस और मध्यम आय वर्ग के मुकाबले गरीब की विकास दर कम रही। यह अंतर शहरों में ज्यादा रहा।

बारे में चर्चा करूंगा। समग्र विकास को समझने के लिए डी जयराज और एस सुब्रमण्यम ने विभिन्न समूहों के बीच आवंटन की समस्या और दूसरे क्षेत्रों -दावेदारों के बीच संपति के विभाजन (तालमुदिक संपति समस्या) या गरीबी दूर करने के लिए विभिन्न समूहों के बीच सीमित बजट के आवंटन-की इसी तरह की समस्याओं के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। जयराज और सुब्रमण्यम (2012 a) ने आबादी के व्यय के आंकड़ों में तुलना के जरिए इसे समझने का प्रयास किया। इसके तहत उन्होंने 10 पर्सेंटाइल के निचले स्तर के और ऊपर की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के व्यय को इस लिहाज से देखा कि क्या वो अलग अलग निष्पक्ष मानदंडों

के आधार पर सटीक हैं। मसलन क्या विकास दर इस मानदंड के मुताबिक रही है। सबसे समतावादी सिद्धांत (कोषगत मैक्सिमिन) के मुताबिक अगर हम दोनों अवधि (1 और 2) पर विचार करें तो दूसरी अवधि में विकास से हुई आमदनी का बंटवारा इस तरह होगा कि सबसे गरीब तबके को सबसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जबकि बाकी बचे वर्गों (अमीर) को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसके जरिए जितना हो सके सभी वर्गों को एक स्तर पर लाने का प्रयास किया जा सकता है।

इससे उलट विस्तार के न्यूनतम मानक (परेटो रेसपेक्टिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन) के मुताबिक, दूसरी अवधि के हर डिसाइल (किसी खास वैरिएबल के वितरण के आधार पर एक जनसंख्या के 10 बराबर बांटे गए समूहों में से हरेक) को पहली अवधि की औसत आय बरकरार रखने की अनुमति देने के बाद इसमें अतिरिक्त रकम डाली जाती है। यह अतिरिक्त रकम विकास की प्रक्रिया से पैदा हुई अतिरिक्त रकम के 10वें हिस्से के बराबर है।

एनएसएस के उपभोग व्यय सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय अनुभव निष्पक्ष मानकों से कम है यहां तक कि एक भी मामले में। सबसे निचले तबके की वास्तविक वृद्धि दर 1993-94 से 2009-10 के बीच ग्रामीण इलाकों में सालाना 1.43 प्रतिशत रही जबकि वहां न्यूनतम कसौटी के मुताबिक वृद्धि दर सालाना 2.88 फीसदी होगी। यह फर्क शहरों में कहीं ज्यादा 1.27 के मुकाबले 4.39 रहा। जयराज और सुब्रमण्यम (2012 b) ने इसी तरह का आंकलन सामाजिक-आर्थिक (आमदनी के बजाय) समूहों पर किया और उन्होंने पाया कि भारत में समग्रता का अभाव है।

सूर्यनारायण एवं दास (2014) ने तीन नज़रियों रोजगार, इनकम और उपभोग के आधार पर समग्रता की अवधारणा तय करने का प्रयास किया है। उन्होंने तीन तरीकों का इस्तेमाल किया। पहला, औसत आमदनी के साथ औसत उपभोग में बदलाव यानी औसत आमदनी में एक फीसदी बदलाव आने पर उपभोग में होने वाला प्रतिशत बदलाव। दूसरा माध्य उपभोग के मुताबिक औसत उपभोग में बदलाव यानी माध्य उपभोग में एक फीसदी बदलाव होने पर औसत उपभोग में होने वाले बदलाव का प्रतिशत। तीसरा *समग्र गुणांक* जो आबादी के उस हिस्से पर निर्भर करता है जो औसत उपभोग के 60 फीसदी से कम है। व्यापक विकास के लिए ऊपर दिए गए बदलाव 1 से ज्यादा होना चाहिए और समग्र गुणांक भी ज्यादा होना चाहिए। समूची आबादी और समाज के वंचित समूहों (जैसे अनुसूचित जाति), दोनों पर विचार करते हुए और 1993-94 से 2011-12 तक के एनएसएस के उपभोग व्यय सर्वे के आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में समग्र विकास नहीं है। मसलन समग्र गुणांक 1993-94 में 0.748 था जो 2011-12 में घटकर 0.711 हो गया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि "भारतीय विकास प्रक्रिया की गरीबों का शामिल होना अभी भी एक सपना है।"

पिछले दो दशकों में समूची आबादी और वंचित वर्ग समूहों की औसत आमदनी में इजाफा हुआ है। इसे मापने वाली गरीबी रेखा में भी गिरावट आई है। हालांकि, समग्रता के लिए इससे कहीं ज्यादा असरदार नतीजे चाहिए। समग्रता की अवधारणा के लिए जो ज्यादा प्रशस्त अवधारणा का इस्तेमाल किया गया है उसके तहत भारत का रिकॉर्ड निराश करने वाला है

चर्चा और निष्कर्ष

पिछले दो दशकों में समूची आबादी और वंचित वर्ग समूहों की औसत आमदनी में इजाफा हुआ है। इसे मापने वाली गरीबी रेखा में भी गिरावट आई है। हालांकि, समग्रता के लिए इससे कहीं ज्यादा असरदार नतीजे चाहिए। जैसा मैंने ऊपर दलील दी है समग्रता की अवधारणा के लिए जो ज्यादा प्रशस्त अवधारणा का इस्तेमाल किया गया है उसके तहत भारत का रिकॉर्ड निराश करने वाला है। इसके कारणों का थाह लेना मुश्किल नहीं है। भारतीय कृषि की हालत ठीक नहीं है। और कई विद्वानों (जैसे वासावी (2015)) ने दलील दी है कि कृषि फिलहाल मुश्किल दौर से गुजर रही है। शहरी इलाकों में रोजगार के पर्याप्त मौके नहीं बन रहे हैं कि कृषि क्षेत्र या शहरी अनौपचारिक क्षेत्रों के गरीबों को रोजगार मिल सके।

जैसा कि कई सरकारी रिपोर्ट्स में लिखा और विद्वानों द्वारा कहा गया है कि सबसे ज्यादा रोजगार निर्माण क्षेत्र में हैं और यह ग्रामीण इलाकों में भी सबसे ज्यादा रोजगार के मौके मुहैया कराता है। आमतौर पर इन नौकरियों से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है और न ही इससे मजदूरों का कौशल ही बेहतर बनता है। विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन भी निराशाजनक है।

विनिर्माण में रोजगार के मौके से, खासतौर पर ज्यादा मजदूरों की जरूरत वाली विनिर्माण समग्रता में अहम भूमिका निभा सकती है। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) जैसी कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत बनाया जाए ताकि शहरी गरीबों को पर्याप्त रोजगार मिल सके। इसके अलावा कौशल विकसित करने वाली नीतियों और रोजगार के मौकों (उदहारण के तौर पर सार्वजनिक निवेश के जरिए) को बढ़ाना जरूरी है। सीधा-सीधा यह मान लेना कि विकास से समग्रता आएगी, गलत है। ❑

संदर्भ

आर्थिक सर्वेक्षण (2015): 2014-15, भारत सरकार, नई दिल्ली

जयराज डी और एस सुब्रमण्यन (2010 a): भारत के उपभोग व्यय ग्रोथ पर पारस्परिक समग्रता XLVII (45), पृष्ठ सं. 56-66

जयराज डी और एस सुब्रमण्यन (2010 b): भारत के उपभोग व्यय ग्रोथ पर अंतर-समूह समग्रता XLVII (10), पृष्ठ सं. 65-70.

मोतीराम एस और के नारापराजू (2015): भारत में वृद्धि और अभाव: समग्रता पर हालिया साक्ष्य का क्या मत है? ऑक्सफोर्ड डिवेलपमेंट स्टडीज 43 (2), पृष्ठ सं. 145-164.

योजना आयोग (2011): तेज, सतत और ज्यादा समग्र विकास: बारहवीं पंचवर्षीय योजना का नज़रिया भारत सरकार, दिल्ली

योजना आयोग (2013): गरीबी के अनुमान पर प्रेस नोट, 2011-12 भारत सरकार

सुब्रमण्यन एस (2014): गेटिंग द पोवर्टी लाइन अगेन... एंड अगेन आर्थिक और सामाजिक साप्ताहिक, XLIX (47), पृष्ठ सं. 66-70.

एमएच सूर्यनारायण और एम दास (2014): भारत की Reform(ed) विकास कितनी समग्र है?
आर्थिक और सामाजिक साप्ताहिक, XLIX (6), पृष्ठ सं. 44-52.

थोराट एस और दूबे (2012): 1993-94 से 2009-10 तक क्या सामाजिक विकास समग्र रही है? 10? XLVII (10), पृष्ठ सं. 43-54.

ICS सामान्य अध्ययन

empowering nation

Institute for Civil Services

भारत के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक

एक साथ एक मंच पर

- श्री अशोक सिंह
- श्री के.सिद्धार्थ
- डॉ. अभिषेक
- डॉ.एस.एस.पाण्डेय
- श्री अतुल लोहिया
- श्री रामेश्वर
- श्री रजनीश राज
- श्री कुमार गौरव
- श्री धर्मेन्द्र

सामान्य अध्ययन

नया बैच प्रारंभ

अगस्त

के अन्तिम सप्ताह में

सीमित सीटें

नामांकन जारी

H. Office: 870, 1st Floor (Infront of Batra Cinema) Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

(Feel free to call for any help/inquiry) **Ph. : 011-45094922, 8750908866-55-22-00**

E-mail : icsiasindia@gmail.com

YH-110/2015

डिजिटल क्रांति से बदलता सामाजिक परिवेश

आशीष खंडेलवाल

'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम निश्चित तौर पर वर्तमान समय की जरूरतों और दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए विशाल स्तर पर तैयार किया गया संतुलित कार्यक्रम है, जो दीर्घावधि में सकारात्मक सामाजिक बदलाव की दिशा में उन्मुख होगा। यह कार्यक्रम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए के लिए एक प्रयास होगा, जहां सरकार और उसकी सेवाएं नागरिकों के दरवाजे पर उपलब्ध हों और लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव की दिशा में योगदान करें। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता को इस्तेमाल कर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है

पारदर्शी, सरल और सुलभ प्रशासन किसी भी समाज, प्रदेश या राष्ट्र के बुनियादी विकास को नए स्तर पर ले जा सकता है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में यदि प्रशासन की पहुंच हर नागरिक तक समान रूप से हो जाए और अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति भी सामाजिक सुविधाओं का लाभ सुगमता के साथ उठा सके, तो सामाजिक बदलाव की एक सकारात्मक तस्वीर सामने आ सकती है। आज के दौर में सूचना प्रौद्योगिकी इतनी समर्थ है कि यह नागरिकों को घर बैठे ही तमाम सूचनाएं उपलब्ध करा सकती है और उन्हें उनका अधिकार दिलवा सकती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी की इस ताकत से समाज के जीवन स्तर को उन्नत और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने संपूर्ण भारत को डिजिटल करने वाली नई क्रांति का सूत्रपात किया है। समाज के डिजिटल सशक्तीकरण के माध्यम से तैयार होने वाली ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप देश का विकास इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम से यह उम्मीद की जा रही है कि नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं की उपलब्धता मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से रीयल टाइम में सुनिश्चित की जा सकेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य फोकस सरकारी गतिविधियों से आमजन के जुड़ाव का सशक्तीकरण करना और पारदर्शी तथा सहभागिता वाले प्रशासन को नया आयाम देना है।

इंटरनेट युग का आरंभ और विस्तार

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में इंटरनेट ने आमजन को जागरूक करने की दिशा में एक सेतु का काम किया है। यदि इतिहास के पन्ने पलटें, तो नब्बे के दशक में भारत में अपनी दस्तक देने वाली वैश्विक इंटरनेट क्रांति को 'डिजिटल इंडिया' की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। 15 अगस्त, 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) के माध्यम से पहली बार इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की गईं और इसकी सफलता यह रही कि अगले छह महीने में ही 10 हजार से अधिक लोग इस माध्यम से जुड़ गए। अगले एक दशक में यह अपने पंख इसलिए नहीं पसार सका, क्योंकि उस वक्त नैरोबैंड कनेक्शन के जरिए डायल-अप से इंटरनेट सुविधाएं मिलती थीं और इसकी गति कम थी। वर्ष 2004 में देश में ब्रॉडबैंड नीति बनाई गई, जिसके तहत एक न्यूनतम डाउनलोड गति का निर्धारण किया गया। इसके पश्चात् 56 किलोबाइट प्रति सेकंड की न्यूनतम गति से चलने वाला इंटरनेट 256 किलोबाइट प्रति सेकंड की न्यूनतम गति से दौड़ने लगा। इस बदलाव से देश में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार हुआ और वर्ष 2010 में 3जी तथा उसके पश्चात् 4जी सेवाओं ने देश के आमजन तक इंटरनेट सेवाओं की आसान पहुंच को सुनिश्चित किया। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 के अंत तक देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है और उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में देश दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है।[3]

लेखक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान में सोशल मीडिया सेल के प्रभारी अधिकारी हैं एवं सूचना तकनीक आधारित विषयों पर स्तंभ लेखन करते हैं। इससे पूर्व समाचार पत्र *राजस्थान पत्रिका* में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ईमेल: com.ashish@gmail.com

वायरलैस इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क का विस्तार

कभी तारों के सहारे अंतिम छोर तक पहुंचने वाला इंटरनेट कनेक्शन आज उपभोक्ताओं को बेतार माध्यम से मिल रहा है। स्मार्टफोन की पहुंच अब ग्रामीण उपभोक्ताओं तक होने लगी है और वे भी आसानी से इंटरनेट सुविधाओं के साथ जुड़ गए हैं। 28 फरवरी, 2015 तक के आंकड़ों को देखा जाए, तो देश में कुल मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या 96 करोड़ से अधिक है। कुल जनसंख्या के हिसाब से यह आंकड़ा 77.58 प्रतिशत है और इस आधार पर भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। यदि स्मार्टफोन की बात की जाए, तो वर्ष 2013 में गूगल के 'आवर मोबाइल प्लेनेट' ने स्मार्टफोन की पहुंच को लेकर विभिन्न देशों की एक सूची जारी की थी, जिसमें भारत 16.8 प्रतिशत के साथ 45वें स्थान पर था। इसके बाद देश में स्मार्टफोन क्रांति ने नया स्वरूप लिया। सही मायने में 'डिजिटल इंडिया' के उद्देश्यों की पूर्ति इसी क्रांति के माध्यम से हो सकती है। प्रधानमंत्री ने अनेक अवसरों पर कहा भी है कि जो स्मार्टफोन आपके हाथ में है, वह बड़ा शक्तिशाली है। उन्होंने नागरिको से इसकी ताकत को पहचानने का आह्वान किया है।

'डिजिटल इंडिया' और नागरिकों की विशिष्ट पहचान

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इसके तहत प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगी सेवा मुहैया कराने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया जाएगा। ऐसी बुनियादी सेवाओं के बूते देश ज्ञान के एक ऐसे भविष्य की ओर उन्मुख होगा, जहां प्रशासन और सेवा हर मांग पर उपलब्ध होगी। ऐसे में प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता का सवाल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भ्रष्टाचार को मिटाना भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम मुद्दा है। इसी सोच के साथ बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र यानी आधार कार्ड को भी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। आधार कार्ड प्रत्येक नागरिक को 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या उपलब्ध कराता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते को निर्धारित करती है। आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवनभर की पहचान है। आधार संख्या से उन्हें बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और सरकारी व गैर-सरकारी सेवाओं की सुविधाएं प्राप्त करने में सुविधा मिलती है। यह सरल ऑनलाइन विधि से सत्यापन योग्य है। 'डिजिटल इंडिया' तकनीक आधारित क्रांति पर भरोसा करता है और तकनीक की वजह से अब प्रत्येक क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता में बढ़ोतरी हुई है।

केंद्र के साथ ही विभिन्न राज्यों की सरकारों का प्रयास है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपभोक्ताओं को सीधे ही मिले और राशि सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचे। इसमें उपभोक्ता की पहचान को सुनिश्चित करने में आधार संख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत ई-लॉकर व अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भी आधार संख्या का होना आवश्यक है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 'पहल' योजना के अंतर्गत गैस सब्सिडी जैसे अनुदान सीधे ही उपभोक्ता के बैंक खाते तक पहुंच रहे हैं। आधार संख्या की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र के साथ ही विभिन्न राज्यों की सरकारों का प्रयास है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपभोक्ताओं को सीधे ही मिले और राशि सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचे। इसमें उपभोक्ता की पहचान को सुनिश्चित करने में आधार संख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत ई-लॉकर व अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भी आधार संख्या का होना आवश्यक है। ऐसे में आधार संख्या डिजिटल इंडिया की संकल्पना को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो रही है।

डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशी योजनाएं

गत वर्ष अगस्त में लागू की गई 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' का उद्देश्य भारत के नागरिकों को बुनियादी वित्तीय सेवाएं जैसे बैंक खाते और डेबिट कार्ड मुहैया कराना है। वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की गई। योजना आर्थिक निरंतरता बढ़ाने और जनता को वित्तीय सेवाएं जैसे बैंक जमा खाते, कर्ज और बीमा प्रदान करने के लिए एक साधन के तौर पर तैयार की गई। यदि इसकी मूल भावना को देखा जाए, तो यह भी डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों का पूरा करती दिखाई देती है।

'मेरा खाता-भाग्य विधाता' के आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई इस योजना में भारतीय समाज में गरीब वर्ग के लिए सब्सिडी सुरक्षित करना, ओवरड्राफ्ट सुविधा और पेंशन योजना दीर्घकालिक लक्ष्यों में शामिल है। इसका उद्देश्य सन् 2018 तक 7.5 करोड़ परिवारों तक पहुंच बनाना है। यह योजना सरकारी कार्यालयों में किसी भी रूप में मौजूद भ्रष्टाचार से लड़ने के एक हथियार के तौर पर उपयोग के लिए बनी है। भारत की अधिकतर जनता के बैंक खाते होने पर सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जा सकेगी, जिससे रिश्वत के मामलों पर काबू पाया जा सकेगा। इस प्रकार देखा जाए, तो यह योजना 'डिजिटल इंडिया' के सपने को साकार करने में सहयोगी है। 'डिजिटल इंडिया' के तहत अर्थव्यवस्था तेजी से 'कैशलेस' हो

डिजिटल इंडिया

चित्र 1: डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ

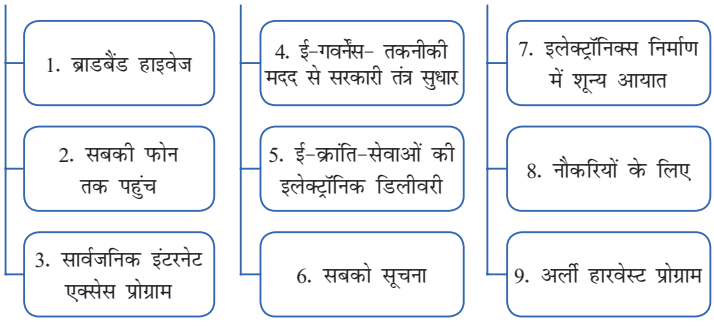

जाएगी और आशातीत सामाजिक बदलाव दिखाई देगा।

इस तरह की योजनाओं के पीछे केंद्र सरकार की सोच है कि व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का सीधा फायदा आम जनता तक पहुंचे और साथ ही तकनीक के इस्तेमाल से ऐसा वातावरण तैयार हो सके, जो आमजन तक प्रशासन की पहुंच को सुनिश्चित करे। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को मजबूत बनाने में इस तरह की योजनाओं का अच्छा योगदान साबित होगा।

आर्थिक विकास का सुअवसर

एक लाख 13 हजार करोड़ रूपए के इस महत्वाकांक्षी 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम से किस तरह के सामाजिक बदलाव देखने को मिलेंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इसके परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करेंगे, यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। इस कार्यक्रम के तीन मुख्य पहलू हैं- प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधा के रूप में बुनियादी ढांचा, जैसे पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, मोबाइल सेवाओं का विस्तार और मोबाइल से वित्तीय समावेशन। दूसरा प्रशासन एवं इसकी सेवाओं को आम नागरिक के द्वार पहुंचाना जिससे उन्हें लंबी कतारों, भ्रष्टाचार और मजदूरी के नुकसान से निजात मिल सके और तीसरा, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तीकरण करना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल का विकास, साथ ही कंप्यूटर और मोबाइल पर भारतीय भाषाओं में काम करने को और आसान बनाना।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑनलाइन मेडिकल सलाह, रिकॉर्ड और संबंधित दवाओं की आपूर्ति समेत मरीजों की सूचना से जुड़े एक्सचेंज की स्थापना करते हुए लोगों को ई-हैल्थकेयर की सुविधा देना भी इस कार्यक्रम का एक स्तंभ है। न्याय के क्षेत्र में ई-कोर्ट, ई-पुलिस, ई-जेल, ई-प्रॉसिक्यूशन की सुविधा, वित्तीय इंतजाम के तहत मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो-एटीएम प्रोग्राम आदि भी इसके अंतर्गत चलाए जाने हैं।

इस कार्यक्रम के तहत ढाई लाख पंचायतों समेत छह लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है और सरकार की योजना 2017 तक यह लक्ष्य पाने की है। अब तक इस योजना के तहत 55 हजार पंचायतें जोड़ी भी जा चुकी हैं। साथ ही इसके तहत 1.7 लाख आईटी पेशेवर भी तैयार किए जाएंगे है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री की सोच यह भी है कि भारतीय किसानों को आईटी क्षेत्र से लाभ मिलना चाहिए। उनका कहना है कि कृषि उत्पादन, मृदा संबंधी विवरण और बिक्री मूल्य का विश्व की कीमतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, इन तीनों को एकसाथ जोड़ देना चाहिए। अगर हमारे पास बोए गए बीज संबंधी विवरण होगा तो हम उत्पादन का स्वरूप का पता लगा सकते हैं।

'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत भारत में सरकारी कर्मचारियों के तकनीकी रूप से उन्नयन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस कार्यक्रम के तहत हर रिकॉर्ड को सहेजने के लिए डेटाबेस में हरेक विवरण रखना आवश्यक हो जाएगा, जिससे प्रदर्शन, सुरक्षा और रखरखाव को बेहतर किया जा सके। इस कार्यक्रम के गति पकड़ने से सभी विद्यालयों में सेंट्रल सर्वर की राह भी खुलेगी, जो सभी प्रकार की ई-प्रशिक्षण सामग्री से परिपूर्ण सेंट्रल क्लाउड से जुड़ा होगा। इसके अतिरिक्त समाज का हर क्षेत्र इस क्रांति से सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और समाज में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा

डिजिटल इंडिया: 9 प्रमुख स्तंभ

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के नौ प्रमुख स्तंभों की बात की जाए, तो इनमें ब्रॉडबैंड हाइवेज सबसे प्रमुख है। सामान्य तौर पर ब्रॉडबैंड का मतलब दूरसंचार से है, जिसमें सूचना के संचार के लिए आवृत्तियों के व्यापक बैंड उपलब्ध होते हैं। इस कारण सूचना को कई गुणा तक बढ़ाया जा सकता है और जुड़े हुए सभी बैंड को विभिन्न आवृत्तियों या चैनलों के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से एक निर्दिष्ट समय सीमा में वृहत्तर सूचनाओं को प्रेषित किया जा सकता है। ब्रॉडबैंड हाइवे निर्माण से अगले तीन वर्षों के भीतर देशभर की ढाई लाख पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा और लोगों को सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी।

'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम की सफलता इस तथ्य में निहित है कि भारतीय ग्रामीण आबादी भी इस तरह की सेवाओं का पूरा लाभ ले सके। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए देश के 55,000 गांवों में अगले पांच वर्षों के भीतर मोबाइल संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 20,000 करोड़ के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का गठन किया गया है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल में आसानी होगी।

कार्यक्रम का एक लक्ष्य यह भी है कि भविष्य में सभी सरकारी विभागों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाई जाएगी। पोस्ट ऑफिस के लिए यह दीर्घावधि विजन वाला कार्यक्रम हो सकता है। इस प्रोग्राम के तहत पोस्ट ऑफिस को मल्टी-सर्विस सेंटर के रूप में बनाया जाएगा। नागरिकों तक सेवाएं मुहैया कराने के लिए यहां अनेक तरह की गतिविधियों को चलाया जाएगा।

प्रौद्योगिकी के जरिए प्रशासन को जवाबदेह और संवेदनशील बनाने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के ट्रांजेक्शंस में सुधार किया जाएगा। विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग और आवेदनों को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा, स्कूल प्रमाण पत्रों, वोटर आइडी काड्र्स का जरूरत के अनुसार ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकेगा।

प्रौद्योगिकी के जरिए प्रशासन को जवाबदेह और संवेदनशील बनाने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के ट्रांजेक्शंस में सुधार किया जाएगा। विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग और आवेदनों को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा, स्कूल प्रमाण पत्रों, वोटर आइडी काड्र्स का जरूरत के अनुसार ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकेगा।

यह कार्यक्रम सेवाओं और मंचों के एकीकरण- आधार संख्या, पेमेंट गेटवे (बिलों के भुगतान) आदि में मददगार साबित होगा। साथ ही सभी प्रकार के डाटाबेस और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुहैया कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त ई-एजुकेशन के तहत सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने, ढाई लाख स्कूलों को मुफ्त वाई-फाई की

सुविधा मुहैया कराने और डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम की योजना है। किसानों के लिए रीयल टाइम कीमत की सूचना, नकदी, कर्ज, राहत भुगतान, मोबाइल बैंकिंग आदि की ऑनलाइन सेवा प्रदान करना भी इस कार्यक्रम में उद्देश्यों में शामिल है।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑनलाइन मेडिकल सलाह, रिकॉर्ड और संबंधित दवाओं की आपूर्ति समेत मरीजों की सूचना से जुड़े एक्सचेंज की स्थापना करते हुए लोगों को ई-हैल्थकेयर की सुविधा देना भी इस कार्यक्रम का एक स्तंभ है। न्याय के क्षेत्र में ई-कोर्ट, ई-पुलिस, ई-जेल, ई-प्रॉसिक्यूशन की सुविधा, वित्तीय इंतजाम के तहत मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो-एटीएम प्रोग्राम आदि भी इसके अंतर्गत चलाए जाने हैं।

इस कार्यक्रम के तहत सूचना और दस्तावेज तक ऑनलाइन पहुंच भी कायम की जाएगी। इसके लिए ओपन डाटा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक सूचना तक आसानी से पहुंच सकेंगे। नागरिकों तक सूचनाएं मुहैया कराने के लिए सरकार सोशल मीडिया और वेब आधारित मंचों पर सक्रिय रहेगी। साथ ही, नागरिकों और सरकार के बीच दोतरफा संवाद की व्यवस्था कायम की जाएगी।

'डिजिटल इंडिया' के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी तमाम चीजों का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इसके तहत 'नेट जीरो इंपोर्ट्स' का लक्ष्य रखा गया है ताकि 2020 तक आयात के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। इसके लिए आर्थिक नीतियों में संबंधित बदलाव भी किए जाएंगे। फैब-लेस डिजाइन, सेट टॉप बॉक्स, वीसेट, मोबाइल, उपभोक्ता और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, स्मार्ट कार्डस, माइक्रो-एटीएम आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

देशभर में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार से रोजगार के अधिकांश प्रारूपों में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसलिए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत इस प्रौद्योगिकी के अनुरूप कार्यबल तैयार करने को प्राथमिकता दी जाएगी। कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रमों को इस प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाएगा। साथ ही संचार सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनियां ग्रामीण कार्यबल को उनकी अपनी जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित करेंगी। गांवों व छोटे शहरों में लोगों को आईटी से जुड़े रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आईटी सेवाओं से जुड़े कारोबार के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहले कुछ बुनियादी ढांचा बनाना होगा यानी इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी। साथ ही, इसके लिए कुशल श्रम शक्ति की भी जरूरत पड़ेगी जिसे तैयार करना होगा। इसे अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स के अंतर्गत स्थान दिया गया है।

'डिजिटल इंडिया': राह में चुनौतियां

जब भी किसी क्रांति का सूत्रपात होता है, तो इसकी सफलता की राह में कई चुनौतियां भी होती हैं। 'डिजिटल इंडिया' की राह में भी कुछ चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ी चुनौती मानव संसाधन की कमी की होगी। देश में जितना मानव श्रम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नियोजित है, उसे कई गुणा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था भी देश के सामने किसी चुनौती से कम नहीं। नेसकॉम के मुखिया आर चंद्रशेखर का कहना है कि देश की सभी ढाई लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आ सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से प्रभावित हो सकती है। तीसरी बड़ी चुनौती विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय की है। केंद्र सरकार का दावा है कि इतने व्यापक पैमाने पर इससे विशाल कार्यक्रम पहले कभी नहीं चलाया गया। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग एक-दूसरे के सहयोगी और सहभागी हैं और उन्हें आपसी समन्वय कर इसे कार्यक्रम को सफलता के शिखर पर पहुंचाना होगा। यह कार्य मुश्किल अवश्य है, लेकिन नामुमकिन नहीं।

यह कार्यक्रम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए के लिए एक प्रयास होगा, जहां सरकार और उसकी सेवाएं नागरिकों के दरवाजे पर उपलब्ध हों और लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव की दिशा में योगदान करें। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता को इस्तेमाल कर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।

निष्कर्ष

किसी भी राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि ऐसी कोई भी सामाजिक उत्थान की योजना समाज के निर्बल और अपवर्जित लोगों की आशाओं को उड़ान दे, ज्ञानवर्धन और प्रतिभा-कौशल के विकास के अवसर दे, जिससे वे अपने जीवनस्तर को बेहतर करने में सक्षम बनें और देश की तरक्की का हिस्सा बनें। यदि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और पात्रता अनुसारिक लाभ बिना किसी भेदभाव, भ्रष्टाचार या मनमानी के प्राप्त हो, तो आदर्श राष्ट्र की स्थिति दिखाई देगी। सरकारी तंत्र की जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम निश्चित तौर पर वर्तमान समय की जरूरतों और दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए विशाल स्तर पर तैयार किया गया संतुलित कार्यक्रम है, जो दीर्घावधि में सकारात्मक सामाजिक बदलाव की दिशा में उन्मुख होगा। यह कार्यक्रम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए के लिए एक प्रयास होगा, जहां सरकार और उसकी सेवाएं नागरिकों के दरवाजे पर उपलब्ध हों और लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव की दिशा में योगदान करें। 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता को इस्तेमाल कर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। ❑

संदर्भ

1. Sursh K. Chouhan, T. A. V. Murthy. "Digital divide and India" (PDF). Shodhganga@ INFLIBNET Centre. p. 384. Retrieved 20 June 2012.
2. http://www.trai.gov.in/WriteReadData/Recommendation/Documents/Rcommendation81210.pdf
3. http://gadgets.ndtv.com/internet/news/india-to-have-second-largest- internet-user-base-by-year- end-iamai-622921
4. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_ mobile_phones_in_use
5. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_smartphone_ penetration
6. pib.nic.in/archieve/others/2014/aug/d2014082010.pptx
7. http://www.ndtv.com/india-news/india-to-connect-2-5-lakh-panchayats- through-broadband-582902

आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक विकास

एन आर भानुमूर्ति
वर्षा सिवराम

हाल के वर्षों में भारत प्रगति तथा सामाजिक विकास के बीच की खाई को भरने का प्रयास करता रहा है। हालांकि इन प्रयासों की सफलता कुछ क्षेत्रों तथा समूहों तक ही सीमित है। उम्मीद की जाती है कि आधार नेटवर्क समेत सूचना प्रौद्योगिकी के साथ बैंकिंग के समन्वयन से जन वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इस तरह की एकीकृत प्रणाली से क्षेत्रों/समुदायों के बीच के अंतर को पाटने में मदद मिलेगी तथा राष्ट्र के समग्र सामाजिक विकास को हासिल करने में सहूलियत होगी

वर्ष 2014-15 में, भारतीय अर्थव्यवस्था ने जीडीपी विकास दर का 7.3 प्रतिशत हासिल किया तथा ज्यादातर विश्लेषकों का अनुमान है कि इस वर्ष यह दर 7.5 प्रतिशत से ज्यादा रहेगी। इस तरह के अनुमान आईएमएफ तथा विश्व बैंक जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के भी हैं कि मौजूदा साल में विकास के लिहाज से भारत चीन से कहीं आगे बढ़ जाएगा तथा उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्था के बीच भारत पसंदीदा देश बन सकता है। हालांकि अगर हम सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) की उपलब्धियों की प्रवृत्तियों पर गौर करें, तो भारत की स्थिति बहुत अलग दिखती है। भारत के लिए हाल की एमडीजी रिपोर्ट (2015) दिखाती है कि 18 में से सिर्फ चार संकेतक ही पटरी पर हैं। बाकी संकेतक को या तो रास्ते से भटके हुए या फिर मिला जुलाकर रास्ते पर चल रहे संकेतकों के रूप में चिह्नित किया गया है। आखिर आर्थिक विकास और सामाजिक संकेतकों के बीच इस तरह के तालमेल क्यों नहीं है?

सरल शब्दों में, आर्थिक विकास समय के साथ आर्थिक नतीजे में बढ़त का परिचायक है लेकिन जरूरी नहीं कि यह बढ़त समाज के हर तबके/भागों द्वारा सृजित हो या समान रूप से उनके बीच वितरित हो। विकास और वितरण के बीच इन भिन्नताओं को चिह्नित करते हुए भारत ने विकास को लेकर ऐसी रणनीति अपनाई है, जिसमें समावेशन हो और साथ ही साथ सातत्य भी हो। (बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र का लक्ष्य भारत मे त्वरित, टिकाऊ तथा ज्यादा से ज्यादा समावेशिक विकास को हासिल करना था।)

विश्वबैंक ने समावेशी विकास को गति और विकास की संरचना के रूप में पारिभाषित किया है। यह वह गति है, जिसके साथ कोई अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तथा यह विकास की ऐसी संरचना है, जिससे प्राप्त फायदे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाते हैं। 'समावेशी' शब्द श्रम बल के एक बड़े हिस्से की सहभागिता को अनिवार्य बनाता है, जिसमें किसी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की कोई संबद्धता नहीं होती और न ही विकास की पहुंच के साथ-साथ उत्पादन निर्माण के क्षेत्रों का ख्याल किया जाता है। इस धारणा के पीछे विकास की गरीबोन्मुख विचारधारा है, जिसका मतलब ऐसे विकास से है, जिसमें गरीबों को प्रत्यक्षत: लाभ पहुंचे। नीतियां और कार्यक्रम सामान्यत: उन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत उन्हीं उत्पादनों पर कार्य करने के बजाए गरीबों के बीच आय के पुनर्वितरण पर जोर हो। हालांकि, सार्वजनिक नीति क्षेत्र के साथ-साथ साहित्यिक सामग्रियों में भी गरीबी तथा विकास को अलग-अलग रूप से देखा गया है, जो स्वयं में इन दो नतीजों के बीच की असंबद्धता को जन्म देता है। हाल फिलहाल में, भारत में, समावेशी विकास को हासिल करने पर चर्चा हुई है, जो समावेशी विकास की तुलना में सिर्फ गरीबों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध करने के अतिरिक्त विकास को इंगित करता है।

एन आर भानुमूर्ति लोक वित्त एवं नीति राष्ट्रीय संस्थान में प्रोफेसर हैं। प्रयोगमूलक मैक्रोइकोनॉमिक्स, मौद्रिक अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र तथा मौद्रिक नीति आदि उनकी रुचि के शोध विषय हैं। इन विषयों पर वह दर्जनों शोध-पत्र और दो पुस्तकें लिख चुके हैं। वह इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसायटी के सचिव भी हैं। ईमेल: nrbmurthy@gmail.com, **वर्षा शिवराम** इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय), नई दिल्ली से संबद्ध हैं। ईमेल: varsha.sivaram15@gmail.com

तालिका 1: राज्यों के बीच अर्थव्यवस्था की वृद्धि में अद्यतन प्रवृत्तियां तथा एमडीजी संकेतक

राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	औसत विकास (तीन वर्षों का औसत)	गरीबी अनुपात (2011-12)	कम वजन वाले बच्चों का अनुपात (2005-06)	माध्यमिक एनईआर (2013-14)	पुरूष/ महिला साक्षरता आनुपातिक दर (15-24 वर्ष)	शिशु मृत्युदर 2013	कुशल स्वास्थय कर्मियों द्वारा प्रसव में सहभागिता अनुपात 2009	भौगोलिक क्षेत्र में वन आच्छादन (प्रतिशत) 2013	स्वच्छता वंचित परिवारों का प्रतिशत (एनएसएस 2012)
आंध्रप्रदेश	6.15	9.2	29.8	43.56	0.92	39	95.6	16.8	38.7
अरुणाचल प्रदेश	5.64	34.67	29.7	50.12	0.9	32	71.9	80.4	10
असम	5.75	31.98	35.8	50.32	0.93	54	65.5	35.3	12
बिहार	10.31	33.74	54.9	35.98	0.8	42	53.2	7.7	67.4
छत्तीसगढ़	6.22	39.93	47.8	51.89	0.9	46	56.4	41.1	65.7
गोआ	12.16	5.09	21.3	72.91	0.99	9	99.8	59.9	6.7
गुजरात	7.81	16.63	41.1	44.88	0.92	36	85.2	7.5	34.4
हरियाणा	6.69	11.16	38.2	46.2	0.93	41	69.3	3.6	16.7
अरुणाचल प्रदेश	6.56	8.06	31.1	68.07	0.99	35	53.7	26.4	22.1
जम्मू एवं कश्मीर	5.87	10.35	24	39.56	0.85	37	82.9	10.1	35.2
झारखंड	6.94	36.96	54.6	44.38	0.82	37	47.3	29.5	73.9
कर्नाटक	4.85	20.91	33.3	54.01	0.95	31	88.4	18.8	44.8
केरल	8.10	7.05	21.2	73.79	1	12	99.9	46.1	2.3
मध्यप्रदेश	10.22	31.65	57.9	44.76	0.87	54	82.9	25.2	60.7
महाराष्ट्र	6.57	17.35	32.7	56.27	0.97	24	85.5	16.5	33.5
मणिपुर	6.87	36.89	19.5	72.89	0.95	10	82.7	76.1	0.9
मेघालय	9.06	11.87	42.9	38.29	1.02	47	65.2	77.1	3.6
मिजोरम	2.34	20.4	14.2	53.98	0.96	35	85.1	90.4	0.3
नागालैंड	7.10	18.88	23.7	40.75	0.98	18	43.8	78.7	0
ओड़िशा	5.82	32.59	39.5	47.23	0.89	51	79.1	32.3	71.8
पंजाब	5.47	8.26	23.6	47.48	0.98	26	66.7	3.5	15.6
राजस्थान	4.76	14.71	36.8	41.04	0.78	47	75.8	4.7	57.2
सिक्किम	8.75	8.19	17.3	26.14	0.98	22	69.9	47.3	0.1
तमिलनाडु	6.02	11.28	25.9	61.59	0.98	21	98.6	18.3	41.1
त्रिपुरा	8.70	14.05	35.2	87.95	0.96	26	83.1	75	1.2
उत्तरप्रदेश	5.54	11.26	41.6	36.67	0.87	50	64.2	6	16.1
उत्तराखंड	6.87	29.43	31.7	46.37	0.96	32	58.7	45.8	60.1
पश्चिम बंगाल	6.69	19.98	37.6	41.66	0.96	31	72.6	18.9	29.4
भारत	**5.60**	**21.9**	**40.4**	**45.63**	**0.91**	**40**	**76.2**	**21.2**	**43.43**

स्रोत: http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20162.pdf

नोट: पीले रंग से रंगे हुए खाने राष्ट्रीय आंकड़ों के मुकाबले निम्न प्रदर्शन वाले हैं।

जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि भारत में समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किए जाने की धारणा इस वास्तविकता से उत्पन्न हुई है कि उच्च विकास दर (2003-04 तथा 2007-08 के बीच 9 प्रतिशत से ज्यादा का औसत विकास), जो 2008 के पहले की अवधि के दौरान हासिल गई है, उससे रोजगार के ज्यादा अवसर सृजित नहीं हो सके हैं (जिसे बहुत सारे लोगों ने 'रोजगारहीन विकास' का नाम दिया है) तथा इससे लोगों के एक बड़े तबके की आजीविका समुन्नत करने में किसी भी तरह की मदद नहीं मिली। इसके अलावा, इस तरह का उच्च विकास कुछ ही क्षेत्रों में हो पाया। इस तरह, देश में क्षेत्रीय भिन्नता बढ़ती गई। तालिका-1 में राज्यवार मुख्य एमडीजी संकेतकों में उपलब्धियों के साथ-साथ उत्पादन वृद्धि की प्रवृत्तियों को भी प्रस्तुत किया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि लगभग सभी राज्यों के जीएसडीपी विकास में एक विचलन है। बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात, पिछले तीन वर्षों में 8 प्रतिशत के औसत से विकास कर रहे हैं लेकिन कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब तथा उत्तरप्रदेश जैसे राज्य औसत से नीचे की विकास दर हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ, जब हम एमडीजी पर नजर डालते हैं, तो हम पाते हैं कि बिहार की विकास दर हालांकि 10.3 प्रतिशत के औसत वाली है लेकिन एक बड़ी भिन्नता दिखाई देती है कि यहां रहने वाले गरीबों के बीच यह विकास नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि यह राज्य वो जगह है, जहां गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसी तरह की प्रवृत्तियां छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओड़िशा, राजस्थान तथा उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में भी दिखाई पड़ती हैं, जहां आठ एमडीजी संकेतकों में से कम से कम पांच संकेतक पटरी से उतरे हुए हैं तथा इन राज्यों के प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से खराब हैं। इन आठ एमडीजी संकेतकों के मध्य सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं; गोआ, केरल तथा त्रिपुरा। इन राज्यों का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर से कहीं बेहतर हैं। यहां तक कि तमिलनाडु, मिजोरम, महाराष्ट्र तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आठ संकेतकों में से सात संकेतक राष्ट्रीय स्तर से कहीं बेहतर हैं। दी गई तालिका से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी राज्यों के बीच जीएसडीपी विकास के साथ-साथ एमडीजी उपलब्धियों में भी विचलन है। इसके अलावा, यह भी साफ है कि जीएसडीपी विकास तथा एमडीजी उपलब्धियों के बीच की संबद्धता बेहद कमजोर है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच एक बड़ी असंबद्धता है।

क्या देश में विकास प्रक्रिया को सामाजिक विकास के उन्नयन की ओर लाए जाने की जरूरत है? और इस तरह के विचलन को रोकने के लिए अब तक क्या किया गया है? जबकि इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान दिए जाने को लेकर कई दृष्टिकोण हैं तथा इसे 12वें योजना दृष्टिकोण पत्र में दर्ज भी किया गया है। तीन मुद्दे जो बेहद गंभीर स्थिति में हैं, वो हैं; रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा तथा वित्तीय समावेशन।

वित्तीय समावेशन

हमारे विचार में, वित्तीय समावेशन देश में समावेशी विकास का मुख्य घटक है।

प्रधानमंत्री की जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के शुरू होने से पहले तक कई अध्ययनों में पाया गया कि देश की कुल जनसंख्या के आधे से भी कम लोगों के पास बैंक खाते थे। यह अपने आप में एक संकेत है कि आधी जनसंख्या से ज्यादा न तो विकास प्रक्रिया का हिस्सा था और न ही वितरण प्रक्रिया का भाग था।

भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, सामान्य तौर पर समाज के सभी वर्गों द्वारा मांगे जा रहे आवश्यक समुचित वित्तीय उत्पाद तथा सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित किए जाने की प्रक्रिया तथा खास तौर पर मुख्यधारा के संस्थागत कारकों द्वारा साफ तथा पारदर्शी तरीके से वहन किए जाने योग्य मूल्य पर एक निम्न आय समूहों तथा कमजोर वर्ग जैसे असुरक्षित समूहों के लिए प्रक्रिया को सुनिश्चित करना ही समावेशन है। प्रधानमंत्री की जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के शुरू होने से पहले तक कई अध्ययनों में पाया गया कि देश की कुल जनसंख्या के आधे से भी कम लोगों के पास बैंक खाते थे। यह अपने आप में एक संकेत है कि आधी जनसंख्या से ज्यादा न तो विकास प्रक्रिया का हिस्सा था और न ही वितरण प्रक्रिया का भाग था। इस लिहाज से, सरकार ने पीएमजेडीवाई में बाकी जनसंख्या को लाकर सही कदम उठाया है तथा 16.7 करोड़ लोगों को बैंकिंग नेटवर्क में सफलतापूर्वक शामिल किया है। जून 2015 के अंत तक, इस तरह के खातों में जमाराशि ₹ 20,000 करोड़ हो गई है। हो सकता है कि छोटे समयांतराल में खातों के माध्यम से बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाने में ज्यादा मदद नहीं मिले लेकिन पुनर्वितरण की नीतियों को सर्वाधिक प्रभावशाली बनाए जाने में यह नेटवर्क बहुत उपयोगी होगा।

जैम त्रिमूर्तिः खाई पाटने का बेहतरीन उपाय

कोई शक नहीं कि बैंकिंग नेटवर्क तथा बैंक खातों की संख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन गरीबों तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवा की पहुंच अब भी बहुत कम है। इस गंभीर मुद्दे को हल करने के लिए सरकार ने एक व्यापक वित्तीय समावेशन योजना (सीएफआईपी) की शुरुआत की है और इसका अनुगमन पीएमजेडीवाई करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 द्वारा इस बात पर ठीक ही प्रकाश डाला गया है कि सीएफआईपी योजना को सूचना प्रौद्योगिकी तथा आधार नेटवर्क के साथ जोड़कर पुनर्वितरण की नीति के कार्यान्वयन में आमूल चूल परिवर्तन लाया जा सकता है। इसे जैम (जन धन-आधार-मोबाइल योजना) त्रिमूर्ति का नाम दिया गया है। ऐसी त्रिमूर्ति पर आधारित आरंभिक कार्यान्वयन से स्पष्ट है कि जैम त्रिमूर्ति के जरिए समाज के सबसे नीचे के सदस्यों को भी औपचारिक वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत लाया जा सकेगा। आधार संख्या का प्रयोग करते हुए उन्हें पीएमजेडीवाई खाते खोलने में मदद मिलेगी। नेटवर्क की इस तरह के एकीकरण से निपुणता आएगी, स्कॉलरशिप, बीमा, सब्सिडी तथा पेंशन जैसे पाए जाने वाले लाभ का भी सुरक्षित अंतरण किया जा सकेगा। कुल मिलाकर, हाल ही में सरकार ने वित्तीय पहुंच के मुद्दे को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया है।

मनरेगाः अतीत की चमकती कामयाबी

सामाजिक विकास की उपलब्धि के क्षेत्र में दूसरा गंभीर मुद्दा समाज के सभी वर्गों और खंडों की आजीविका तथा रोजगार के अवसर की उपलब्धता का है। जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है, हाल के वर्षों में भारत में जो विकास हुआ है, उसे रोजगारहीन विकास

का नाम दिया जाता है और इसलिए सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जन-हस्तक्षेप की जरूरत थी। सरकार ने मनरेगा (2005) के रूप में एक रोजगार गारंटी कानून लागू किया। इसे विश्वबैंक ने ग्रामीण विकास की एक शानदार मिसाल बताई। यद्यपि, यह एक मांग चालित कार्यक्रम था, इससे उम्मीद लगाई गई कि यह अर्थव्यवस्था के लिए स्वचालित स्थिरता देने वाला होगा तथा इसके लिए यह एक जवाबी चक्रीय उपाय बनेगा।

समस्त ग्रामीण विकासों में, मनरेगा को उस तरह के बड़े कार्यक्रम के रूप में माना जाता है, जो समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा, अन्य सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम के मुकाबले मनरेगा मजबूत है, जिसमें ई-एफएमएस (इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से शिनाख्त करने की प्रक्रिया, कार्यान्वयन तथा पारिश्रमिक भुगतान के वितरण को सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संपन्न किया गया है तथा इसमें सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली के माध्यम से स्थानीय लोगों की दमदार भूमिका है। राज्यों में कार्यान्वयन के संदर्भ में मिला जुला नतीजा रहा है। बैंकिंग/पोस्टल नेटवर्क के इस्तेमाल के कारण मनरेगा को देश में चलने वाले किसी भी दूसरे कार्यक्रमों के मुकाबले सबसे ज्यादा कामयाब माना जाता है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के अंतर्गत बैंक/पोस्ट ऑफिस के जरिए पारिश्रमिक भुगतान किए जाने से ग्रामीण खाताधारकों की तादाद 8.6 करोड़ की बड़ी संख्या तक पहुंच गई है। बैंक खातों द्व ारा शुरू किए गए वित्तीय समावेशन के इस पहलू ने न सिर्फ बचत को बढ़ावा दिया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए जमा धन में भी बढ़ोतरी की। इस कार्यक्रम ने सभी समुदायों के बीच बराबरी लाने में भी मदद की। दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच बनाने में मनरेगा के पास गिनाने को बहुत कुछ है। मनरेगा को लेकर कुछ आंकड़े चकित करते हैं; कार्यरत लोगों में 81 प्रतिशत लोग कच्चे घरों में रहते हैं, 61 प्रतिशत निरक्षर हैं तथा 72 प्रतिशत लोगों के घरों तक बिजली की पहुंच नहीं है।

मनरेगा बड़ी संख्या में महिलाओं को भी मदद करता हुआ दिखता है। नवीनतम जानकारियों से पता चलता है कि पिछले आठ वर्षों में उपलब्ध कराए गए कुल रोजगार में से 53 प्रतिशत से ज्यादा रोजगार पर महिलाएं काबिज रही हैं। इससे कुछ हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। आधार आधारित अंतरण के साथ बैंकिंग नेटवर्क में सुधार जैसी हाल की पहल से न केवल आगे के कार्यक्रम की दक्षता में सुधार होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के बीच उनकी आजीविका को उन्नत करेगा।

खाद्य सुरक्षा: समय की आवश्यकता

जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारिभाषित किया है कि जब हर समय सभी लोगों की पहुंच पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक भोजन तक हो ताकि वो अपना स्वस्थ तथा सक्रिय जीवन जी सके, तो यही खाद्य सुरक्षा है। उच्च तथा तेजी से उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्था के बावजूद, जब खाद्य सुरक्षा की बात आती है, तब भारत के पास कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, कुपोषण से संबंधित बिंदु के कारण भारत में कम से कम दस लाख बच्चे पांच साल के भीतर दम तोड़ देते हैं। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा ग्रामीण समुदायों में इस तरह की कुपोषण की समस्या बहुत बड़ी है। इस संदर्भ में राज्यों के बीच मध्यप्रदेश तथा राजस्थान की हालत बेहद गंभीर है। भूख के संदर्भ में, 2014 की वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट दिखाती है कि भारत का स्थान 76 देशों मे 55वां है। यह रिपोर्ट पांच साल से नीचे के कम वजन वाले बच्चे, 5 से कम मृत्युदर तथा जनसंख्या में कुपोषण अनुपात की व्यापकता पर आधारित है।

बैंकिंग/पोस्टल नेटवर्क के इस्तेमाल के कारण मनरेगा को देश में चलने वाले किसी भी दूसरे कार्यक्रमों के मुकाबले सबसे ज्यादा कामयाब माना जाता है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के अंतर्गत बैंक/पोस्ट ऑफिस के जरिए पारिश्रमिक भुगतान किए जाने से ग्रामीण खाताधारकों की तादाद 8.6 करोड़ की बड़ी संख्या तक पहुंच गई है। बैंक खातों द्वारा शुरू किए गए वित्तीय समावेशन के इस पहलू ने न सिर्फ बचत को बढ़ावा दिया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए जमाधान में भी बढ़ोतरी की।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत ने खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) 2013 में पारित किया है। इस कानून का उद्देश्य देश की जनसंख्या के दो-तिहाई हिस्से को आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। इसे जन वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन तथा एकीकृत बाल विकास सेवा से जोड़ा गया है। उम्मीद की जाती है कि इस पहल से बच्चों समेत महिलाओं के पौष्टिक स्तर में भी सुधार आएगा। यद्यपि, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भारत की इस गंभीर स्थिति के बावजूद, कानून पारित हो जाने के बाद भी इसका कार्यान्वयन होना अभी बाकी है। इसे लेकर कुछ तर्क है और वह यह है कि हो सकता है कि इस कानून में कुछ दोष हों, हालांकि उन मुद्दों की ओर ध्यान देने तथा कार्यान्वयन में हो रही देरी खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकारी उदासीनता की ओर इशारा हैं। चूंकि यह राज्य से जुड़ा हुआ विषय है, लिहाजा कार्यान्वयन में हो रही देरी के लिए राज्य सरकारें समान रूप से जिम्मेदार हैं।

निष्कर्ष

सारांशत:, कहा जा सकता है कि हाल के वर्षों में भारत प्रगति तथा सामाजिक विकास के बीच की खाई को भरने का प्रयास करता रहा है। हालांकि इन प्रयासों की सफलता कुछ क्षेत्रों तथा समूहों तक ही सीमित है। उम्मीद की जाती है कि आधार नेटवर्क समेत सूचना प्रौद्योगिकी के साथ बैंकिंग के समन्वयन से जन वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इस तरह की एकीकृत प्रणाली से क्षेत्रों/समुदायों के बीच के अंतर को पाटने में मदद मिलेगी तथा राष्ट्र के समग्र सामाजिक विकास को हासिल करने में सहूलियत होगी। लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस अंतर को पाटने में राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका है। राज्यस्तर पर बढ़े हुए संसाधनों, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन करते हुए तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का आकार घटाने के साथ राज्यों के लिए अब महत्वपूर्ण है कि वो उपयुक्त योजनाओं की रूपरेखा बनाएं तथा उसे लागू करें ताकि सामाजिक विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। ❑

समावेशी विकास एजेंडा में एमएसएमई

पी एम मैथ्यू

एमएसएमई विकास में भारत की रणनीति मुख्य रूप से रणनीतियों की तीन पीढ़ियों से होकर गुजरी है। पहले *संरक्षण और आरक्षण* की परंपरागत रणनीति थी। इसके बाद जो रणनीति आई वह *अधिकार आधारित* दृष्टिकोण के निकट थी। उसके बाद देश में अंत में तीसरे पायदान पर हाल ही में क्षमता दृष्टिकोण आया। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत यह माना गया कि उचित क्षमताओं के उपलब्ध होने पर, देश अपने एमएसएमई क्षेत्र को विकास एजेंडा की मुख्यधारा में ले जा सकता है। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाए गए हैं जबकि दूसरी ओर कौशल और उद्यमिता विकास पर भी ध्यान है

समेकित विकास की अवधारणा 'विकास बनाम वितरण' पर वैश्विक बहस का ही एक पूरक है। बीसवीं शताब्दी के अंत में और इकीसवीं शताब्दी के शुरू में, इस बात पर आम सहमति हुई कि विकास और वितरण को अलग-अलग देखने के स्थान पर एक ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए जहां पर ये दो पहलू एक-दूसरे की पूर्ति करें। इस प्रकार समावेशी विकास की अवधारणा पर चर्चा आरंभ हुई। जहां वैश्विक सहमति और खंडित लेखन के स्तर ने उपरोक्त पंक्तियों को निर्धारित किया, तो वहीं विभिन्न देशों में मौजूद प्रथाएं एक अलग ही कहानी बताती हैं। देश की विशेष स्थिति के आधार पर, समावेशी विकास का सिद्धांत, प्रथा और आम समझ अलग अलग हो सकती है।

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) की भूमिका पर चिंतन के अपने राजनीतिक और सामाजिक सबब हैं। यह देश के स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही आरंभ हुआ था, जब प्रशासन की आत्मनिर्भर इकाइयों और एक ऐसी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की भूमिका का गठन हुआ जो स्थानीय संसाधनों, व्यापारिक अवसरों और बाज़ारों पर आधारित थी। अर्थशास्त्री महालैनोबिस के द्वारा विकसित मॉडल में, भारत में छोटे उपक्रम क्षेत्र को विकास के एक वाहक के रूप में देखा गया और अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्रों में एक सहायक भूमिका निभाने के रूप में देखा गया। हालांकि समावेशी विकास की अवधारणा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय से ही थी, पर शब्द को बहुत ही बाद में गढ़ा गया। जहां एक ओर समावेशी विकास की अवधारणा की लोकप्रियता बढ़ रही है तो वहीं सातन्य के मामले में चुनौतियां काफी हैं। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए, एक सामाजिक राजनीतिक अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थायित्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आम तौर पर स्वीकृत कारक है। स्थायित्व पर बहस भारत गति आयाम और अनुभव पर बहस का एक हिस्सा है।

विकास और वैवध्यीकरण पिछले कई दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर चुके हैं। जहां विकास अर्थशास्त्रियों का मुख्य क्षेत्र रहा है तो वहीं नीति की यह चुनौती रही है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विकास का परिणाम अधिकतर लोगों को मिले। यह इस संदर्भ में कि सामाजिक सहयोग अपेक्षित है। परंपरागत रूप से, इस सामाजिक आवश्यक भूमिका को एमएसएमई के संदर्भ में देखा गया है।

परंपरागत रूप से इस सामाजिक भूमिका का निर्वाह एक स्वचालित मार्ग के माध्यम से किया जाना था, वहीं स्थितियां हाल में तेजी से बदली हैं। जहां अर्थव्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं, वहीं ऐसे परिवर्तन में नेतृत्व और पिछड़ने वाले भी देखे गए हैं। पिछड़ने वालों को छोड़ दिया गया है। उन्हें कैसे मुख्यधारा में लाया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एमएसएमई को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना होता है।

समेकन: विभिन्न दृष्टिकोण/अवधारणाएं

समेकन पर चर्चा करते समय रणनीति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एमएसएमई विकास में भारत की रणनीति मुख्य रूप से रणनीतियों की

लेखक कोचीन स्थित लघु उपक्रम और विकास संस्थान के निदेशक हैं। वह योजना आयोग में लघु उपक्रम पर एस पी गुप्ता समिति के सदस्य तथा ब्रिटेन सरकार के विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय में शोध-अध्येता भी रह चुके हैं। साथ ही वह इंडियन माईक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राईज रिपोर्ट सीरिज के संस्थापक हैं। संप्रति वह एशियाई विकास बैंक में कौशल विकास तथा उद्यमिता सलाहकार भी हैं। ईमेल: director@isedonline.org

तीन पीढ़ियों से होकर गुजरी है। पहले *संरक्षण और आरक्षण* की परंपरागत रणनीति थी। इसके बाद जो रणनीति आई वह *अधिकार आधारित* दृष्टिकोण के निकट थी। उसके बाद देश में अंत में तीसरे पायदान पर हाल ही में क्षमता दृष्टिकोण आया। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत यह माना गया कि उचित क्षमताओं के उपलब्ध होने पर, देश अपने एमएसएमई क्षेत्र को विकास एजेंडा की मुख्यधारा में ले जा सकता है।

भारत सरकार की हाल ही में की गई नीति की घोषणा इस के विषय में संकेत देती है। एक ओर तो, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाए गए हैं। जबकि दूसरी ओर कौशल और उद्यमिता विकास पर भी ध्यान है। इन दो पहलुओं की ऊर्जा यह सुनिश्चित करने में सक्षम है कि इस देश के लोगों की रचनात्मकता और ऊर्जा का सकारात्मक और सामाजिक रूप से उपयोगी गतिविधियों में प्रयोग हो रहा है। सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। हालांकि इस के अंदर के पहलुओं को और समझा जाना आवश्यक है।

नई नीतिगत आवश्यकताओं की महत्ता

भारत में नई सार्वजनिक नीति जो सरकार और शासन के बीच में अंतर करती है, उसका देश में नीति प्रक्रिया पर बहस में बहुत ही महत्व है। अध्ययन ने दिखाया है कि भारत में सार्वजनिक नीति-निर्माण की मुख्य विशेषताएं भावी आवश्यकताओं, प्रभावों या प्रतिक्रियाओं को समझने में असफलता है, जिसे आसानी से देखा जा सकता था, इस प्रकार वे आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। अवांछित परिवर्तनों या नई सूचना के कारण नीतियां आवश्यकताओं से विपरीत अधिक संशोधित या परिवर्तित होती हैं। भारत की नीति-निर्माता संरचनाओं को अप्रभावी या सही नीति का गठन करने में कठिनाई और फिर इस पर चिपके रहने के साथ अक्षम माना गया है। (अग्रवाल और सोमनाथन 2005)।

अग्रवाल और सोमनाथन (2005) के अनुसार एक नई अच्छी नीति-निर्माण प्रक्रिया निम्न मानकों की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए:

- किसी भी क्षेत्र में विरोधाभासी समस्याएं और मुद्दे विशेषज्ञ विश्लेषण का विषय होना चाहिए।
- अन्य क्षेत्रों के साथ समतुल्य व सुभिन्न पर सूचना को रणनीतिक रूप से एकत्र करना और नीति-निर्माताओं के लिए उपलब्ध करना चाहिए;
- क्षेत्रों के अंदर और परस्पर उनके बीच के विरोधाभासी बिंदुओं को उचित तरीके से पहचाना जाना चाहिए, विश्लेषण किया जाना चाहिए और संज्ञान में लिया जाना चाहिए और वे जिन्हें लाभ होना है उनकी पहचान की जानी चाहिए और उनकी प्रतिक्रियाओं को माना जाना चाहिए।
- जो प्रभावित होने वाले हैं उनकी सलाह और संबंधित कानूनी प्राधिकरण से परामर्श के साथ निर्णय लेने चाहिए और उनमें उस क्षेत्र के ज्ञानी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए;
- जो लोग क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें रणनीतिक रूप से प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना चाहिए पर उन्हें प्रक्रिया को नियंत्रण में नहीं लेने देना चाहिए
- नीति-निर्माता और उनके सलाहकारों के पास ईमानदारी, स्वतंत्रता, बौद्धिक गहराई

देश में एमएसएमई विकास अभियानों का रिकॉर्ड पिछले छः वर्षों में कई कार्यक्रमों की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है, कार्यात्मक क्षेत्रों, उपक्षेत्रों और सामाजिक समूहों को लक्षित करता है। हालांकि एक आम धारणा है कि इस कार्यक्रम के लाभ वांछित लाभार्थियों तक उस प्रकार नहीं पहुंचते हैं जिस तरीके से या जिस समय में वे लक्षित होते हैं।

होनी चाहिए जिससे वे विविध परिप्रेक्ष्यों को एकीकृत कर सकें और एक समुचित समय में आदर्श नीति विकल्पों में पहुंचने में सहायता कर सकें।

देश में एमएसएमई विकास अभियानों का रिकॉर्ड पिछले छः वर्षों में कई कार्यक्रमों की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है, कार्यात्मक क्षेत्रों, उपक्षेत्रों और सामाजिक समूहों को लक्षित करता है। हालांकि एक आम धारणा है कि इस कार्यक्रम के लाभ वांछित लाभार्थियों तक उस प्रकार नहीं पहुंचते हैं जिस तरीके से या जिस समय में वे लक्षित होते हैं। इस संदर्भ में दो मुख्य अनिवार्यताएं होती हैं: पहले तो कार्यक्रमों का एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बिना लीकेज के इन कार्यक्रमों के वास्तविक वितरण पर ध्यान होना चाहिए।

आर्थिक सर्वे के आधार पर दिए गए संकेतों और नवीनतम केंद्रीय बजट के अनुसार, कुछ महत्वपूर्ण कदम होते हैं, जिनकी जांच गहराई से करने और समीक्षा करने की आवश्यकता है।

उद्यमिता पर ध्यान

जहां पूरी दुनिया में आज कारोबार आरंभ करने के लिए प्रोत्साहन के एक स्वीकृत मॉडल हैं, वहीं भारत में महत्वपूर्ण जनसांख्यकीय विविधताओं के साथ युवाओं को प्राथमिकता से प्रेरणात्मक कौशल प्रदान किए जाने की और फिर श्रमिक के रूप में कुशल करने की आवश्यकता है। जैसा केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वे में वर्णित है, इस दिशा में एक शुरुआत को आरंभ करने के एकीकृत दृष्टिकोण को आगे रखकर किया जा सकता है।

स्थानीय विनिर्माण पर जोर

भारत के पिछले दो दशकों में विनिर्माण क्षेत्र के पिछड़ेपन ने नीति नियंताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम और राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को उसे सही करना है। हालांकि विश्व के विनिर्माण हब के रूप में देश को स्थापित करने का लक्ष्य एक उल्लेखनीय विकास है।

विनिर्माण में भारत के नए परिप्रेक्ष्य की शुरुआत रक्षा उपकरणों पर नई नीति के साथ ही आरंभ हुई, जिसकी घोषणा मई 2014 में की गई थी। इसके बाद, स्थानीय विनिर्माण पर एक नीति की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई। एमएसएमई के लिए केंद्रीय स्थान के साथ भारत के विनिर्माण की ब्रांडिंग एमएसएमई क्षेत्र के मानसिक बल और आत्म-सम्मान को बढ़ाने के प्रति पहला कदम था।

कौशल विकास की एक नई समझ

तकनीकी और पेशेवर शिक्षा के मुख्य कदमों के बाद भी कौशल के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही गंभीर कमी है। हालांकि, इस समस्या के सभी आयामों को पूरी तरह समझा नहीं गया है और न ही नीति हस्तक्षेपों में इसे बदला गया है। हाल ही में प्रस्तुत नीति दृष्टिकोण पेशेवर आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए और इसमें अतिरिक्त उपयोगिता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण थी।

उपरोक्त दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम केंद्रीय बजट 2014 में उठाया गया था। बजट में कौशल विकास का एक एकीकृत दृष्टिकोण था। मोड्यूलर कौशल से परे, इसने

एक एकीकृत दृष्टिकोण को बताया जिसके द्वारा दोनों प्रकार के कौशल एक दूसरे के समानांतर विकसित होते गए। मुख्य कार्यक्रम 'स्किल इंडिया' को अगर उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए तो यह देश में एक बहुत ही उत्साही आंदोलन की शुरुआत कर सकता है।

विनिर्माताओं और एमएसएमई का एकीकृत दृष्टिकोण

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम और राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, ने देश में तेजी से उभरती विनिर्माण की महत्ता को प्रदर्शित किया है। हालांकि कार्यक्रम को योजनाओं में बदलने पर, रिकॉर्ड अभी बहुत उत्साह जनक नहीं रहा है। हाल ही में, तीन मुख्य कारकों को दी गई पहचान अधिक केंद्रीयकृत प्रयासों का संकेत देती है। वे हैं: 1. रक्षा उत्पादन, 2. इलेक्ट्रोनिक्स व 3. वस्त्र

केंद्रीय बजट 2014 ऐसे कार्यक्रम के साथ आया है, जिसमें अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कौशल उन्नयन और प्राचीन कलाओं में प्रशिक्षण का प्रावधान है। बजट द्वारा पोषित 'कला, संसाधन और सामानों में परंपरागत कौशल का उन्नयन' कला और शिल्प को संरक्षित करने के लिए लाया जाएगा जो एक समृद्ध विरासत है।

सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों की संभावना को प्रोत्साहित करना

बहुराष्ट्रीयतावाद निश्चित ही एमएसएमई क्षेत्र में बहुत ही बड़ी चुनौती और अवसर है। एक देश के रूप में भारत में और खास तौर पर ग्रामीण परिवेश में जाति और भाषा की कठिनाइयां उपक्रम क्षेत्र और रोजगार रणनीति में परिलक्षित होती हैं। जहां भारत की विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले समूह सशक्त हो रहे हैं और शिक्षा उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, वहीं सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों को एमएसएमई द्वारा पोषित किए जाने की आवश्यकता है। पर एमएसएमई ऐसी विविधता का पोषण करने के लिए कितनी तैयार हैं? यह सामाजिक इंजीनियरिंग और सार्वजनिक नीति का प्रश्न है।

तथाकथित 'सामाजिक हाशिया सिद्धांत' कहता है कि समाज में हाशिए पर पड़े समुदाय मुख्य धारा के समुदायों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करते हैं। वैश्विक रूप से प्रदर्शित व्यवहार पद्धति के भारत की विकास रणनीति के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों को कुछ सामाजिक संरक्षण और विशेषाधिकारों के लिए योग्य माना गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना ने इन गतिविधियों के समन्वय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। हालांकि आर्थिक विकास में इन समुदायों की आर्थिक संभावना और सामाजिक क्षमताओं का दोहन किस प्रकार किया जाए, इस प्रश्न का आंशिक रूप से ही उत्तर मिल सका है।

किसी भी समाज में किसी भी अल्पसंख्यक समाज को मुख्यधारा में आने में समस्या होती है और वे अक्सर खास आर्थिक पहचान चाहते हैं। कई दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों को शासन के द्वारा ही मुख्यधारा की गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके परिणामस्वरुप किसी भी देश में मूल और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने ही किसी खास आर्थिक गतिविधि क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए वियतनाम और इंडोनेशिया में बाटिक कला, वियतनाम में बर्तन बनाने की कला, चीन में युगुर अल्पसंख्यक समुदाय का हस्तशिल्प और वस्त्र, चीन के कजाक समुदाय द्वारा मूल खाद्य पदार्थ आदि कुछ उदाहरण हैं। भारतीय संदर्भ में मुरादाबाद में कांच का कार्य, चन्नापत्तम में लकड़ी के खिलौने बनाने की कला और कर्नाटक में उडुपी होटल ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनकी अपनी एक खास पहचान और प्रतिष्ठा है।

केंद्रीय बजट 2014 ऐसे कार्यक्रम के साथ आया है, जिसमें अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कौशल उन्नयन और प्राचीन कलाओं में प्रशिक्षण का प्रावधान है। बजट द्वारा पोषित 'कला, संसाधन और सामानों में परंपरागत कौशल का उन्नयन' कला और शिल्प को संरक्षित करने के लिए लाया जाएगा जो एक समृद्ध विरासत है। बहु-संस्कृतिवाद और अल्पसंख्यकों की महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका के बावजूद अब तक इन समुदायों को ज्ञान प्रणाली की ऐसी किसी भी मुख्यधारा में नहीं लाया गया है, जो देश में नीति-निर्माण का समर्थन करती है।

चिंता के मुख्य विषय

इन सभी परिवर्तनों के बावजूद, जैसा ऊपर कहा गया है, कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है: 1 विकास के लिए जानकारी का प्रयोग, 2 एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उद्यमिता 3. एक एकीकृत तरीके में वृहद क्षमता निर्माण, 4. व्यापारिक मामले के साथ सामाजिक सजगता का एकीकरण (सामाजिक उपक्रम का प्रचार आदि)

विकास के लिए जानकारी

तथाकथित 'विकसित अर्थव्यवस्थाओं' में त्वरित परिवर्तन एक नई गतिशीलता, नए नियमों और सफलता के लिए नए वाहकों के साथ संबंधित हैं। पिछली सदी में विश्व की अर्थव्यवस्था में एक जो परिवर्तन आया है वह है ज्ञान अर्थव्यवस्था का उदय। एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में ज्ञान का क्षेत्र पुरानी

बहु-संस्कृतिवाद और अल्पसंख्यकों की महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका के बावजूद अब तक इन समुदायों को ज्ञान प्रणाली की ऐसी किसी भी मुख्यधारा में नहीं लाया गया है, जो देश में नीति-निर्माण का समर्थन करती है।

अर्थव्यवस्था और तथाकथित नई अर्थव्यवस्था के बीच में एक अंतर बनाता है। ये देश इस्पात, ऑटोमोबाइल और सड़कों पर आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर सिलिकॉन, कंप्यूटर और नेटवर्क पर बनी नई अर्थव्यवस्था में बदल रहे हैं। यह आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को परिलक्षित करता है जो कृषि युग से आर्थिक युग में प्रवेश के युग जितना ही महत्वपूर्ण है। नई अर्थव्यवस्था भविष्य के लिए प्रतिस्पर्धा के बारे में, नए उत्पाद और नई सेवाओं का निर्माण करने की क्षमता के बारे में और व्यापार को नए क्षेत्रों में बदलने के बारे में है। जहां यह स्पष्ट है कि अतीत में नए क्षेत्रों की कल्पना नहीं की जा सकी होगी वहीं ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये नए क्षेत्र भी बेकार हो जाएं। कई महत्वपूर्ण परंतु अतिव्याप्त विषय हैं जो नई अर्थव्यवस्था को पुरानी अर्थव्यवस्था से अलग करते हैं, वे हैं: 1) ज्ञान, 2) डिजिटलीकरण 3) दृश्यीकरण (विजुअलाइजेशन) 4) मोलेक्यूलाइजेशन (एकीकरण/इंटरनेट

कार्य) 6) अ-हस्तक्षेप 7) अभिसरण 8) अभिनवता 9) परिकल्पना 10) वैश्वीकरण 11) मतभेद और 12) स्व रोजगार का उदय।

भारत में एमएसएमई विकास नीति के लंबे इतिहास के बावजूद, इस क्षेत्र के संदर्भ में जानकारी सृजन और प्रसारण के प्रति हमारे प्रयास वैश्विक मानकों से बहुत ही कम हैं। उदाहरण के लिए, परिमाणात्मक प्रतिबंधों को, जो एमएएमई के लिए एक संरक्षात्मक संरचना कार्य प्रदान करता है, हटा लिया गया। हालांकि खुले बाज़ार में भी आने से उसे फायदा नहीं हुआ जबकि उदारीकरण नीति से एक खुला मैदान मिलने की उम्मीद थी पर परिणाम इसके एकदम विपरीत हुआ। नीति स्तर पर यह बहस की गई कि इस क्षेत्र के स्थायित्व के लिए अभिनवता ही मूल मंत्र रही, इस संबंध में कार्य अपेक्षाकृत कम किए गए।

जानकारी के स्तर पर, एमएसएमई की स्थायित्वता को केवल एक ही तथ्य से नहीं मापा जा सकता है। इसके लिए अंतर-क्षेत्रीय सूत्र के लाभों की आवश्यकता होती है। यहां पर आयातित तकनीक पर मूल रूप से आधारित विकास की पुरानी अवधारणा की भूमिका बहुत ही कम है। नई अर्थव्यवस्था में, समय और स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्हें स्थानीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत प्रयोग किया जा सके। ऐसी ज्ञान प्रणाली को एकीकृत किया जाना चाहिए और उस पूरी मूल्य श्रंखला को पोषित करना चाहिए, जो एमएसएमई पर लागू होते हैं। 'मेक इन इंडिया' ऐसी ही एक रणनीतिक दृष्टि है जो इस टूटे हुए मार्ग से आगे लेकर जाती है। हालांकि एमएसएमई पर इसके क्या प्रभाव होंगे, इस पर बहस की जा सकती है।

महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उद्यमिता

परंपरागत रूप से भारत में उद्यमिता को व्यापारिक समुदायों के बीच से ही उभरने को बताया जाता है। इस विचार में 1970 में बदलाव आया जिसने सक्रिय उद्यमिता विकास नीतियों के लिए संरचित उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से मार्ग बनाया। हालांकि इसका परिणाम संस्थानों और कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता विकास को मुख्यधारा में लाना रहा, फिर भी प्रभावों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, उपायों के लिए मापदंड भी विकसित किए जाने हैं। उद्यमिता विकास अभियान में दो मुख्य घटक सम्मिलित हैं 1)- प्रोग्राम मॉडलिंग 2) कार्यक्रम की डिलीवरी। कई मूल्यांकन अध्ययन को दोनों ही मुद्दों पर प्रतिरोध बताते हैं।

देश के विशाल आकार और काफी संख्या में युवा जनसंख्या को देखते हुए, उद्यमिता विकास के लिए समझ, माप और नियोजन को विकसित करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इस संदर्भ में एक संसाधन दृष्टिकोण प्रासंगिक हो जाता है। उद्यमिता एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे संरक्षित और पोषित किए जाने की आवश्यकता है। इस अवधारणा के विपरीत नीतियों और रणनीतियों के ट्रैक रिकॉर्ड की उचित जांच किए जाने की आवश्यकता है।

एकीकृत क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण शब्द ही स्वयं में एक एकीकृत अवधारणा है। किसी भी अर्थव्यवस्था में श्रम बाज़ार की खूबियां उस क्षमता को बताती हैं, जिसे बनाए जाने की जरूरत होती है। हालांकि क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण विभिन्न हो सकते हैं।

जैसे-जैसे भारत खुद को एक ज्ञान की अर्थव्यस्था के रूप में बदल रहा है वैसे ही उसके नागरिकों को ऊर्जावान करने, प्रेरित करने और कौशलयुक्त करने की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है, विशेष रूप से युवाओं को, न केवल परिणामात्मक बल्कि गुणवत्तात्मक रूप से भी। इसके लिए संस्थानों, कार्यक्रमों और मानकों के संबंध में अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

देश में वर्तमान रूप से श्रम बाज़ार में बहुत सी असमानताएं हैं। यह देश के युवाओं को कौशलयुक्त करने पर जोर देती है जिससे अर्थव्यवस्था में उनके प्रयोग से अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में वृद्धि हो सके। इस महत्वपूर्ण तर्क को प्रधानमंत्री द्वारा गत वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उनके भाषण में बताया गया था। उन्होंने 'स्किल इंडिया' नामक एक मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत की जो देश के श्रम बाज़ार नीति के लिए एक रूप रेखा प्रदान करती है। हालांकि ऐसी नीति को विस्तार से लिखे जाने की जरूरत है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की 2014 में स्थापना 'स्किल इंडिया' एजेंडे को गति बल देने के लिए और आने वाले कुछ दशकों में इसके बढ़ते कार्यबल को रोजगार योग्य कौशल को प्रदान करने के लिए की गई है।

जैसे-जैसे भारत खुद को एक ज्ञान की अर्थव्यस्था के रूप में बदल रहा है वैसे ही उसके नागरिकों को ऊर्जावान करने, प्रेरित करने और कौशलयुक्त करने की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है, विशेष रूप से युवाओं को, न केवल परिणामात्मक बल्कि गुणवत्तात्मक रूप से भी। इसके लिए संस्थानों, कार्यक्रमों और मानकों के संबंध में अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी ही रणनीतिक अवधारणा एक राष्ट्रीय नीति के लिए आवश्यक है जो भारत के श्रम बाज़ार के एजेंडे के लिए मुख्य नियम के रूप में कार्य करती है।

हालांकि कौशल विकास को केवल अकेले करके ही नहीं देखा जा सकता है। कौशल महत्वपूर्ण है पर वह नौकरी पाने के लिए या अच्छे उद्यमी बनने के लिए जरूरी नहीं है। श्रम बाज़ार बताता है कि कौन से कौशल विकास एक महत्वपूर्ण हिस्से का निर्माण करते हैं, वे मांग के अनुसार होने चाहिए, वे रोजगार और आर्थिक विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने चाहिए। अन्य राष्ट्रीय सूक्ष्मआर्थिक नीतियों और रणनीतियों के साथ समन्वय भी महत्वपूर्ण है। इस लिए कौशल और उद्यमिता के विकास के संबंध में अभिनवता एक विकसित आय अवसरों से आई है जिनमें सम्मिलित हैं: मजदूरी पर रोजगार, स्व-रोजगार और श्रम निर्यात। मजदूरी का रोजगार जिंदा रहने के लिए आय सुनिश्चित करता है। स्व-रोजगार न केवल बने रहने के लिए जरूरी है बल्कि वह आय और रोजगार में भी वृद्धि करता है। एक एकीकृत श्रम बाज़ार नीति इन तीनों की देखभाल सुनियोजित तरीके से करने के लिए होनी चाहिए। जहां ये विभिन्न पहलू संरचनात्मक रूप से आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो वहीं इनकी देखभाल भारत सरकार के कई मंत्रालय और विभाग करते हैं और इनमें एक कार्यात्मक समन्वयन की आवश्यकता है।

यह अनुमानित है कि 2005-2012 की सात वर्ष की अवधि के दौरान केवल 21.70 लाख ही नौकरियों का सृजन हो सका है। यह इंगित करता है कि मांग के अनुपात में देश में मजदूरी के आधार पर काम करने वालों की बहुत कमी है। इसलिए नौकरी पाने वालों के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रेरणा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता में वापस लाया जा सकता है। यह उचित व्यापार विकास सेवा प्रावधानों की आवश्यकता को बताता है, जिसमें उद्यमिता में प्रशिक्षण सम्मिलित है।

कौशल विकास के लिए परिप्रेक्ष्यों को पहचानते हुए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का गठन 2009 में किया गया था। कौशल और उद्यमिता विकास पर राष्ट्रीय नीति 2015-2009 की नीति को पीछे छोडती है। इस नीति के मुख्य उद्देश हैं श्रम बाज़ार के कार्यों के लिए एक संरचना कार्य प्रदान करना, जिसमें **गति, मानक और स्थायित्व** हो। यह देश में की जाने वाली सभी कौशल गतिविधियों को एक एकीकृत संरचना प्रदान करना चाहता है, जिससे उन्हें मानकीकृत किया जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि वे बाज़ार के अनुकूल संचालित हैं। उद्देश्यों और अनुमानित परिणामों के अतिरिक्त नीति उस संस्थागत संरचनाकार्य को भी पहचानती है जो अनुमानित परिणामों तक पहुंचने में वाहक होगा। कौशल विकास एक विविध हितधारक मंच का उत्तरदायित्व है फिर चाहे वह सरकार हो, नियोक्ता और कर्मचारी हों, गैरसरकारी संगठन के लोग हों, समुदाय आधारित संगठन हों, निजी प्रशिक्षण संस्थान हो और अन्य हितधारक भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।

स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री के सपने को एक उपयोगी श्रम बाज़ार नीति के संरचना कार्य के अंतर्गत आगे बढ़ाने की जरूरत है, जहां राष्ट्रीय और प्रदेश के स्तर पर हर मंत्रालय/विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो। इन भूमिकाओं को उनकी विशेष कुशलताओं के अंतर्गत किया जाना चाहिए जिससे प्रयासों को दोहराने से बचा जा सके।

सामाजिक उपक्रम

भारत के बड़े आकार के कारण, कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं आती हैं। इन सामाजिक समस्याओं को वर्तमान संसाधनों और अवसरों के आधार पर ही हल किए जाने की आवश्यकता होती है। हर सामाजिक समस्या में कहीं न कहीं एक अवसर छिपा हुआ होता है। उद्यमी होने का एजेंडा ही यही है कि इन अवसरों का लाभ उठाया जाए। उद्यमी मूल रूप से एक मानव कौशल ही है जिसे पोषण दिए जाने की जरूरत है। सामाजिक समस्या के मामले में, छिपे हुए अवसरों को पहचानना जरूरी होता है और उसे एक उपयोगी समाधान के माध्यम से हल करना भी जरूरी होता है। इसी संदर्भ में सामाजिक उद्यमिता की महत्ता पैदा होती है।

सामाजिक उद्यमिता को ऐसे उपक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक व्यापार के रूप में संचालन करता है, सामानों का उत्पादन करता है और बाज़ार के लिए सेवाएं प्रदान करता है पर अपने लाभ को सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए भी प्रदान करता है। वे एक बदलाव के साथ लाभ पैदा करने वाले उद्यम होते हैं। गैरसरकारी संगठन द्वारा या फिर लाभ पाने वाली कंपनी द्वारा संचालित होने के द्वारा एक सामाजिक उद्यम के दो लक्ष्य होते हैं: (1) सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक परिणामों को पाने के लिए, और (2) आय कमाने के लिए। ऊपर से देखने पर कई सामाजिक उपक्रम एकदम व्यापारिक उपक्रमों की ही तरह काम करते हुए दिखाई देते हैं, पर गहराई से देखने पर कोई भी सामाजिक उपक्रम का निर्धारण करने वाली विशेषताओं को खोज सकता है: लक्ष्य है व्यापार के केंद्र में। आय सृजन के साथ एक महत्वपूर्ण समर्थन भूमिका का निर्वाह करना।

सामाजिक उपक्रम भारत के समावेशी विकास के एजेंडे में मुख्य भूमिका निभा सकता है। हालांकि किसी भी अन्य देश की तरह इसे भारत में एक कानूनी रूप से या आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिली है, हालांकि वे गरीबी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एक सामाजिक अर्थव्यवस्था एक सामाजिक रूप से उत्तरदाई तरीके में मुद्दों के लिए नए हल के लिए विकसित की गई है (सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय) और उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विकसित की गई हैं, जिन्हें अब तक निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा अनदेखा किया जा रहा था। लाभ के लिए नहीं लक्ष्य को हासिल करने के लिए समाधानों के प्रयोग के द्वारा एक सामाजिक अर्थव्यवस्था का बहुत ही बड़ा महत्व एक मजबूत, स्थाई और अमीर व समावेशी समाज का निर्माण करने में होता है। बदलती राजनीति और अर्थव्यवस्था के कारण एक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना बहुत ही कठिन है, किसी भी समय में पार्टी के आने जाने से सामाजिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है।

किसी भी सरकारी नीति को पूरा करने में सफल सामाजिक उपक्रमी निम्न उद्देश्यों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं:

- बढ़ती उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा
- सामाजिक समावेशी समृद्धि में योगदान
- पड़ोस को नया करने के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सक्षम करना
- सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नए तरीकों का प्रदर्शन करना और
- समावेशी समाज और सक्रिय नागरिकता का विकास

देश की विशालता को देखते हुए, भारत में कई सामाजिक उद्यमिता के मॉडल विकसित किए गए हैं। ये शुद्ध सरकारी से लेकर निजी तक हैं। हालांकि इस क्षेत्र में वैसे तो कई नाम हैं, फिर भी देश में राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक उद्यमिता नीति का अभाव है। पिछले दो दशकों में भारत की उल्लेखनीय विकास के बाद भी देश की बड़ी जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रही हैं। इसके साथ ही देश के 40 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। इसलिए सामाजिक रूप से लक्षित निवेशों के माध्यम से इन मुद्दों पर ध्यान देना एक मुख्य चुनौती है।

सामाजिक उपक्रम भारत के समावेशी विकास के एजेंडे में मुख्य भूमिका निभा सकता है। हालांकि किसी भी अन्य देश की तरह इसे भारत में एक कानूनी रूप से या आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिली है, हालांकि वे गरीबी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जहां यह साबित करने की चुनौती है कि एक सामाजिक उपक्रम क्या है, यह ऐसे व्यापार को विचार से अभिनवता से ऐसे व्यापार के लिए मजबूत नीतियों के लिए मार्ग प्रदान कर सकता है। इसमें निवेश, ऋण और आरंभ करने के लिए अनुदान आदि सम्मिलित हो सकते हैं जैसे टैक्स ब्रेक, भूमि, ऊर्जा और जल पर छूट। वर्तमान में कई सामाजिक उपक्रमों को उनका पैसा विदेशी निवेशकों से मिलता है। हालांकि भारत में सरकार और बड़े कोर्पोरेशन के साथ खास तौर पर मुख्य निवेशकों के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त पूंजी है।

निष्कर्ष

'समेकन' की अवधारणा को राजनीतिक नारे से कार्यआधारित अवधारणा में बदलना नीति-निर्माताओं के सामने आज बहुत ही बड़ी चुनौती है। छोटे और मझोले उपक्रम इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। ❑

PATANJALI IAS

The Most Genuine, Reliable and Result Oriented Institute

सामान्य अध्ययन-1000 अंक + वैकल्पिक विषय-500 अंक + निबंध- 250 अंक + साक्षात्कार-275 अंक = कुल अंक-2025

संपूर्ण पाठ्यक्रम की सारगर्भित एवं समयबद्ध तैयारी 'पतंजलि संस्थान' के साथ

प्रत्येक खण्ड हेतु प्रामाणिक विशेषज्ञों की अनुभवी टीम

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन बैच - 2016

निःशुल्क कार्यशाला

1 Sep 11:30 am

- नियमित कक्षाएँ
- निर्धारित समयावधि में पाठ्यक्रम का योजनाबद्ध अध्यापन
- परिष्कृत, सारगर्भित एवं सटीक सामग्री
- नियमित टेस्ट एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

2014 रिजल्ट संस्थान से संबंधित 40 से अधिक सफल अभ्यर्थी

Outshining Results in 2014

दर्शनशास्त्र

निःशुल्क कार्यशाला

3 Sep 08:45 am

JAIPUR CENTRE

RAS प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा का बैच जारी

नया बैच प्रारम्भिक परीक्षा के तुरंत बाद

दर्शनशास्त्र | निबंध | CSAT | TEST SERIES

दिल्ली एवं जयपुर के अतिरिक्त देश के किसी भी शहर में हमारी कोई भी शाखा या फ्रैंचाइजी नहीं है। अतः विद्यार्थी किसी भी भ्रामक विज्ञापन से सतर्क रहें।

HEAD OFFICE
202, 3rd Floor, Bhandari House (above post office)
Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 011-32966281, 9810172345, 7042499101, 2 , 3 , 4, 5

BRANCH OFFICE
104, 2nd Floor, Near Axis Bank
Old Rajinder Nagar, Delhi-60
Ph.: 011-45615758, 9811583851, 9555043146

BRANCH OFFICE
31, Satya Vihar, Lal Kothi, Near Jain
ENT Hospital, New Vidhan Sabha, Jaipur
Ph.: 9571456789, 9680677789

YH-109/2015

समावेशी विकास से ही बनेगा समतामूलक समाज

डिम्पल कुमारी

भारतीय संदर्भ में हमें सामाजिक असमानता की विवेचना एवं विकास की अवधारणा को आपस में जोड़कर देखना होगा। जनसंख्या और सामाजिक संरचना के अध्ययन के साथ-साथ शिक्षा, गरीबी और सेहत के सूचकांकों से साफ है कि पिछड़े सामाजिक वर्गों के लिए बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। समावेशी विकास की रणनीति निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे वास्तविक लाभार्थियों को रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके एवं सामाजिक सेवाएं बेहतर ढंग से प्रदान करके इनके जीवन स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित है। इसका मूल उद्देश्य मानव विकास तथा समतामूलक समाज का निर्माण है

समावेशी विकास व सतत विकास आज वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चर्चित विषय हैं। गत 13 जुलाई से आदिश अबाबा में शुरू हुए *विकास के वित पोषण पर संयुक्त राष्ट्र के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन* में सतत विकास लक्ष्य पर सार्थक चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र के सितंबर 2015 में होने वाले 68 वें अधिवेशन में महासभा द्वारा 17 *सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। इन पर विचार* करने और उचित कार्रवाई के लिए ओपन कार्य समूह की स्थापना की गई है जो सतत विकास लक्ष्यों का एक सेट विकसित करेगा। सतत विकास लक्ष्य की अवधारणा रियो प्लस 20 सम्मेलन का परिणाम है तथा संयुक्त राष्ट्र विकास के एजेंडे में इन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। वास्तव में विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है इससे मानव के आर्थिक जीवन में ही परिवर्तन नहीं होता वरन् इससे सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं में भी आमूल बदलाव आता है।

पाषाण युग से प्रारंभ हुई यह विकास यात्रा आज सूचना प्रौद्योगिकी और भूमंडलीकरण के दायरे में प्रवेश कर चुकी है। आज मानव साधन संपन्न नजर आते हैं और विकसित व अविकसित देशों के मध्य विभाजन रेखा धुंधली होती हुई प्रतीत होती है, परंतु समाज की बहुसंख्यक आबादी अब भी शोषण, अन्याय, उत्पीड़न, विषमता, भुखमरी, बेरोजगारी और दरिद्रता के चंगुल में फंसी हुई है। दिशा भ्रमित विकास की इस मृग मरीचिका तथा समाज पर इसके प्रभावों का ही इस आलेख में विश्लेषण किया गया है। जहां एक ओर भारतीय अर्थ व्यवस्था चहुंमुखी विकास कर रही है वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक असमानता को बढ़ावा दे रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के वेब-पोर्टल पर भारत की सफलता का वर्णन कुछ इस प्रकार है: "विश्व का सबसे बड़ा व तेजी से प्रगति कर रहा लोकतांत्रिक देश भारत आज एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है।" परंतु समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग हमारे विकास की वर्तमान प्रक्रिया से लाभांवित होने की बजाए प्रताड़ित ही हुए हैं। विकास की वर्तमान अमानवीय एवं संवेदनहीन बाज़ारवादी व्यवस्था ने हाशिए पर जीवन जी रहे समूहों के जीवन को गहराई तक प्रभावित किया है तथा उनके परंपरागत, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक ढांचे को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

भारतीय संदर्भ में हमें सामाजिक असमानता की विवेचना एवं विकास की अवधारणा को आपस में जोड़कर देखना होगा। जनसंख्या और सामाजिक संरचना के अध्ययन के साथ-साथ शिक्षा, गरीबी और सेहत के सूचकांकों से साफ है कि पिछड़े सामाजिक वर्गों के लिए बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये वर्ग देश के विकास कार्यक्रमों से प्रायः अछूते रहे हैं तथा आधारभूत संरचनाओं जैसे शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सेवा, आवागमन की सुविधा, पीने के पानी, बिजली तथा सिचांई की सुविधा इत्यादि से वंचित रह गए हैं। फलस्वरूप अगड़ों एवं पिछड़ों में रहन-सहन, अर्थोपाय, आजीविका एवं सम्मान के क्षेत्र में असमानता की खाई बढ़ती जा रही है। विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक तथा विश्व महाशक्ति बनने की ओर

लेखिका राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के समाजशास्त्र विभाग में शोधकर्ता हैं। ईमेल: diimpii@gmail.com

अग्रसर हमारा देश आज एक गंभीर आर्थिक असमानता की ओर बढ़ रहा है। पाश्चात्य सिद्धांतों पर आधारित हमारे वर्तमान विकास मॉडल में पिरामिड संरचना शीर्ष से आधार की तरफ आती है। हमारा वर्तमान विकास मॉडल ही असमानता की इस नाजुक स्थिति के लिए जिम्मेदार दिख रहा है। इन तमाम असमानताओं को दूर करने हेतु समावेशी विकास की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। समावेशी विकास से ही सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक असमानता की समाप्ति द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए विकास की संकल्पना, समावेशी विकास और समतामूलक समाज की अवधारणाओं का सूक्ष्म अवलोकन अनिवार्य हो जाता है। इन्ही अवधारणाओं को आगे विस्तार से वर्णित किया जा रहा है।

विकास, समावेशी विकास, समतामूलक समाज

विकास: विकास एक निरंतर परिवर्तनशील, गतिशील, जटिल एवं बहुआयामी संकल्पना है जिसकी अनेक सूक्ष्म विवेचनाओं के बाद भी कोई निश्चित एवं सर्वमान्य परिभाषा स्वीकार नहीं की गई है। विकास को आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, मानव विकास एवं तकनीकी विकास आदि अनेक रूपों में समझने का प्रयास किया गया है। आर्थिक क्षेत्र में विकास से तात्पर्य आर्थिक संवृद्धि, उत्पादन व जीवन स्तर में वृद्धि, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से द्वितियक या तृतीयक क्षेत्रों में रूपांतरण और अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर से होता है, तो सामाजिक क्षेत्र में इसका अर्थ समाज में शिक्षा, साक्षरता, अधिकार बोध, जीवन की सुविधाओं और गुणवता में वृद्धि से होता है, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, सफाई व चिकित्सा जैसी सुविधाओं की उपलब्धता एवं उच्च जीवन प्रत्याशा व निम्न मृत्यु दर जैसे संकेतक शामिल हैं। राजनीतिक दृष्टि से बढ़ती जनसहभागिता, विकेंद्रीकरण, मानव-अधिकार संरक्षण एवं नीति निर्माण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी विकास के अंतर्गत आते हैं। तकनीकी दृष्टि से समाज में नई तकनीकों का बढ़ना जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अत्यधिक प्रचलन ही विकास माना जाता है। इन सभी का सम्मिलित परिणाम ही विकास को एक जटिल प्रक्रिया के रूप में स्थापित करता है।

स्पष्ट है कि विकास के अनेक पक्ष एवं क्षेत्र हैं जिसे विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोष ने विकास को 'उच्चतर, पूर्णतर और प्रौढ़तर' स्थिति की ओर बढ़ना बताया है। एडवर्ड वीडनर के शब्दों में, "विकास गतिशील है, जो सदैव चलता रहता है। विकास मन की स्थिति, प्रवृत्ति और एक दशा है, जो एक निश्चित लक्ष्य के बजाए एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तन की गति है।" एफ. डब्ल्यू. रिग्ज ने विकास को विवर्तन के उभरते स्तर द्वारा सम्भाव्य सामाजिक प्रणालियों की वृद्धिमान स्वायत्तता की प्रक्रिया के रूप में माना है। जनतांत्रिक स्वरूप में विकास का अर्थ समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण है। पर गत कुछ दशकों में विकास का अर्थ व्यापक हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की परिभाषा के अनुसार "दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन, ज्ञानवान होना, एक संतोषजनक जीवन स्तर के लिए उपलब्ध पर्याप्त साधन तथा सामाजिक जीवन में भागीदारी की योग्यता ही विकास है।" सार रूप में सक्रिय प्रयत्नों, परिश्रम एवं बाह्य संपर्क से उत्पन्न वे अच्छे परिवर्तन, जो मानव का भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं वैचारिक उन्नति करके जीवन स्तर को उच्च करने में सहायक होते हैं, विकास कहलाते हैं।

भारत के अरबपतियों की दौलत पिछले 15 बरस में बढ़कर 12 गुना हो गई है। गौरतलब है कि यह वही दौर है जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुए चंद साल ही हुए हैं। उदारीकरण के दो दशक बाद अर्थव्यवस्था में अमीर व गरीब के बीच का फासला लगातार बढ़ता ही नहीं जा रहा बल्कि अमीर फल-फूल रहे हैं तो कमजोर पिस रहे हैं।

समावेशी विकास: समावेशी विकास के अंतर्गत सभी हाशिए पर स्थित और बहिष्कृत समूहों को विकास की प्रक्रिया में हितधारकों के रूप में शामिल किया जाता है। विश्व बैंक ने 2009 में अपने एक दस्तावेज में लिखा है कि समावेशी विकास में निरंतर अर्थव्यवस्था की वृद्धि, सभी क्षेत्र व देश की श्रमशक्ति शामिल हैं। समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है, बाज़ारों और संसाधनों के संदर्भ में अवसरों की समानता सुनिश्चित होती है तथा सभी के लिए एक निष्पक्ष नियामक वातावरण का निर्माण होता है जिसमें व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा व्यवसायियों और व्यक्तियों की उत्पादक क्षमता में सुधार होता है।

समतामूलक समाज: समतामूलक समाज से तात्पर्य ऐसे समाज से नहीं है जिसमें सभी वर्गों के लोग एक ही प्रकार के खाद्यान्न, वस्त्र, मकान एवं जीवन शैली जी रहे हों। इस एकरूप समाज की बजाए समतामूलक समाज एक ऐसा सामाजिक शर्म व दबाव मुक्त विविधतापूर्ण समाज होता है जिसमें सभी वर्गों को उच्च गुणवत्तायुक्त स्वस्थ व खुशहाल जीवन जीने का समान अवसर मिलता है। अमरीकी दार्शनिक जॉन राल्स लिखते हैं कि किसी समाज को तभी समतावादी माना जा सकता है जब वह समानता और एकजुटता के सिद्धांतों पर आधारित हो और वहां मानवाधिकारों का सम्मान तथा प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा की जाती हो। हमारा वर्तमान सामाजिक ढांचा सामाजिक व आर्थिक विषमताओं से भरा पड़ा है। अनेक ऐसे कारण विद्यमान हैं जिनके चलते समतामूलक समाज का निर्माण नहीं हो पाया है तथा इसी वजह से आज समावेशी विकास एक महती जिम्मेदारी एवं अनिवार्यता बन गया है।

असमानताओं के बहुआयामी कारण

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लेगार्ड ने हाल ही में रहस्योद्घाटन किया है कि भारत के अरबपतियों की दौलत पिछले 15 बरस में बढ़कर 12 गुना हो गई है। गौरतलब है कि यह वही दौर है जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुए चंद साल ही हुए हैं। उदारीकरण के दो दशक बाद अर्थव्यवस्था में अमीर व गरीब के बीच का फासला लगातार बढ़ता ही नहीं जा रहा बल्कि अमीर फल-फूल रहे हैं तो कमजोर पिस रहे हैं। क्रिस्टीना के अनुसार इन मुट्ठीभर अमीरों के पास इतना पैसा है, जिससे पूरे देश की गरीबी को एक नहीं, दो बार मिटाया जा सकता है। लेगार्ड की इस बात से पुष्टि होती है कि बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था अपनाने का लाभ चुनिंदा अमीरों को ही मिला है, गरीबों

व अमीरों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है तथा देश की अधिकांश संपत्ति चुनिंदा अरबपतियों की मुट्ठी में सिमटती जा रही है।

नेशनल सेंपल सर्वे की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबों और अमीरों के बीच की खाई निरंतर चौड़ी होती जा रही है। आज महंगाई की मार असहनीय हो गई है। दाल, सब्जी, फल, तेल, दूध, चीनी और कपड़ों की कीमत बहुत ज्यादा है। गरीबी की रेखा से नीचे जीने को मजबूर लोगों की संख्या अत्यधिक है तथा इनकी माली हालत बहुत ही दयनीय है। वैश्वीकरण और खुली अर्थव्यवस्था की डगर पकड़ने के बाद हर कीमत पर विकास की सनक का मूल्य देश की अधिसंख्यक आबादी को चुकाना पड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए विकास का ऐसा मॉडल अपनाया गया है जिसमें रोजगार वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और ज्यों द्रेंज की पुस्तक "एन अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शन" से देश के विकास के दावों और पैमानों को गंभीर चुनौती मिलती है। खुली और बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था का मोटा सिद्धांत है कि यदि गरीबों का भला करना है तो देश की आर्थिक विकास दर ऊंची रखो। इस सिद्धांत के अनुसार जब विकास तेजी से होगा तो समृद्धि आएगी और गरीबों को भी इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज केवल आर्थिक विकास के पैमाने को अपनाने का चलन खारिज किया जा चुका है।

सूचकांकों का मायाजाल

किसी देश की खुशहाली नापने के लिए अब मानव विकास सूचकांक तथा भूख सूचकांक जैसे मापदंड अपनाए जा रहे हैं और इन दोनों पैमानों पर हमारे देश की हालत दयनीय है। देश में पिछले 17 वर्ष में लगभग तीन लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आज खेती घाटे का सौदा बन चुकी है। इसी कारण 42 प्रतिशत किसान खेती छोड़ना चाहते हैं लेकिन विकल्प न होने के कारण वे जमीन जोतने को मजबूर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007-2012 के बीच करीब सवा तीन करोड़ किसान अपनी जमीन और घर-बार बेचकर शहरों में आए। कोई हुनर न होने के कारण उनमें से ज्यादातर को निर्माण क्षेत्र में मजदूरी या दिहाड़ी करनी पड़ी। इसका अर्थ यही हुआ कि आर्थिक विकास का फायदा किसानों को नहीं मिला। हमारे वर्तमान रोजगार विहीन विकास मॉडल में नई नौकरियों की गुंजाइश बहुत कम है। भारत में संपन्न बीस फीसदी तबके को गरीब अस्सी प्रतिशत आबादी के मुकाबले छह गुना ज्यादा सब्सिडी मिलती है। डीजल पर सब्सिडी के उदाहरण से यह बात बेहतर समझी जा सकती है। सस्ते डीजल की 40 प्रतिशत खपत महंगी निजी कारों, उद्योगों, जनरेटरों आदि में होती है। गरीब किसान के हिस्से बहुत कम डीजल आता है। दूसरी तरफ बड़े उद्योगों और कॉरपोरेट घरानों ने सन् 2013 तक सार्वजनिक बैंकों से लिया 12 खरब रुपये का कर्जा नहीं चुकाया। कमजोर देशों में भोजन शिक्षा और स्वास्थ्य मूल मुद्दे हैं और इन्हें मुहैया कराना हर सरकार की पहली जिम्मेदारी है।

विख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन असमानताओं व मानव क्षमताओं के अपर्याप्त उपभोग को विकास के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी मानते हैं तथा विकास सिद्धांत व नीति की व्याख्या करते हुए व्यष्टि अर्थशास्त्र अथवा विकास नीतियों के ढांचे में दोष पाते हैं। उनके अनुसार मार्किटमेनिया के लोभ और "मार्किटफोबिया" के भय से निकले बिना देश का कल्याण असंभव है। श्री सेन की धारणा है कि संवृद्धि के लिए मानव क्षमताओं को विकसित करना पड़ेगा। गरीब मुल्क आज उपयोग शून्य, पुरानी और कम उत्पादक तकनीकों की जकड़न में फंसे हुए हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007-2012 के बीच करीब सवा तीन करोड़ किसान अपनी जमीन और घर-बार बेचकर शहरों में आए। कोई हुनर न होने के कारण उनमें से ज्यादातर को निर्माण क्षेत्र में मजदूरी या दिहाड़ी करनी पड़ी। इसका अर्थ यही हुआ कि आर्थिक विकास का फायदा किसानों को नहीं मिला। हमारे वर्तमान रोजगार विहीन विकास मॉडल में नई नौकरियों की गुंजाइश बहुत कम है।

नकारात्मकता से मुकाबले के लिए समावेशी विकास

समकालीन विकास को विकास के स्थान पर विनाश की संज्ञा देने वाले कई विद्वानों के दृष्टिकोण से विकास की वर्तमान अवधारणा को विकास विरोधी चर्चा, अविकास, कुविकास, स्वकेंद्रित विकास एवं विपरीत संवृद्धि आदि नाम दिए जा सकते हैं। आज हमारे विकास में उपनिवेशवाद का नया संस्करण जन्म ले रहा है। विकास के परिणाम समाज में कुछ महत्वपूर्ण निदर्शक एवं संकेतकों- जीवन स्तर में परिवर्तन, निर्धनता में कमी, निरक्षरता व अज्ञानता में कमी, आर्थिक स्थिति में उन्नति, सामाजिक न्याय में बढ़ोतरी, समान अवसरों की उपलब्धता, पिछड़ों व अविकसित समूहों का उत्थान, जीवन सुरक्षा उपायों में वृद्धि, समाज कल्याण सुविधाओं में आशातीत प्रगति, सामाजिक, क्षेत्रीय व वर्ग असमानताओं की समाप्ति, स्वास्थ्य स्तर में विकास, पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र का यथासंभव संरक्षण, समस्त महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सहभागिता व स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति इत्यादि से मापे जाते हैं।

इन संकेतकों की कसौटी पर वर्तमान विकास मॉडल खरा नहीं उतरता है। विकास के नाम पर वास्तव में विषमता, शोषण, अन्याय, बेरोजगारी, भुखमरी, कुविकास, कुपोषण, अशिक्षा और बदहाली ही देखने को मिलती है। विकास के वर्तमान मॉडल के नकारात्मक प्रभावों ने पिछड़े एवं कमजोर समूहों के परंपरागत जीवन एवं इनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक ढांचे को गहराई तक प्रभावित किया है। समकालीन विकास प्रक्रिया के विभिन्न नकारात्मक आयाम जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व मानवीय इत्यादि कई नए प्रश्नों को जन्म दे रहे हैं जो न केवल पिछड़े समूहों के लिए बल्कि पूरी पृथ्वी व मानवता के अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न लगा रहे हैं। अत: इनका विस्तृत विवेचन आवश्यक है। यही वो मुख्य वजह है जो समावेशी विकास की पुरजोर वकालत करती है।

विकास के इस पश्चिमी-आयातित मॉडल से विकासशील देशों के पिछड़े एवं कमजोर समूहों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। विकास के लिए इन देशों में विशालकाय बांधों का निर्माण किया गया, बड़े-बड़े कारखानों के निर्माण से औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी और वनों में जगह-जगह खनन कार्यों की वजह से न केवल पर्यावरण का ह्रास हुआ, अपितु बड़ी संख्या में लोगों का उनके घरों और क्षेत्रों

से विस्थापन हुआ। ग्रामीण और खेतिहर लोगों के परंपरागत पेशों और क्षेत्रों से विस्थापित होने से गरीबों की यह आबादी समाज के हाशिए पर आने लगी। परंपरागत हुनर एवं कौशल नष्ट होने लगे और बेरोजगारी बढ़ने लगी। नई जगहों पर उनकी पुरानी सामुदायिक जीवन पद्धति नष्ट होने लगी तथा सदियों से चली आ रही संस्कृति का भी विनाश हुआ। असंतुलित विकास से संसाधन विहीन वर्गों का विकास अवरूद्ध हुआ तथा भुखमरी, बीमारियां व अकाल स्थाई लक्षण बन गए। विकास का लाभ वंचित व कमजोर वर्गों व समूहों तक नहीं पहुंचने के कारण आर्थिक विषमता एवं निर्धनता बढ़ी है। विकसित देशों के बहुराष्ट्रीय निगमों ने संसाधनों व बाज़ारों का अत्यधिक दोहन किया। गरीब राष्ट्रों के स्थानीय व कुटीर उद्योग तेजी से समाप्त होने लगे। कमजोर राष्ट्र पूंजी निवेश, ऋण सहायता, नवीन प्रौद्योगिकी, विकास एवं सुरक्षा के लिए विकसित देशों पर ही निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण एवं संस्थाएं भी ऋण लेने वाले देश पर अनुचित शर्तें थोपते हैं परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर सबल देशों का अप्रत्यक्ष प्रभुत्व व नियंत्रण स्थापित हो जाता है। बिना जिम्मेदारी की सत्ता एवं बिना आराम शोषण वाली इस व्यवस्था का प्रभाव भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी में वृद्धि एवं बढ़ती आर्थिक असमानता के रूप में परिलक्षित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी *सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट-2014* के अनुसार दुनिया के एक तिहाई गरीब भारत में रहते हैं तथा प्रतिदिन 1.25 अमेरिकी डॉलर से कम में जीवनयापन करते हैं।

भारत में जो विकास हुआ है वो पिछड़े समूहों को मूलधारा में ला सकने में विफल रहा है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास तथा तकनीकी नवाचारों से उपलब्ध प्रौद्योगिकीय उपकरणों की बढ़ती संख्या के कारण 'ई-वेस्ट' की समस्या बढ़ती जा रही है। विकसित देशों द्वारा अपने इलैक्ट्रोनिक कचरे को गरीब देशों में 'डम्पिंग' करने के कारण वहां यह समस्या ज्यादा ज्वलंत स्वरूप में उभर रही है। साथ ही विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों द्वारा अपनी पुरानी व अनुपयोगी तकनीकों का निर्यात अन्य कम विकसित देशों को किया जा रहा है।

सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो असंतुलित विकास की वर्तमान विश्व व्यवस्था में स्थानीय भाषाओं, आचार-विचारों, प्रथाओं तथा संस्कारों का विलोपन हो रहा है। अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्षरत कमजोर देशों एवं पिछड़े एवं कमजोर समूहों की परंपरागत व स्थानीय परंपराओं का भी व्यापारीकरण किया जा रहा है। वर्तमान उपभोगतावादी युग में सशक्त पाश्चात्य अर्थव्यवस्थाओं के प्रभाव के कारण संपूर्ण विश्व में अंग्रेजी भाषा, खान-पान, वेश-भूशा एवं आचार-विचारों का तेजी से प्रसार हो रहा है। सांस्कृतिक भूमण्डलीकरण की इस घटना से विश्व में सांस्कृतिक विविधता का लगातार विघटन हो रहा है।

समकालीन विकास प्रक्रिया कई दृष्टियों से उपयुक्त नहीं मानी जा रही है क्योंकि इससे जहां एक ओर पर्यावरण की व्यापक क्षति हो रही है वहीं दूसरी ओर अत्यधिक असमानता बढ़ रही हैं। विगत एक वर्ष में आई विभिन्न रिपोर्टों जैसे मानव विकास रिपोर्ट 2014, विश्व विकास रिपोर्ट 2012, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो रिपोर्ट 2013 तथा मानवाधिकार संचयिका रिपोर्ट 2012 इत्यादि का विश्लेषण करने पर समकालीन विकास प्रक्रिया के नकारात्मक प्रभाव सुस्पष्ट नजर आते हैं तथा विकास के इन नकारात्मक प्रभावों ने समतामूलक समाज के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के बन जाने के बाद ठीक ही चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी, 1950 से हर व्यक्ति को बराबर के मूल राजनीतिक अधिकार तो मिल जाएंगे किंतु सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं मिलेंगे। अत: समावेशी विकास द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना आज अत्यावश्यक हो गई है।

विकास का लाभ वंचित व कमजोर वर्गों व समूहों तक नहीं पहुंचने के कारण आर्थिक विषमता एवं निर्धनता बढ़ी है। विकसित देशों के बहुराष्ट्रीय निगमों ने संसाधनों व बाज़ारों का अत्यधिक दोहन किया। गरीब राष्ट्रों के स्थानीय व कुटीर उद्योग तेजी से समाप्त होने लगे।

समावेशी विकास से समतामूलक समाज

समावेशी विकास में आर्थिक विकास, उच्च घरेलू विकास दर तथा ज्यादा राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है जिसका लाभ समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचता है। भौगोलिक व आर्थिक असमानताएं घटती है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पर्यावरण, पौष्टिक भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं तक सभी की पहुंच समान रूप से होती है। विश्व बैंक की इंडिया डेवलपमैंट रिपोर्ट 2006 में बताया गया है कि विकास केवल आर्थिक क्रियाओं के योग का माप नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास की समावेशिता का मूल्यांकन है जिसमें आर्थिक लाभों के समान वितरण, सामाजिक सुरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता जैसे कारकों पर ध्यान दिया जाता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की धुरी 'तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत् विकास की ओर' पर केंद्रित है। इस योजना के दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है कि समावेशी विकास की रणनीति स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं तक अधिसंख्य लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों पर केंद्रित होनी चाहिए। ऐसा विकास अर्थहीन है जिसका लाभ समाज के निर्धनतम लोगों तक नहीं पहुंचता। इसी भावना के तहत उच्च आर्थिक विकास दर के साथ-साथ विकास का लाभ दबे कुचले एवं साधनहीन लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया जा रहा है। समावेशी विकास की रणनीति निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे वास्तविक लाभार्थियों को रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके एवं सामाजिक सेवाएं बेहतर ढंग से प्रदान करके इनके जीवन स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित है। इस प्रकार समावेशी विकास का मूल उद्देश्य मानव विकास तथा समाज के लोगों का अधिकाधिक कल्याण करके समतामूलक समाज का निर्माण करना है।

निष्कर्ष

भारतीय संदर्भों में समतामूलक समाज निर्माण के उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा सर्वांगीण एवं संतुलित विकास हेतु समावेशी विकास को अपनाना होगा तथा विकास के अवसरों एवं समतामूलक समाज को एक दूसरे से जोड़कर देखना होगा। भारतीय संविधान की परियोजना ऐसी त्रिकोणीय रणनीति व्यक्त करती है जिससे पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं हाशिए पर स्थित वर्गों की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सके। इनमें निम्नलिखित सूत्र हैं-

- **सुरक्षा:** वैधानिक/नियामक कार्यवाही ताकि अशक्तताओं को दूरकर समानता का प्रवर्तन

हो सके, शारीरिक हिंसा के शिकार होने की स्थिति में सशक्त दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान, ऐसी रूढ़िगत व्यवस्था का विलोपन जो उनके व्यक्तित्व एवं सम्मान को गहरा सदमा पहुंचाती है, उनके श्रम के फल पर नियंत्रण को रोकना तथा धन संपत्ति एवं संसाधनों के एक ही जगह केंद्रित होने को रोकना तथा अधिकारों एवं गारंटित लाभ के संरक्षण हेतु प्रहरियों के रूप में संस्थाओं एवं स्वायत्त निकायों की स्थापना।

- **विभेदपूर्ण प्रतिपूरक:** सरकारी नौकरियों के आरक्षण के प्रावधान का प्रवर्तन, प्रतिनिधि निकाय तथा शैक्षणिक संस्थाएं।
- **विकास:** समुदायों के बीच की आर्थिक स्थितियों एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के गहरे अंतर की भरपाई, संसाधनों का विनिधान तथा हितलाभों का निरीक्षण।

वर्तमान में सभी सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं में इन समावेशी रणनीतियों का पालन किया जाता है जिससे देश सामाजिक समता की स्थापना की ओर अग्रसर है।

समावेशी विकास के द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना के पावन उद्देश्य की सार्वभौमिक प्राप्ति हेतु सभी को संकल्प लेना होगा कि प्रत्येक भारतीय को शक्ति प्रदान करने, देश के कोने-कोने में स्थित हर परिवार तक ज्ञान और समृद्धि की रोशनी फैलाने तथा इस धरती, यहां के गांवों और शहरों के लिए, जहां सवा एक अरब से ज्यादा लोगों के सपने बसते हैं, एक उज्ज्वल भविष्य का रास्ता प्रशस्त करने के पावन कार्य को पूरा करने के लिए नए जोश से कार्य करना होगा। न्यायमूर्ति कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार समतामूलक समाज की स्थापना की लड़ाई सैद्धांतिक से अधिक व्यावहारिक है। अत: विकास के द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना हेतु व्यावहारिकता के धरातल पर कार्य करना होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने भी अमेरिका प्रवास के अवसर पर कहा है कि "देश की संतुलित एवं समग्र प्रगति हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि हम इस सामूहिक जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएंगे।" गांधी जी ने कहा था कि "इस ग्रह पर मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, पर लालच को पूर्ण करने के लिए नहीं।" अत: आवश्यकता है विकास प्रक्रिया में आर्थिक संवृद्धि के साथ 'सकल मानवीय विकास' एवं 'सकल पर्यावरणीय उत्पाद' जैसे पहलुओं को जोड़कर समानता युक्त, सतत् एवं समावेशी विकास की ओर बढ़ने की, ताकि मानव हित में समतामूलक समाज की सुनिश्चित प्राप्ति द्वारा, बेहतर आज का निर्माण हो सके और सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सके। ❑

संदर्भ

1. **राजस्थान पत्रिका,** जयपुर, 13 जुलाई 2015 एवं अधिकारिक वेबसाइट https://sustainable development.un.org/ से
2. **राजकुमार सिवाच व राजपाल भुल्लर:** विकास एवं समृद्धि की अवधारणा: मृग मरीचिकाया सामाजिक उत्थान, ''लोक प्रशासन'' अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, वर्ष 3, अंक 2, जुलाई-दिसंबर 2011
3. **पूनम कुमारी:** सुशासन एवं मीडिया की भूमिका, योजना हिंदी, भारत सरकार, नई दिल्ली, जनवरी 2013, पृ. 48
4. **नूतन मौर्या:** विकास की अवधारणा, योजना हिंदी मासिक, नई दिल्ली, जनवरी 2014, पृ. 38
5. **पूनम कुमारी:** विकास एक मानवाधिकार, नई दिशाएं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली, 2013 पृ. 123
6. **एडवर्ड वीडनर:** डवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन: ए न्यू फोकस ऑफ रिसर्च, फेरल हेडी एवं सिविल स्टोक्स (संपादित) पेपर्स ऑन कम्पेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, 1962, पृष्ठ-99
7. **फ्रेड डब्ल्यू रिग्ज़:** डवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया, 1970, पृष्ठ-72
8. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अधिकारिक वेबसाइट www.undp.org
9. **विश्व बैंक के दस्तावेज,** अधिकारिक वेबसाइट http://www.worldbank.org/ से
10. **के.जी. बालाकृष्णन:** सपना समतामूलक समाज का, योजना हिंदी जर्नल, भारत सरकार, नई दिल्ली, अप्रैल 2011, पृ. 6
11. **क्रिस्टीना लेगार्ड** (प्रबंध निदेशक, आईएमएफ)
12. **अमर्त्य सेन, ज्यों द्रेंज:** एन अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शन, प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू जर्सी, 2013
13. **क्राइम रिपोर्ट:** नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नई दिल्ली, 2010
14. **सिलवाना डीपी, गैरी एडी:** रिगैनिंग ग्रोथ टुवार्डस डवलपमैंट थ्योरी, जैड बुक्स, लंदन, 2005
15. **विन्सैन्ट टुकर:** द मिथ ऑफ डैवलपमैंट: ए क्रिटीक्यू ऑफ यूरोसैन्ट्रीक डिस्कार्स, क्रिटिकल डैवलपमैंट थ्योरी जैड बुक्स, लंदन, 1999
16. **नूरिना हर्ट्ज:** द साइलेंट टेक ओवर, प्री प्रेस, नई दिल्ली-110001
17. **सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट-2014,** संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, 2014
18. **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम** द्वारा जारी मानव विकास रिर्पोट, 2014
19. **आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11,** वित्त मंत्रालय भारत सरकार, अध्याय-12, पृष्ठ 291-311
20. **बारहवीं पंचवर्षीय योजना** का दृष्टिकोण पत्र, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली-110001
21. **कुलदीप फड़िया:** लोक प्रशासन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली की अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका, जुलाई-दिसंबर 2011
22. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** की अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण रिपोर्ट, नई दिल्ली, 2004
23. **जनता के लिए रिपोर्ट** 2012-13, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110001
24. **नरेन्द्र मोदी (भाषण):** वेबसाइट- http://www.pmindia.nic.inls।

(पृष्ठ 12 का शेषांश)

संदर्भ''। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, अंक. 48, सं. 7, 16 फवरी, 2013, पृष्ठ 77-83।

अनंत एस और ओंकु, सबरी (2014), ''आंध्र प्रदेश से बिजनेस कॉरसपोंडेंट मॉडल के आकलनों के जरिय बैंकिंग सेवाओं में विस्तार पर एक दृष्टि'' इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, अंक 49, संख्या 8, 22 फरवरी, 2014, पृष्ठ- 49-58।

दाधीच, सी एल (2014), ''सार्वत्रिक वित्तीय समावेशन की ओर'', इंडियन बैंकर, अंक 1, संख्या-6, पीपी. 19-22

भारत सरकार (2008), ''वित्तीय समावेशन पर रिपोर्ट'' (अध्यक्ष: डॉ. सी. रंगराजन)।

भारत सरकार (2014ए), ''वार्षिक रिपोर्ट 2014-15'', इंडिया पोस्ट, अक्टूबर।

भारत सरकार (2014सी), ''प्रधानमंत्री जन धन योजना: वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन'', अगस्त।

भारत सरकार (2015ए), ''प्रधानमंत्री जन धन योजना: प्रगति रिपोर्ट'', मई।

भारत सरकार (2015बी), ''एपीवाई/पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई का सारांश'', 25 जून, 2015। http://jansuraksha.gov.in/Reports.aspx

निकोल्सन, एफ.ए (1895), मद्रास प्रेजीडेंसी में भूमि और कृषि बैंकों को शुरू करने की संभावना के संबंध में रिपोर्ट, अंक 1, मद्रास, सरकारी प्रेस।

भारतीय रिजर्व बैंक (2008): मुद्रा (करेंसी) और वित्त पर रिपोर्ट।

भारतीय रिजर्व बैंक (2011): 'भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी, 2010-11'।

भारतीय रिजर्व बैंक (2014): '2013-14 वार्षिक रिपोर्ट', अगस्त।

भारतीय रिजर्व बैंक (2015), 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट', जून।

सिंह, सी, (2015): 20 वर्षीय समावेशन योजना-मील के पत्थर, जमीनी प्रतिपुष्टि और निगरानी, स्कोच, आगामी।

सिंह, सी. और जी नाइक (2015): भारत में वित्तीय समावेशन: गुब्बी के मामले का अध्ययन, आगामी डब्ल्यूपी, आईआईएमबी http://pmjdy.gov.in/Pdf/PMJDY%20Press%20Note%20-%2020.01.2015%20(English).pdf

जागो ग्राहक जागो

शुद्ध प्रयोग करें आश्वस्त रहें

खाद्य वस्तुओं में खाद्य मिलावट का पता लगाने के उपाय

क्र.सं.	खाद्य वस्तुएं	मिलावट	जांच/पता लगाने का तरीका
1.	वनस्पति तेल	अरंडी का तेल	साफ सूखी परखनली में 1 मि.ली. तेल लें। इसमें 10 मि.ली. अमलीकृत पेट्रोलियम डालें। दो मिनट तक तेजी से हिलाएं। अमोनियम मोलिबडेट रिजेंट की एक बूंद मिलाएं। नमूने में गंदलापन अरंडी के तेल की उपस्थिति को बताता है।
		आरजीमोन तेल	नमूने की 5 मि.ली. मात्रा में 5 मि.ली. सांद्रित नाईट्रिक एसिड (HNO_3) मिलाएं, ध्यान से हिलाएं। पीले और संतरी रंग को अलग-अलग होने दें। एसिड की निचली परत में क्रिमसन रंग मिलावट को दर्शाता है।
2.	गेहूं का आटा	अत्यधिक रेत और धूल	नमूने की थोड़ी सी मात्रा के साथ लगभग 10 मि.ली. कार्बन ट्रेटाक्लोराइड (CCl_4) मिलाकर हिलाएं और उसे स्थिर रहने दें। कंकड़ और रेत तली में एकत्रित हो जाएंगे।
		अत्यधिक भूसी	पानी की सतह पर छिड़कें। भूसा पानी में तैरने लगेगा।
		चाक पाउडर	तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक एसिड (*HCl*) के साथ नमूने को मिलाकर हिलाएं। बुलबुले उठना चाक पाउडर की उपस्थिति को बताता है।
3.	खाद्यान्न	छुपे कीट संदूषण	निंहाड्रीन रिजेंट (1% अल्कोहल) से गीला किया हुआ एक फिल्टर पेपर लें। कुछ दाने इसके ऊपर डालें और फिल्टर पेपर को मोड़ दें और हथौड़े से दानों को तोड़ें। नीला जामुनी रंग छुपे हुए कीट संदूषण की उपस्थिति को दर्शाता है।

DAVP 08101/13/0014/1516

सत्यमेव जयते

द्वारा जनहित में जारी
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
वेबसाइट : **www.consumeraffairs.nic.in**

उपभोक्ता संबंधी मुद्दों के संबंध में किसी प्रकार की सहायता/स्पष्टीकरण के लिए
1800–11–4000
(टोल फ्री) नंबर पर कॉल करें।
आप अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए
www.nationalconsumerhelpline.in और
www.core.nic.in (टॉल फ्री नंबर 1800–11–4566) पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं।
भ्रामक विज्ञापनों के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए **www.gama.gov.in** पर लॉग ऑन करें।

YH-107/2015

समावेशी विकास में कृषि के मायने

भुवन भास्कर

हमारे देश में कृषि गृहस्थ जीवन और युवाओं के लिए बोझ के तौर पर देखा जाता है। कृषि से दूर जाते युवाओं के शहरों की तरफ आने से शहरों में स्लम जनसंख्या और ढांचागत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर नई योजनाएं सफल हो जाती हैं तो ये आशा जताई जा सकती है कि हवा का रुख बदलेगा और समावेशी विकास का सपना एक स्थायी जमीन तलाश सकेगा

कृषि को केंद्र में रखे बिना हमारे जैसे कृषक समाज में कोई भी विकास योजना सफल नहीं हो सकती। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक देश के तौर पर दुनिया में हम खाद्य पदार्थों के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं और खाद्य सुरक्षा के कारण हमें ये करना जरूरी है। बल्कि एक तथ्य ये भी है कि हमारी आधी से ज्यादा आबादी का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन कृषि क्षेत्र से संबंधित है। इसके बावजूद ये यकीन करना बेहद मुश्किल है कि आज हमारी कृषि बुरे दौर से गुजर रही है। इसकी जड़ें आजादी मिलने के बाद के वक्त से आसानी से खोजी जा सकती हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, 'मैं सभी तरह की इंडस्ट्री, स्टील प्लांट्स का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कृषि किसी भी दूसरी इंडस्ट्री से मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है।'

नेहरू का ये बयान साधारण नहीं था। आने वाले सात दशकों तक कृषि के संबंध में बनने वाली राष्ट्रीय नीति के लिए इस बयान ने 'प्रस्तावना' का काम किया। हर सरकार ने कृषि के महत्वपूर्ण होने की बात तो कही, लेकिन जब नीति बनाने की बात आती तो इसे संघर्ष करने के लिए किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाता। हालांकि नेहरू ने बाद में ऐलान किया कि उद्योग आधुनिक भारत के मंदिर के समान हैं और इसी के साथ आजाद भारत में कृषि का भविष्य उपेक्षा की ओर बढ़ चला।

कृषि क्षेत्र की तरफ उदासीनता से दो तरह के परिणाम निकले। पहला, हम उत्पादकता और पैदावार विविधता में नकरात्मक पहलू की ओर बढ़ते रहे। दूसरा, दो तिहाई से ज्यादा भारतीय जनसंख्या आर्थिक-सामाजिक पैमानों पर 'फिसड्डी' ही रह गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कृषि उनकी आजीविका का एक मात्र साधन था। इसके साथ ही आधारभूत अवसंरचना, सिंचाई, फसल तैयार होने के बाद की सुविधाएं, बेहतर ऋण जैसी सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी वजह रही। अंतिम परिणाम और प्राप्त आय से शहरी और ग्रामीण भारत के बीच दरार ज्यादा गहरी होती रही।

1960 के शुरुआती दौर में भारत अकाल के भयानक दौर से गुजर रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री देश को सफलतापूर्वक हरित क्रांति की तरफ ले गए। हरित क्रांति से लाभ लेते हुए भारत कई तरह की फसलों के उत्पादन और आत्म निर्भर बनने की ओर काफी आगे बढ़ा लेकिन ये क्रांति भविष्य और जनादेश के लिहाज से सीमित ही थी। इसका मुख्य मकसद प्रति एकड़ उत्पादकता को बढ़ाना था। इसे कभी भी समावेशी विकास और सामजिक बदलाव के औजार की तरफ संभावना के रूप में नहीं देखा गया। जिसके चलते ज्यादा खाद, रसायन और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कृषि के लिए किया जाने लगा। फलस्वरूप, भूमि की उत्पादकता तो बढ़ी लेकिन कृषि की लागत भी उसी क्रम में बढ़ी। हमने धीरे धीरे रसायन का तेजी से इस्तेमाल किया और अब हरित क्रांति के सबसे बड़े लाभार्थी पंजाब को कम उत्पादकता का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही किसानी की लागत और फसल में विषैले तत्व भी बढ़े हैं।

लेखक वित्तीय और विकास पत्रकार हैं। आपने सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस और इकनॉमिक टाईम्स के साथ काम किया है। इस वक्त आप एनसीडीईएक्स के साथ जुड़े हुए हैं। ईमेल: bhaskarbhuwan@gmail.com

वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय कृषि में फसल तैयार होने के बाद के पहलुओं पर विचार किया। सरकार ने कृषि उत्पादन बाज़ार समिति अधिनियम का प्रचार किया लेकिन वक्त बीतने के साथ इन समितियों पर स्थानीय नेताओं की पकड़ हो गई और वे किसानों को उत्पादन के बदले सही कीमत दिलवाने की जिम्मेदारी को प्रोत्साहन देने का काम करने लगे। इस वक्त यह अधिनियम बहस का विषय बना हुआ है और वित्त मंत्रालय ने पहले ही फलों और सब्जियों को इस अधिनियम की लिस्ट से हटा दिया है। सामाजिक बदलाव और समावेशी विकास की दिशा की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को सफलता नहीं मिल पाई, हालांकि इसके बाबत कदम उठाए गए थे।

भारतीय कृषि के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब केंद्र सरकार ने न सिर्फ कृषि को देश के खाद्यपूर्ति के संदर्भ में तरजीह देनी शुरू की है, बल्कि इसे देश के आर्थिक-सामाजिक संकेतक के रूप में देखना शुरू किया है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण विकास मानकों और योजनाओं को शुरू किया है। जिसके सफल हो जाने पर भारतीय कृषि के कृषकों को लाभ मिल सकेगा। ऐसे मानकों और योजनाओं पर एक नजर:

भारतीय कृषि के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब केंद्र सरकार ने न सिर्फ कृषि को देश के खाद्यापूर्ति के संदर्भ में तरजीह देनी शुरू की है, बल्कि इसे देश के आर्थिक-सामाजिक संकेतक के रूप में देखना शुरू किया है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण विकास मानकों और योजनाओं को शुरू किया है।

- **राष्ट्रीय कृषि बाज़ार:** केंद्र सरकार ने हाल ही में इस पहल को शुरू किया है, जिसके बाद फसल तैयार होने के बाद के प्रबंधन की तस्वीर में काफी कुछ बदल सकता है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के प्रचार के लिए केंद्रीय योजना एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 2 जुलाई 2015 को अपनी मंजूरी दी है। सरकार 585 थोक विक्रेता बाज़ारों का देशभर में एकीकरण करने पर विचार कर रही है। सरकार इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने के साथ 2015-16 से 2017-18 के 3 वर्षों तक 200 करोड़ रुपये का बजट रखेगी। सीसीईए की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा, 'अब से पूरे राज्य के लिए एक ही लाइसेंस होगा, सिंगल प्वाइंट उगाही होगी। कीमतों के निर्धारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामियां होंगी। इसका प्रभाव ये होगा कि पूरा राज्य एक बाज़ार बन जाएगा और टुकड़ों में बंटे बाज़ार राज्य के अंतर्गत आने से उन्मूलन की ओर बढ़ेंगे।' इस योजना में चालू वित्तीय वर्ष में 250, 2016-17 में 200 और 2016-17 में 135 मंडियों को कवर किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बाज़ार तैयार होने के बाद राज्य के अंतर्गत बिन जोड़ और रुकावट के कृषि माल को जगह मिल पाएगी। किसानों के लिए बाज़ार का दायरा बढ़ेगा, ऐसे में किसान बंद बाज़ार में सिमटे नहीं रह जाएंगे। राज्य और राष्ट्रीय बाज़ारों को एक रूप देने से किसानों के बेहतर कीमत, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला, बर्बादी में कमी और प्रवाह मुक्त राष्ट्रीय बाज़ार बन सका। सरकार के मुताबिक, ऐसा कॉमन ई-प्लेटफॉर्म के प्रोविजन्स से हो सकेगा।

  यह प्लेटफार्म किसानों के समक्ष बाज़ार की अनुपलब्धता के कारण बिचौलियों द्वारा उनका हिस्सा हड़पे जाने की समस्या से निजात दिला सकेगा। राष्ट्रीय ई-मार्केट सर्विसेज (आरईएमएल) लिमिटेड कर्नाटक सरकार तथा एनईएमएल की 50-50 फीसदी भागीदारी वाली संयुक्त कंपनी है। एनईएमएल कमोडिटी एक्सचेंज एनएसडीईएक्स की 100 प्रतिशत सब्सिडियरी है। आरईएमएस ने कर्नाटक में एकल लाईसेंसिग प्रणाली के जरिए 155 में से 55 विपणन क्षेत्रों का समेकन कर एक मिसाल पेश की है। भारत सरकार ने 2014-15 आर्थिक सर्वे में इसे राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के मॉडल के तौर पर बनाया। जिसके बाद कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इस साल जुलाई के दूसरे हफ्ते में 23 राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ कर्नाटक मॉडल की कार्यविधि को दिखाते हुए बैठक की।

- **मृदा स्वास्थ्य योजना:** गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनावी अभियान के दौरान इसका प्रचार किया। और सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार के पहले बजट में इस योजना को शामिल किया गया। वित्त मंत्री ने इस योजना के लिए 156 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा, जिसमें से 56 करोड़ रुपये 100 मोबाइल सॉयल टेस्टिंग लैब देशभर में बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। इसी साल 19 फरवरी को प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सूरतगढ़ से 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' लॉन्च की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबी दूर करने के लिए कृषि को सहायक उपकरण की तरह देखती है। और इसी राह पर चलते हुए इस साल बजट में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए। 28 अप्रैल को कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, मिट्टी के 2.53 करोड़ सैम्पल 2015-16 के दौरान एकत्र किए जाएंगे। राज्यों को इस खर्च का 50 फीसदी उठाना होगा। सैम्पल एकत्र, जांचने, कैमिस्ट के परीक्षण, स्टाफ, किसानों और वर्कशॉप में करीब 192 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें से केंद्र सरकार 96 करोड़ रुपये का सहयोग करेगी। सरकार ने ये ऐलान किया है कि आने वाले 3 वर्षों में 14.5 करोड़ किसानों को कार्ड मुहैया कराए जाएंगे।

हालांकि देश के कुछ हिस्सों में अब भी हेल्थ कार्ड स्कीम चल रही है। इसे कभी राष्ट्रीय आंदोलन की तरह नहीं लिया गया। कृषि जगत में स्थायित्व विकास देने के लिए ये एक प्रंशसनीय कदम है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की जमीन से सैम्पल लेकर लैब में जांच की जाती है। जांच के बाद किसानों को अस्पताल की ओर से एक हेल्थ कार्ड मुहैया कराया जाता है।

हालांकि देश के कुछ हिस्सों में अब भी हेल्थ कार्ड स्कीम चल रही है। इसे कभी राष्ट्रीय आंदोलन की तरह नहीं लिया गया। कृषि जगत में स्थायित्व विकास देने के लिए ये एक प्रशंसनीय कदम है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की जमीन से सैम्पल लेकर लैब में जांच की जाती है। जांच के बाद किसानों को अस्पताल की ओर से एक हेल्थ कार्ड मुहैया

कराया जाता है। खाद या कीट नाशक दवाओं के इस्तेमाल की बजाय कृषि की जरुरतों और कार्ड के हिसाब से अपनी जमीन की मिट्टी की जरुरतों को समझ खेती कर सकता है। इससे न सिर्फ कृषि करने में लागत में कमी आएगी बल्कि इससे उनको मिट्टी के हिसाब से फसल चुनने में भी मदद मिलेगी।

तालिका 1: विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई निधि

योजना	समय अवधि	सिंचाई निधि*
पांचवीं योजना	1974-78	23.25 प्रतिशत
छठी योजना	1980-85	20.85 प्रतिशत
सातवीं योजना	1985-90	11.85 प्रतिशत
आठवीं योजना	1992-97	18.48 प्रतिशत
नौवीं योजना	1997-2002	14.93 प्रतिशत

* कुल राज्य योजनाओं में सिंचाई के लिए फंडिंग *स्रोत: योजना आयोग*

- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:** किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं और प्रत्येक किसान के खेत की सिंचाई के लिए बजट 2015-16 में 5300 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा योजना, वॉटरशेड विकास, माइक्रो सिंचाई जैसी योजनाओं को सहयोग देने के लिए करीब 5623 करोड़ रुपये रखे गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारतीय जनता पार्टी का अहम चुनावी वादा था। जेटली ने बजट 2014-15 में इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट रखा था, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 जुलाई को सीसीईए की बैठक में इस स्कीम के लिए 2015-16 से 219-50 तक पांच साल के लिए 50 हजार करोड़ से रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी गई।

सीसीईओ के बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य फील्ड लेवल पर सिंचाई के निवेश का अभिसरण (कंवर्जेंस), हर खेत को पानी, पानी की उपयोगिता को बेहतर करना, पानी बर्बाद होने से रोकना और तकनीक का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा नगर निकाय से मिलने वाले पानी और सिंचाई के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना इसमें शामिल है।

इस स्कीम की उपयोगिता और परिणाम के मानदंड को इस एक तथ्य से जाना जा सकता है कि कुल फसल में से 56 फीसदी हिस्से में ही कृषि सिंचाई संभव हो पाती है। यहां तक कि साल 1997-98 के दौरान करीब 40.5 फीसदी क्षेत्र में सिंचाई की जा सकी। सिंचाई की महत्ता को जानते हुए पिछली सरकारों ने क्षेत्रों (बॉक्स देखें) को इग्नोर किया। फलस्वरूप, साल 2000-01 से 2011-12 के बीच सिंचाई योग्य कुल क्षेत्र सिर्फ 5.8 फीसदी बढ़ सका। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सिंचाई योग्य कुल भूमि 40.5 से बढ़कर 46.34 पर पहुंच गई है। (योजना आयोग)

सीसीईओ के बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य फील्ड लेवल पर सिंचाई के निवेश का अभिसरण (कंवर्जेंस), हर खेत को पानी, पानी की उपयोगिता को बेहतर करना, पानी बर्बाद होने से रोकना और तकनीक का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा नगर निकाय से मिलने वाले पानी और सिंचाई के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना इसमें शामिल है। इस तरह से सिंचाई के खर्चे का विकेंद्रीकरण का तीन योजनाओं को एक ही छतरी के अंदर लाने की कोशिश की गई है। कैबिनेट कमेटी के इस योजना को मंजूर करने के बाद कृषि मंत्री ने कहा, 'इस स्कीम का एक उद्देश्य सभी मंत्रालयों, विभागों, एजेंसों, वित्तीय संस्थानों को पानी के रिसाइकिल और इस्तेमाल किए जाने को लेकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन सके, ताकि 'जल चक्र' को लेकर घरों, कृषि और उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए बजट आवंटित किया जा सके।' इस स्कीम ने स्थायी सिंचाई और संरक्षण के लिए स्थायी मॉडल पेश किया है और सामाजिक विकास के लिए काफी आगे जा सकता है।

प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा योजना में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) में 30 हजार करोड़ रुपये किसानों को सिंचाई के लिए आने वाले तीन साल तक की समय अवधि के लिए उपलब्ध कराए हैं। बैंक ने इस साल अब तक करीब एक हजार करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं।

- **मूल्य संतुलन निधि:** आलू और प्याज की कीमतों में अस्थिरता किसानों के लिए वर्षों से आंख की किरकिरी साबित हुई हैं। ये सब्जियां भंगुर (जल्दी खराब होने वाली) होती हैं और भंडारण की उचित व्यवस्था के अभाव में ये मुनाफाखोरों के हथकंडों का शिकार हो जाती हैं, जिससे मूल्यों में तेजी देखने को मिलती है। इस तरह से किसान अपनी फसल को मजबूरी में कम दामों में बेच देते हैं और वहीं दूसरी तरफ बिचौलिए मुनाफा कमाते हैं। इसी संदर्भ में सरकार ने 500 करोड़ के जोरदार संग्रह के साथ गठन किया। बाद में दूसरे भंगुर खाद्य पदार्थों को भी इसमें शामिल किया गया। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, ये सामग्रियां अब किसानों से सीधा मंडी या फार्म गेट तक ले जाई जाएंगी और सही कीमतों में ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।

स्मॉल फॉर्मर्स एग्री बिजनेस कंजोरटियम कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक विभाग है। देश भर की फॉर्म प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन में साल 2014 में एक नई विंग दिल्ली किसान मंडी का गठन किया। इस विंग का काम किसानों से खरीददारों के बीच सीधा संपर्क करवाने से है। गठन के एक साल के भीतर ही अलग अलग संगठन के जरिए एक हजार टन से ज्यादा सब्जी दिल्ली किसान मंडी बिक्री करवा चुकी है।

प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा योजना में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) में 30 हजार करोड़ रुपये किसानों को सिंचाई के लिए आने वाले तीन साल तक की समय अवधि के लिए उपलब्ध कराए हैं। बैंक ने इस साल अब तक करीब एक हजार करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं।

- **कृषि ऋण:** दिल्ली में बैठी सरकारों के लिए किसानों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाना मुश्किल काम रहा है। स्थानीय ऋणकर्ताओं का लोन न चुकाने पर किसानों की आत्महत्या की खबरें हम सभी ने सुनी हैं। वित्तीय समस्याओं से जूझने के बावजूद सरकार ने कृषि फंडिंग का लक्ष्य 50 हजार करोड़ से बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।
- **डीडी किसान चैनल:** किसानों के लिए नए विकल्प, सुविधाएं, मौसम की जानकारी

तालिका 2: विभिन्न किसान सुरक्षा योजनाएं

योजना का नाम	आरंभ वर्ष	समापन वर्ष	मुख्य फीचर्स	अभ्युक्ति
कॉम्प्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम	NA	1997	अगर स्कीम में आने वाले क्षेत्र में वास्तविक उपज गारंटी उपज से कम रह जाती है तो किसानों को सिर्फ उतना भी मुआवजा मिलेगा, जितने पर उपज कम हुई हो।	पूरे भारत में 1623 करोड़ के दावे में से गुजरात को 792 करोड़ रुपये दिए गए।
एक्सपेरीमेंटल क्रॉप इंश्योरपेंस	1997-98	1997-98	छोटे और हाशिए के किसान, जो एक खास तरह की फसल उगाते हों, कुछ ही जिलों में इसके अंतर्गत आते थे।	इस योजना में हासिल प्रीमियम करीब 3 करोड़ रुपये और दावा करीब 40 करोड़ रुपये का किया गया था।
फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम	2003-04	2003-04	लक्षित उपज और सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस के लाभार्थी किसान को गारंटी के साथ लाभ मिल सके।	–
नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम	1999-2000	फिलहाल कार्यरत	सभी तरह की फसल, उपज, दालें, लोन लेने वाले किसान, लोन न लेने वाले किसान, कृषि से जुड़े ज्यादातर मामलों में ये इंश्योरेंस लागू होता है।	–

उपलब्ध कराने के लिए एनडीए सरकार ने किसान चैनल लॉन्च किया है। किसान चैनल से किसानों को सूचना युग में जरूरी बातों की जानकारी दी जाएगी। ये काफी अभूतपूर्व पहल है और ढंग से चलाए जाने पर बड़ी खाई को पाट सकती है।

- **कृषि बीमा:** 12 जुलाई 2015 को वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार एक नई कृषि इंश्योरेंस स्कीम पर काम कर रही है, जिसमें किसानों से जुड़े सभी इनपुट्स को शामिल किया जाएगा। इतिहास में किसानों के लिए लॉन्च की ऐसी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। भविष्य में आने वाली योजनाओं के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि एक प्रभावी और कार्यान्वित बीमा योजना में किसान के सुझाए बेसिक्स इनपुट्स और एक से ज्यादा बार अनिश्चितता की घटनाओं को कवर करेगी। सरकार अगर किसानों को मजबूत लोन स्कीम देने में सफल हो जाती है तो ये ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम करेगी। दुर्भाग्य से अब तक सारी योजनाएं (तालिका-2 देखें) विफल कही जा सकती हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एचआर खान ने कहा, 'हमारे पास नेशनल इंश्योरेंस है। हमने नेशनल इंश्योरेंस को ठीक करने का काम किया है और अब हम मौसम आधारित इंश्योरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों के लिए अहम मुद्दा इनकम इंश्योरेंस पर भी इन दिनों बात हो रही है।'
- **माल भंडारण:** सरकार ने सही तरीके से प्रभावी माल भंडारण की जरुरतों को समझा और पहचाना है। सरकार ने इस बाबत 5 हजार करोड़ रुपये का अपने पहले ही बजट में प्रावधान भी किया। *इंस्टीट्यूशन और मैकेनिकल इंजीनियर्स* की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक, 2.1 करोड़ टन गेंहू हर साल खराब हो जाता है। ये देश में गेंहू के कुल उत्पादन का 22 फीसदी है। ये नुकसान भंडारण की बेहतर सुविधा न होने की वजह से होता है। फलों और सब्जियों की श्रेणी में कुल उत्पादन में से 40 फीसदी भंडारण की सुविधाओं के न होने के चलते हर साल बर्बाद हो जाता है। कुल मिलाकर हम हर साल करीब 44 हजार करोड़ रुपये की खाने की सामग्री का नुकसान करते हैं। नबार्ड ने वैज्ञानिक तरीकों से 9.23 लाख टन भंडारण के लिए गोदाम और भंडारण केंद्र बनाए हैं। साल 2015-16 में नबार्ड ने भूमि विकास, खेती, मछलीपालन, मुर्गीपालन, गोदामों के निर्माण के लिए, बाज़ारों और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 47,756.43 करोड़ रुपये का बजट रखा है। सूत्रों के मुताबिक, 2014-15 की तुलना में 40,001 करोड़ रुपये की तुलना में ये करीब 19 फीसदी ज्यादा है। इससे ये साफ है कि केंद्र सरकार भारतीय कृषि की मुख्य समस्या की नब्ज पकड़ने और योजनाओं के जरिए समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम कर रही है।

इन स्कीम और विकास मानदंडों को बीते एक साल में शुरू किए जाने से अब दशकों से खोई जमीन को पाने की उम्मीद लगा सकती है। इन सीधी योजनाओं के अलावा पावर सेक्टर में सरकार के सुधारवादी कदमों से ग्रामीण भारत को लाभ मिलेगा।

इन स्कीम और विकास मानदंडों को बीते एक साल में शुरू किए जाने से अब दशकों से खोई जमीन को पाने की उम्मीद लगा सकती है। इन सीधी योजनाओं के अलावा पावर सेक्टर में सरकार के सुधारवादी कदमों से ग्रामीण भारत को लाभ मिलेगा। अलग-अलग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और नवीनतम समाजिक आर्थिक और जातिगत सर्वे भी कृषि पर आधारित लोगों के बारे में नए जानकारी दे रहा है। हमारे देश में कृषि गृहस्थ जीवन और युवाओं के लिए बोझ के तौर पर देखा जाता है। कृषि से दूर जाते युवाओं के शहरों की तरफ आने से शहरों में स्लम जनसंख्या और ढांचागत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर नई योजनाएं सफल हो जाती हैं तो ये आशा जताई जा सकती है कि हवा का रुख बदलेगा और समावेशी विकास का सपना एक स्थायी जमीन तलाश सकेगा। ❑

विकास में सुदूर का समावेश

ऋषभ कृष्ण सक्सेना

भारत ने कई क्षेत्रों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, मगर अभी भी उसे और बुलंदी तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी होगी। जिसमें केवल कुछ, व्यक्ति का विकास न करके सभी का विकास करना होगा। साथ ही मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम को सशक्त बनाने में उनके सहयोग की जरूरत होगी, जिसे अब हम नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। पिछली सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर कुछ सुस्त दिखती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस मोर्चे पर तेजी से काम किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा पूर्वोत्तर के राज्यों को हो सकता है बशर्ते सरकार वहां के उद्योगों के लिए कुछ प्रोत्साहन दे

फोर्ब्स पत्रिका की अरबपतियों की सूची में भारतीयों के नाम होना आम बात हो गई है। बड़े बड़े औद्योगिक घराने दुनिया के हरेक कोने में पहुंच रहे हैं और अपने से भी बड़ी कीमत वाली कंपनियों का अधिग्रहण कर उन पर भारत का ठप्पा लगा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र के मामले में भारत पूरी दुनिया में डंका बजवा रहा है। पिछले दशक में एक दौर चला, जब हमारी अर्थव्यवस्था 8 फीसदी से अधिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के साथ कुलांचे भरती रही। वैश्विक मंदी के प्रभाव से जहां पश्चिम के तमाम देश अभी तक जूझ रहे हैं, वहीं हमने कुछ वर्षों में ही उसे धता बता दिया और घरेलू अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई। विदेशी निवेशक हमारे देश को सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं। नामी-गिरामी कंपनियां इसे सबसे बड़ा बाज़ार मानकर कतार लगाए खड़ी हैं। ग्रीस और चीन के झटकों से तमाम अर्थव्यवस्थाएं परेशान हो रही हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था उससे एकदम बेपरवाह है। इसे हमारे आर्थिक विकास की बानगी ही कहा जाएगा।

विकास की यह गाथा लिखने वाले इसी देश में पूर्वोत्तर भारत के इलाके भी हैं, जहां ट्रेन के जरिए सीधे संपर्क नहीं हो सकता। जहां सड़कों की हालत इतनी खराब है कि कुछ अरसे पहले तक रसोई गैस जैसी रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति करना मुश्किल हो जाता था। मणिपुर जैसे राज्य में 2011 में बमुश्किल 30 प्रतिशत परिवारों के खाते बैंकों में खुले थे, जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा 59 प्रतिशत था।[1] दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र में सकल जीडीपी की वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत पर रुक गई थी, जबकि पूरे देश के लिए वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत थी।[2]

इसी देश में जम्मू-कश्मीर भी है, जहां देश में होने वाले कुल औद्योगिक निवेश का मुश्किल से 0.11 प्रतिशत हिस्सा आता है। जो विकास के मामले में 14 छोटे राज्यों में 10वें पायदान पर ही अटका हुआ है।[3] जिस राज्य में अभी तक रेलवे का नेटवर्क अच्छी तरह से नहीं फैला है और सर्दियों में बर्फबारी के कारण जो राज्य कई दिनों के लिए शेष भारत से कट जाता है। लद्दाख तो छह महीने देश से कटा ही रहता है। इसी देश में लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली भी हैं, जिनके बारे में पिछली बार हमने कब पढ़ा या सोचा था, हमें याद नहीं आता। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके लिए अलग से नीतियां ही नहीं बनाई गईं और पूरे भारत के लिए बनी एक जैसी नीतियां यहां कारगर साबित नहीं हुईं। ऐसे में 'समावेशी या समेकित विकास' यानी सबको एक साथ लेकर चलने वाले विकास का दावा कैसे किया जा सकेगा और यह सपना कैसे पूरा हो पाएगा?

पूर्वोत्तर भारत

पूर्वोत्तर के राज्यों को देख लें तो पूरे भारत में अनदेखी का शिकार क्षेत्रों की समस्याएं पता चल जाती हैं। आम धारणा है कि पूर्वोत्तर राज्यों को राजधानी नई दिल्ली से दूरी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई भी है क्योंकि पूर्वोत्तर का इलाका दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर है और नीतियों का संदेश वहां तक पहुंचने में बहुत

लेखक आर्थिक दैनिक समाचार पत्र *बिजनेस स्टैंडर्ड* में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। इससे पूर्व संवाद समिति 'यूनीवार्ता' में काम कर चुके हैं। गुरु जांभेश्वर विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध मीडिया संस्थानों में अध्यापन कर चुके हैं। ईमेल: rishabhakrishna@gmail.com

वक्त लग जाता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सूचना वहां तक देर से पहुंचती है और अक्सर यह भी देखने में आता है कि जब तक पूर्वोत्तर राज्यों में इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी पहुंचती है, तब तक शेष भारत के प्रमुख राज्य उन्हें लागू करने की तैयारी भी कर चुके होते हैं। वहां की जनता में भी इस सिलसिले में जागरूकता कम है। मिसाल के तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय बनाया जा चुका है, लेकिन उसकी जानकारी पूर्वोत्तर के उन्हीं निवासियों के बीच सीमित है, जो दिल्ली या आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं।

बुनियादी ढांचा

बुनियादी ढांचे की कमी भी उतनी ही बड़ी समस्या है। राजनीतिक दृष्टि से ये राज्य इतने

इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सूचना वहां तक देर से पहुंचती है और अक्सर यह भी देखने में आता है कि जब तक पूर्वोत्तर राज्यों में इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी पहुंचती है, तब तक शेष भारत के प्रमुख राज्य उन्हें लागू करने की तैयारी भी कर चुके होते हैं।

अहम नहीं हैं (पूर्वोत्तर के सभी राज्य कुल मिलाकर केवल 24 सांसदों को लोकसभा पहुंचाते हैं, जबकि अकेला राजस्थान 25 जनप्रतिनिधियों को लोकसभा में प्रवेश कराता है), शायद इसलिए न तो यहां रेल पर ध्यान दिया गया और न ही सड़क पर। इन दोनों की कमी के कारण कई बार यहां के बाशिंदों को आवश्यक वस्तुओं के लिए भी तरसना पड़ता है। अखबारों में आपने पूर्वोत्तर की तस्वीरें देखी होंगी, जहां रसोई गैस के सिलिंडर लेने के लिए लंबी कतारें दिखेंगी क्योंकि खराब सड़कों के कारण वहां इसकी आपूर्ति ही बहुत मुश्किल से हो पाती है।

रेल नेटवर्क की स्थिति को पिछले साल के दो तथ्यों से समझते हैं, जिनकी ओर बाकी भारत का ध्यान भी शायद नहीं गया होगा लेकिन पूर्वोत्तर के निवासियों के लिए ये घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात असम में नॉर्थ गारो हिल्स के मेंदीपत्थर से गोआपाड़ा जिले के दूधनोई तक रेलवे लाइन पूरी होना है। इस लाइन के बिछने के बाद मेघालय तक रेल संपर्क हो गया है। दूसरी बात है अरुणाचल की राजधानी ईटानगर के लिए रेल सेवाएं आरंभ होना। पूर्वोत्तर राज्यों में यह केवल दूसरी राजधानी है, जहां तक रेलगाड़ी पहुंच सकी है। इन दोनों घटनाओं को दूसरे नजरिए से देखते हैं। मेंदीपत्थर-दूधनोई रेल लाइन की घोषणा 1992-93 के रेल बजट में की गई थी, लेकिन केवल 19.7 किलोमीटर लंबी यह लाइन 27 फरवरी 2014 को रेलवे के तंत्र से जुड़ सकी यानी इसमें 22 वर्ष लग गए।[4] इससे वहां के निवासियों के लिए भारत के बाकी हिस्सों में पहुंचना आसान हो गया है। और माल ढुलाई आदि के लिए सीधा संपर्क होने के कारण उनके लिए व्यापार तथा कारोबार के अवसर बढ़ने की संभावना भी बढ़ गई है। ईटानगर रेल लाइन से भी सामान की ढुलाई सस्ती और आसान हो गई है। इसके अलावा पर्यटन को भी बल मिलने की पूरी संभावना है। इसे भांपकर भारतीय रेलवे सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। पूर्वोत्तर में अभी तक केवल 2602 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है और इसमें 882 किलोमीटर वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है।[5] यह काम पूरा होने के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों का देश के बाकी हिस्सों के साथ संपर्क कई गुना बढ़ जाएगा।

सड़कों की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के जरिए 2006 में इस क्षेत्र में सड़क निर्माण पर जोर दिया गया था। इसके अंतर्गत 2016 तक लगभग 6500 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क बिछाया जाना था लेकिन अप्रैल 2014 तक इसमें से केवल 1000 किलोमीटर लंबी सड़क ही तैयार हो सकी थी।[6] ऐसी स्थिति में हम आर्थिक अथवा सामाजिक विकास की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं। पड़ोसी देश चीन इतनी ऊंचाई पर सड़कें बना रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सुगम संपर्क को भी तैयार है क्योंकि उसे यहां का बाज़ार नजर आ रहा है और वह व्यापारिक रिश्ते प्रगाढ़ करना चाहता है। सैन्य आशंकाओं के कारण हमारी सरकारें अभी तक चीन से दूर ही रही हैं, जिसका खमियाजा पूर्वोत्तर ने भुगता है। हालांकि मौजूदा सरकार चीन को बहुत तवज्जो दे रही है और उसके साथ तमाम तरह के व्यापारिक समझौते भी किए गए हैं।

बैंकिंग

किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय समावेश सबसे अधिक जरूरी है लेकिन इस मोर्चे पर पूर्वोत्तर के राज्य बहुत पिछड़े दिखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर में केवल 30 प्रतिशत परिवारों के खाते बैंक में खुले थे, नगालैंड में यह आंकड़ा 35 प्रतिशत था और मेघालय में 37.5 प्रतिशत परिवारों के पास बैंक खाते थे। असम में ऐसे परिवार 44.4 प्रतिशत थे। हालांकि इसी क्षेत्र का त्रिपुरा इस मामले में काफी अच्छी स्थिति में था, जहां लगभग 79.2 प्रतिशत परिवारों के पास बैंक खाते थे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि बैंकों तक पहुंच नहीं है तो न तो वित्तीय सेवाओं का उचित लाभ मिल सकता है और न ही अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए कर्ज हासिल हो सकता है। इसका खामियाजा पूर्वोत्तर के लोग भुगत भी रहे थे। हालांकि नई सरकार द्वारा आरंभ की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना ने वहां बैंकिंग का दायरा काफी बढ़ा दिया है, लेकिन उसका समुचित उपयोग अब भी होना बाकी है।

संगठन के 2012 के आंकड़े भी खराब तस्वीर पेश कर रहे थे। उनके अनुसार देश में कृषि से आजीविका चलाने वाले जितने भी परिवार बैंकिंग के दायरे से बाहर थे, उनमें 64 प्रतिशत पूर्वोत्तर, पूर्वी और मध्य भारत से आते थे। इनमें भी पूर्वोत्तर की हिस्सेदारी अधिक थी। पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्रालय के अनुसार मार्च 2010 तक नगालैंड में ग्रामीण बैंकों की केवल 37 शाखाएं थीं और असम में सबसे अधिक 791 शाखाएं थीं।[7] लेकिन समूचे पूर्वोत्तर में 1000 किलोमीटर के दायरे में उस समय कुल 9 बैंक शाखाएं थीं, जबकि पूरे देश में 1000 किमी में 26 शाखाएं थीं। बड़ी समस्या यह थी कि ऋण का औसत वहां बहुत कम था, लेकिन गैर-निष्पादित संपत्ति यानी ऋण फंसने की दर भी बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण

साथ लेने के कई जतन

राजग-II सरकार के आने के बाद विकास के हाशिए पर पड़े राज्यों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए एक के बाद एक परियोजनाएं, वित्तीय सहायता के वायदे और उन्हें अमल में लाने के प्रयास अच्छे भविष्य का संकेत दे रहे हैं। 15 जुलाई 2015 को पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 92,000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की। इसके तहत वहां सड़क और रेल नेटवर्क विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें 35,000 करोड़ रुपये 6,400 किलोमीटर लंबे ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग पर और 57,000 करोड़ रुपये नया रेल नेटवर्क तैयार करने और पुराने रेल नेटवर्क को बेहतर बनाने पर खर्च होंगे।

इसके अलावा अपने पहले ही बजट में इस सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए 53,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, इस क्षेत्र के लिए 14 रेलवे लाइनों का वायदा किया गया, मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हुई। इसके अलावा छह कृषि महाविद्यालय, 10,000 छात्रों को छात्रवृत्ति देने वाला ईशान उदय कार्यक्रम और प्रत्येक 15 दिन में तीन मंत्रियों को पूर्वोत्तर भेजने की पहल बता रही है कि इस क्षेत्र में विकास का चक्का पूरी रफ्तार से घूमने वाला है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता भी पूर्वोत्तर के राज्यों को व्यापार का बाज़ार प्रदान करने वाला माना जा रहा है। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि पूर्वोत्तर में कृषि की संभावनाओं को देखते हुए इसे 'जैविक कृषि का केंद्र' बनाया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर पर भी केंद्र का उतना ही ध्यान है। राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज़ मिलने की अटकलें हाल में राष्ट्रीय मीडिया में लगातार सुर्खियां बटोरती रहीं। 'द हिंदू' में 12 जुलाई 2015 को प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार इस राज्य के लिए 70,000 करोड़ रुपये का विकास पैकेज तैयार कर रही है। इस रकम को अगले पांच साल में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। यह पैकेज संप्रग सरकार द्वारा 2004 में घोषित पैकेज की अपेक्षा तीन गुना है और इसकी घोषणा जुलाई के दूसरे पखवाड़े में प्रधानमंत्री की जम्मू यात्रा के दौरान हो सकती है। इस पैकेज के तहत अनंतनाग में एम्स से संबद्ध आयुर्विज्ञान संस्थान, जम्मू और कश्मीर में एक-एक आईआईटी और जम्मू में एक आईआईएम बनाए जाने की योजना है।

इससे पहले जम्मू-कश्मीर में बाढ़ राहत के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का पैकेज दिया था। अगस्त 2014 में लेह यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने लद्दाख में चार बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए 8,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का ऐलान किया था। सरकार इस साल जम्मू-कश्मीर में सड़क परियोजनाओं पर 25,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। 3,720 करोड़ रुपये की चेनानी-नशरी सड़क सुरंग परियोजना तो अगले साल मई में ही तैयार हो जाएगी, जिसके बाद कश्मीर बारहों महीने शेष भारत से जुड़ा रहेगा और जम्मू तथा कश्मीर के बीच दूरी 31 किलोमीटर कम हो जाएगी। केंद्र सरकार राज्य में दो सैटेलाइट ड्राई पोर्ट भी बनाना चाहती है ताकि राज्य में व्यापार को बढ़ावा मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार से 300 एकड़ जमीन मांगी गई है।

बैंक पूर्वोत्तर राज्यों में कारोबार से परहेज ही करते थे।[8] भौगोलिक परिस्थिति, संपर्क साधन और परिवहन की कमी भी बैंकों की राह में बाधा खड़ी करती है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि बैंकों तक पहुंच नहीं है तो न तो वित्तीय सेवाओं का उचित लाभ मिल सकता है और न ही अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए कर्ज हासिल हो सकता है। इसका खामियाजा पूर्वोत्तर के लोग भुगत भी रहे थे। हालांकि नई सरकार द्वारा आरंभ की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना ने वहां बैंकिंग का दायरा काफी बढ़ा दिया है, लेकिन उसका समुचित उपयोग अब भी होना बाकी है।

कारोबारी स्थिति

इसके अलावा सीमा पार व्यापार की गुंजाइश को बढ़ावा देने के प्रयास तो न के बराबर रहे ही हैं, बुनियादी ढांचे का विकास भी नहीं किया गया, जिससे न तो पूर्वोत्तर में निवेश आया और रोजगार के साधन भी नदारद रहे। केंद्र सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने वालों को तमाम रियायतें देने की घोषणा की थी और उसके लिए 10 वर्ष की मियाद भी तय की थी। इसका पूरा फायदा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को हुआ। यह बात अलग है कि यह नीति भी दोषपूर्ण थी और कंपनियों ने अपनी इकाइयां पहाड़ों में निचले इलाकों में ही लगाईं, जहां सड़क आदि का संपर्क अच्छा था। दुर्गम इलाके आज भी निवेश और विकास से अछूते रहे हैं लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तो ऐसी कोई नीति ही लंबे समय तक नहीं बनाई गई। वहां आयात-निर्यात के लिए चौकियां भी ठीक से स्थापित नहीं की गईं, जिन्हें देखकर परिवहन की लागत घटाने के लिए कंपनियां इकाइयां लगा सकती थीं।

पर्यटन

पनबिजली के मामले में भी पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी संभावना है क्योंकि वहां पानी की कोई कमी नहीं है और पानी का बहाव भी खासा तेज है। समस्या यह है कि वहां की भौगोलिक स्थिति काफी दुरुह है और बड़े बिजली संयंत्र लगाना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार को वहां अन्य पर्वतीय राज्यों की तरह बड़े संयंत्र लगाने के बजाए छोटे संयंत्रों (10 मेगावाट से कम क्षमता वाले) पर जोर देना होगा और उनके अनुरूप नीति बनानी होगी, जिस पर अभी तक कम ध्यान दिया गया है।

पूर्वोत्तर के राज्यों में इस समय पर्यटन के अलावा पनबिजली और सीमा पार व्यापार ही विकास को बढ़ावा दे सकते हैं लेकिन पूर्वोत्तर में पर्यटन पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से इस संभावना का दोहन करने के प्रयास हुए हैं, लेकिन अब भी आम पर्यटक सैर-सपाटे के लिए पूर्वोत्तर के बारे में कम ही सोचता है। यदि पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को पर्यटन के जरिए बढ़ावा दिया जाता है तो बड़ी संख्या में रोजगार मिल सकता है और बुनियादी ढांचा भी बेहतर हो सकता है। उत्तराखंड और हिमाचल में कई पर्यटन स्थल ऐसे हैं, जहां लोग सैर-सपाटे के मौसम में इतना कमा लेते हैं कि बाकी महीनों में उसी कमाई से उनका काम चल जाता है। यदि पूर्वोत्तर में भी ऐसा होता है तो होटल, रेस्तरां, ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के जरिए इलाके के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा वहां के हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा और शिल्पकारों को अच्छी कमाई होगी, जो बाज़ार की कमी के कारण पेशे से दूर हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में

पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं लेकिन परिणाम आना अभी बाकी है।

पूर्वोत्तर में विकास का एक अन्य स्तंभ सीमा पार व्यापार हो सकता है। बाज़ार की कमी और संसाधनों की अनदेखी ने इस क्षेत्र को शेष भारत से करीब चार-पांच दशक पीछे कर दिया है। ऐसे में सीमा पार व्यापार अच्छा समाधान साबित हो सकता है। चीन अपने सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे शेनझेन आदि का पूरा इस्तेमाल करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के बाज़ार में पैठ बढ़ा रहा है वहीं समुचित नीति नहीं होने के कारण हमारे पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश के बाज़ार में ही कदम नहीं रख पा रहे हैं, चीन तो बहुत दूर की बात है। भारत के बाकी राज्यों में बेहतर ढांचा होने और आसानी से कर्ज मिलने के कारण कंपनियां इकाइयां भी वहीं लगाती हैं और वहां से विदेशी बाज़ारों में आसानी से प्रवेश मिल जाता है। जैसा कि ऊपर भी कहा गया है कि पूर्वोत्तर में औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए समुचित प्रोत्साहन दिए जाने पर ही स्थिति बदल सकती है। बड़ी कंपनियां अपनी इकाइयां न लगाएं तो भी परिवहन ढांचा सुधारने पर वहां के लघु उद्योग बड़ी कंपनियों को आसानी से कच्चा माल मुहैया करा सकेंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों को सीमा पार व्यापार में रियायत देने से भी वहां के निवासी मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे और कंपनियों को दक्षिण एशियाई बाज़ार में पहुंचने का नया और किफायती रास्ता मिलेगा।[9] हालांकि सरकार ने 1991 में 'लुक ईस्ट' नीति यही सोचकर आरंभ की थी लेकिन व्यापार और विकास के बजाय उग्रवाद और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित होने के कारण यह अधिक प्रभावी साबित नहीं हुई।

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर की समस्या भी विकास की होड़ में पिछड़ना ही है, भले ही उसके कारण बेशक पूर्वोत्तर भारत से अलग हैं। पूरे भारत में औद्योगीकरण का डंका बोल रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हो या सेवा क्षेत्र का पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) या फिर प्रमुख क्षेत्रों (कोर सेक्टर) के आंकड़े हों, सभी का हर महीने बेसब्री से इंतजार किया जाता है लेकिन जम्मू-कश्मीर इससे कमोबेश बेपरवाह ही रहता है क्योंकि वहां आज भी 70 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर ही निर्भर करती है और 49 प्रतिशत कामगार भी इसी से कमाते-खाते हैं।[10] पारंपरिक खेती वहां बहुत कम होती है, लेकिन बागवानी वहां राजस्व का प्रमुख साधन है। पर्यटन भी आतंकवाद के कम होने के साथ ही पटरी पर लौट आया है लेकिन विनिर्माण की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' के सपने में जम्मू-कश्मीर का योगदान बहुत कम दिखता है।

यह बात संतोषजनक है कि जम्मू-कश्मीर की आर्थिक वृद्धि ने पिछले पांच साल में रफ्तार पकड़ी है और लगातार 6.2 प्रतिशत से अधिक की दर दिखा रही है लेकिन राज्य की 2012 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि का विकास केवल 3.69 प्रतिशत की दर से हो रहा है और उद्योगों के विकास की रफ्तार तो केवल 2.1 प्रतिशत है। पर्यटन के कारण सेवा क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उसी का सबसे बड़ा योगदान है लेकिन पूर्वोत्तर भारत के मामले में हम ऊपर देख ही चुके हैं कि विनिर्माण और व्यापार में ठोस वृद्धि के बगैर आर्थिक विकास संभव ही नहीं है। जम्मू-कश्मीर में भी ऐसा ही हो रहा है। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण बुनियादी ढांचे और संपर्क की कमी यहां भी खल जाती है।

जम्मू-कश्मीर की समस्या भी विकास की होड़ में पिछड़ना ही है, भले ही उसके कारण बेशक पूर्वोत्तर भारत से अलग हैं। पूरे भारत में औद्योगीकरण का डंका बोल रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हो या सेवा क्षेत्र का पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) या फिर प्रमुख क्षेत्रों (कोर सेक्टर) के आंकड़े हों, सभी का हर महीने बेसब्री से इंतजार किया जाता है लेकिन जम्मू-कश्मीर इससे कमोबेश बेपरवाह ही रहता है।

केंद्र से मिलने वाली सहायता ने यहां की सरकारों को विकासपरक कदम उठाने से काफी हद तक रोक रखा है। चूंकि राज्य की अधिकांश आवश्यकताएं उस मदद से ही पूरी हो जाती हैं, इसलिए दूसरी ओर सोचा ही नहीं जाता। यहां पनबिजली उत्पादन की अच्छी खासी संभावनाएं हैं, लेकिन उनके संदोहन में देर की जा रही है। इसी तरह यहां बड़े उद्योग लगना मुश्किल है, लेकिन छोटे उद्योगों के लिए प्रचुर संभावनाएं हैं। यूं भी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में छोटे उद्योगों का लगभग 12.55 प्रतिशत योगदान है।[11] फिर भी पारंपरिक बुनाई के अलावा किसी उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। बागवानी के कारण जम्मू-कश्मीर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का गढ़ बन सकता है। सबसे पहले राज्य में बुनियादी ढांचा सुधारने की और उद्योग में निवेश करने वालों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ताकि राज्य में उद्योगों का माहौल बन सके। इसके बाद राज्य की ताकत अर्थात् खेती और बागवानी पर आधरित उद्योगों तथा पनबिजली संयंत्रों को बढ़ावा देने की जरूरत है।

लद्दाख

हालांकि लद्दाख जम्मू-कश्मीर का ही हिस्सा है, लेकिन यह भारत में शायद सबसे अधिक अनदेखी का शिकार क्षेत्र है। आम भारतीय इसे या तो 'थ्री ईडियट्स' जैसी फिल्मों के जरिए जानता है या पर्यटन की पत्रिकाओं में लेह की तस्वीरें देखता है। इसके अलावा वर्ष में लगभग आधे समय तक शेष भारत से कटे रहने वाले इस क्षेत्र के बारे में कोई शायद ही सोचता है। लद्दाख की बड़ी समस्या प्राकृतिक रूप से इसका अति दुर्गम होना है। इस कारण यहां उद्योग लगाना व्यावहारिक नहीं है लेकिन सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा सकती है ताकि इस क्षेत्र के लोग खुद को शेष भारत से कटा हुआ महसूस न करें। इसके अलावा देश के इस सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना है क्योंकि वर्ष के 300 दिन यहां बेहद चमकीली और कड़ी धूप पड़ती है। यदि यहां सौर ऊर्जा के संयंत्रों को बढ़ावा दिया जाए तो क्षेत्र का विकास भी हो सकता है और देश को अतिरिक्त बिजली भी मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने इस ओर ध्यान दिया है और कुछ महीने पहले लद्दाख में सौर ऊर्जा परियोजना की नींव रखी गई है।

द्वीप समूह

देश के दूसरे हिस्सों में जाएं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर एवं नगर हवेली पर भी सरकारी नीति निर्माताओं का ध्यान बहुत कम जाता है। इन क्षेत्रों से मुख्य

भारत का संपर्क बहुत दुर्गम है, इसलिए आम भारतीय यहां पहुंचता नहीं है। सैलानी जरूर इन इलाकों में जाते हैं, जिसके कारण यहां की ज्यादातर जनसंख्या खेती और छोटे उद्योगों को तिलांजलि देकर सेवा क्षेत्र में ही जुट गई है, जो अच्छा संकेत नहीं है। सरकार चूंकि यहां के लिए विशेष नीतियां नहीं बनाती, इसलिए ग्रामीण पर्यटन और पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा भी नहीं मिल पाता। दादर एवं नगर हवेली में उद्योग धंधें की कमी नहीं है, लेकिन समुचित नीतियों के अभाव में ही यहां के लघु उद्यमियों को ऋण आदि मिलने में भी दिक्कत आती है।[12] इसके कारण क्षेत्र में स्थानीय स्तर की अर्थव्यवस्था का ठीक से विकास नहीं हो पाता, जो देश के कई क्षेत्रों की कहानी है।

समाधान की राह

पिछली सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर कुछ सुस्त दिखती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस मोर्चे पर तेजी से काम किया है। उनकी सक्रियता का केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया ही दिख रहा है। यदि चीन, म्यांमार, बांग्लादेश आदि के साथ हमारे संबंध और प्रगाढ़ होते हैं तो वहां का बड़ा बाज़ार भारत के लिए खुल जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा पूर्वोत्तर के राज्यों को हो सकता है बशर्ते सरकार वहां के उद्योगों के लिए कुछ प्रोत्साहन दे। प्रधानमंत्री स्वयं भी विनिर्माण के हिमायती रहे हैं। इसलिए हम अपेक्षा कर सकते हैं कि उद्योग धंधों को वे बढ़ावा देंगे। उनकी वरीयता सूची में लद्दाख और जम्मू-कश्मीर भी काफी ऊपर हैं। कश्मीर में परिवहन को बढ़ावा देने और लद्दाख में वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर देने के लिए अलावा साल भर में ही इन इलाकों की तीन बार यात्रा बता रही है कि नई सरकार के लिए ये क्षेत्र कितने महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि अनदेखी के शिकार ये क्षेत्र अगले चार वर्ष में और उसके बाद भी विकास के बेहतर मौके पा सकते हैं। ❑

संदर्भ:

1. 2011 की जनगणना के आंकड़े
2. योजना आयोग द्वारा पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन (20 जनवरी, 2014) में प्रस्तुत बुनियादी ढांचा विकास संबंधी रिपोर्ट
3. जम्मू-कश्मीर: स्टेट प्रोफाइल, दिसंबर 2011 (पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री)
4. http://www.ohmeghalaya.com/train-to-chug-into-the-state-after-120-years/
5. http://mdoner.gov.in/sites/default/files/silo3_content/railways/Master_Plan.pdf
6. http://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-s-north-east-a-risky-terrain-for-road-construction-113112000126_1.html
7. http://www.mdoner.gov.in/content/financial-inclusion
8. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लिकेशन ऑर इनोवेशन इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अंक: नवंबर 2014
9. बी जी वर्गीज, अनफिनिश्ड बिजनेस इन द नॉर्थ ईस्ट: पॉइंटर्स टुवर्ड्स रिस्ट्रक्चरिंग, रिफॉर्म, रिकंसिलिएशन एंड रिसर्जेंस http://www.freeindiamidia.com/economy/19_june_economy.htm.
10. समीर-उल-हसन, कन्हैया आहुजा और मुनासिर हुसैन, 'एग्रिकल्चर - इंडस्ट्री लिंकेजज इन द इकनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया', जर्नल ऑफ डेवलपमेंट एंड एग्रिकल्चरल इकनॉमिक्स, अप्रैल 2015
11. बिलाल अहमद डार और फयाज अहमद भट, 'स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर: ग्रोथ, परफॉर्मेंस एंड चैलेंजेज', इंटरनेशनल एनजीओ जर्नल, एकेडमिक जर्नल्स, फरवरी 2013
12. अंशुमालि पांडेय, 'रूरल टूरिज्म डेवलपमेंट इन दादर एंड नगर हवेली, इंडिया', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स इनोवेशंस, अप्रैल-सितंबर 2015

YH-108/2015

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राजनीतिक अर्थव्यवस्था

सी.एस.सी. शेखर

ज्यादातर राज्यों में व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए - पीडीएस कवरेज का विस्तार, पीडीएस मूल्यों में कटौती, कंप्यूटरीकरण, घर तक अनाज पहुंचाने, राशन की दुकानों का निजीकरण समाप्त करने और एफपीएस का सामुदायिक प्रबंधन, शिकायत निवारण के लिए उचित व्यवस्था करने और एफपीएस कमीशन में वृद्धि जैसे सुधारों के प्रति व्यापक रूझान है। इस पुनरुत्थान का महत्वपूर्ण अंग, पीडीएस को क्रियाशील बनाने और सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर रही पीडीएस की कवरेज बढ़ाते हुए मांग को सशक्त बनाने तथा लाभार्थियों का हित बढ़ाने की नई राजनीतिक इच्छा है

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की शुरुआत 1965 में सभी को किफायती दामों पर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए की गई थी। राज्य सरकारें उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के जरिए बाज़ार मूल्य से कम कीमत पर अनाज का वितरण करती हैं। अनाज की आर्थिक लागत और वितरण मूल्य (सीआईपी) का अंतर खाद्य सब्सिडी का आकार लेता है। वर्ष 1998 तक सामान्य पीडीएस थी जिसकी सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपस्थिति थी। इसी की वजह से, शहरी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के कारण पीडीएस की व्यापक आलोचना हुई। इससे निपटने के लिए वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की शुरुआत की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखा के आधार पर प्रत्येक राज्य में पात्र लाभार्थियों की संख्या निर्धारित कर दी गई। इन घरों को 'गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार' (या बीपीएल) कहा गया। ये परिवार काफी सस्ते दाम पर अनाज प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अलावा, बेहद गरीब परिवार 'अंत्योदय अन्न योजना वाले घर' (एएवाई) कहलाते हैं, जिन्हें बीपीएल घरों से भी काफी ज्यादा सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। बीपीएल और एएवाई के अंतर्गत वास्तविक लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। लक्षित करने की किसी भी अन्य व्यवस्था के समान, टीपीडीएस में भी समावेशन और निष्कासन संबंधी त्रुटियां विद्यमान हैं।

सभी राज्यों में पीडीएस के संबंध में काफी ज्यादा विविधताएं हैं। पीडीएस की कवरेज, पात्रता और कार्यान्वयन के संदर्भ में राज्य स्तर पर-लीकेज के विरले मामलों वाली तमिलनाडु की सामान्य पीडीएस (अनाज, दालें और खाद्य तेल), से लेकर लंबे अर्से तक काफी ज्यादा लीकेज का शिकार रही बिहार की टीपीडीएस में बड़े पैमाने पर विविधताएं हैं। बीतते वक्त के साथ राष्ट्रीय स्तर के आकलन इन विविधताओं को ग्रहण नहीं कर पाते।

इसलिए, कार्य निष्पादन में इस प्रकार के अंतर के जिम्मेदार कारणों को समझने के लिए हम यहां कुछ राज्यों में पीडीएस के राज्य स्तरीय कार्य निष्पादन और विशेषकर दो राज्यों, बिहार और छत्तीसगढ़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम विभिन्न राज्यों में पीडीएस के कार्य निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए मुख्य रूप से राजनीतिक अर्थव्यवस्था की रूपरेखा का इस्तेमाल करेंगे।

विश्लेषणात्मक रूपरेखा

यहां विचारणीय मामले से संबंधित साहित्य में प्रयुक्त विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की मुख्यत: दो विशेषताएं हैं:

लेखक इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनकी शोध रुचि कृषि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अप्लाईड इकोनॉमेट्रिक्स में है। उन्हें 2012-13 में फुलब्राईट-नेहरू सीनियर रिचर्स फेलोशिप मिली थी। वह पांचवें तथा नौंवे ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क कॉन्फ्रेंस में उत्कृष्ट शोध पत्रों की प्रस्तुति के लिए सम्मानित हो चुके हैं। ईमेल: sekharcsc@yahoo.com, csekhar@iegindia.org

- कल्याण को अधिकतम महत्व देने वाला नव-सैद्धांतिक (यानी नियो-क्लैसिकल) दृष्टिकोण
- राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण

कल्याण को अधिकतम महत्व देने वाले परंपरागत दृष्टिकोण में आर्थिक बाजार में विपणन संबंधी विफलता यानी उत्पादों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना और आवंटन प्रभाविता यानी उपभोक्ता की प्राथमिकता के अनुसार वस्तुओं का सर्वोत्तम वितरण या आवंटन मुख्य विषय हैं। यहां सरकार को अंतर्यामी और दयालु कर्मचारी के तौर पर देखा गया है। यह दृष्टिकोण पिगू के कार्य (1932) से उत्पन्न हुआ है और इसमें संसाधनों के आवंटन और वितरण में उचित ढंग से कार्य करने में बाजार की विफलता के कारणों पर जोर दिया गया है और इन खामियों को दुरुस्त करने के लिए इसमें राज्य को निजी अर्थव्यवस्था में

प्राथमिकताओं का आकलन उनके सुस्पष्ट होने अर्थात नीतिगत निष्कर्षों से व्यक्त होने के कारण संभव है। पीपीएफ अध्ययनों का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य (विशेषकर कृषि संबंधी आर्थिक विश्लेषण) नीतिगत उपकरण स्तरों का आंतरिक स्तरों पर निर्धारण है।

हस्तक्षेप करने का सुझाव दिया गया है। राज्य सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, सामाजिक लागत और मुनाफों का समावेशन करता है, उत्पादन की कम लागत वाले उद्योगों यानी डिक्रीसिंग-कॉस्ट इंडस्ट्रीज़ को नियंत्रित करता है और पेरेतो इष्टतम पद्धति-यानी पेरेतो ऑप्टिमल वे (मैक्कॉर्मिक एंड टॉलिसन, 1981) से आमदनी का पुनर्वितरण करता है। यह दृष्टिकोण सर्वज्ञ, विवेकी सरकार अपनाती है।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था वाला दृष्टिकोण, जो अनिवार्य तौर पर पिगू के दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया है, सर्वज्ञ, परोपकारी सरकार के दृष्टिकोण को खारिज करता है और बाजार के दोषों को बेहतरीन और किफायती ढंग से सुधारने की धारणा पर सवाल उठाता है। इस दृष्टिकोण का तर्क है कि बाज़ार की खामियों को सुधारने का प्रयास करते समय सरकार स्वयं 'नाकाम' हो सकती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सरकार कई विधायी और कार्यकारी संस्थाओं का महज समूह भर है, जिनके अपने लक्ष्य हैं, जो अक्सर असंगत और परस्पर विरोधी होते हैं। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत राजनीतिज्ञों, मतदाताओं, दबाव समूहों और नौकरशाहों[1] के निजी हितों से प्रेरित व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। विशेष तौर पर, राजनीतिक अर्थव्यवस्था वाला दृष्टिकोण यह समझने के लिए ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करता है कि सरकारी एजेंट विविध संस्थागत व्यवस्थाओं के अंतर्गत किस तरह कार्य करते हैं, जिनकी परिणति आर्थिक निर्देशों और सरकार के व्यवहार में भिन्नता में होती है।(मैक्कॉर्मिक एंड टॉलिसन, 1981)

प्रयोग आश्रित या आनुभविक राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण

प्रयोग पर आधारित राजनीतिक अर्थव्यवस्था राजनीतिक और आर्थिक बाजारों में एजेंट्स के व्यवहार को निर्विवाद मानती है और सरकार की प्राथमिकताएं आंतरिक तौर पर व्युत्पन्न करती है। *राजनीतिक प्राथमिकता कार्य (पीपीएफ)* यह मानते हुए नीतिगत प्रक्रियाओं में विभिन्न समूहों के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं कि नीति निर्माता आर्थिक व्यवधानों के संबंध में वस्तुनिष्ठ कार्य को अधिकतम महत्व देते हैं। महत्व अथवा नीतिगत प्राथमिकताएं राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के निष्कर्ष के रूप में देखी जाती हैं। पीपीएफ में दिए जाने वाले तर्क कार्य निष्पादन संबंधी उपायों (अर्थात आर्थिक अधिशेष, लाभ, शुद्ध कृषि आय, सरकारी बजट खर्च आदि) का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्येक दबाव समूह के हित को प्रतिबिंबित करते हैं।

प्राथमिकताओं का आकलन उनके सुस्पष्ट होने अर्थात नीतिगत निष्कर्षों से व्यक्त होने के कारण संभव है। पीपीएफ अध्ययनों का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य (विशेषकर कृषि संबंधी आर्थिक विश्लेषण) नीतिगत उपकरण स्तरों का आंतरिक स्तरों पर निर्धारण है। नीतिगत उपकरणों में मूल्य, कमीपूरक अदायगी, आयात कोटा शामिल है और इन उपकरणों के स्तर आर्थिक अधिशेष उपायों तथा उसके तर्कों के रूप में सरकारी राजस्व सहित रेखीय संचयी पीपीएफ (यानी लिनीअर एडिटिव पीपीएफ) की उच्चतम सीमा से उत्पन्न होते हैं।

पीपीएफ दृष्टिकोण कुछ हद तक परंपरागत परोपकारी सर्वज्ञ सरकार के दृष्टिकोण से मिलता-जुलता है। उनमें अंतर समाज में पृथक तरह के हितों की स्वीकारोक्ति में है, जिन्हें निर्णय लेने की राजनीतिक-आर्थिक प्रक्रिया में अलग-अलग महत्व दिया जाता है। पीपीएफ दृष्टिकोण, सरकार की प्राथमिकताओं के मूलभूत ढांचे को सम्मिलित करने की दृष्टि से समृद्ध होने के बावजूद प्राथमिकता के अपने ढांचे के लिए कोई व्याख्या नहीं उपलब्ध कराता। सरकार अब तक एकल सत्ता मानी जाती है, जो व्यवहारात्मक कार्य के अनुरूप कार्य करती है। वैचारिक नीति निर्माता राजनीतिक बाजार के विस्तृत प्रतिरूपण की जरूरत समाप्त करने की एक कृत्रिम

नीतिगत उपकरणों में मूल्य, कमीपूरक अदायगी, आयात कोटा शामिल है और इन उपकरणों के स्तर आर्थिक अधिशेष उपायों तथा उसके तर्कों के रूप में सरकारी राजस्व सहित रेखीय संचयी पीपीएफ (यानी लिनीअर एडिटिव पीपीएफ) की उच्चतम सीमा से उत्पन्न होते हैं।

अवधारणा है। पीपीएफ परंपरा की मुख्यधारा में प्राथमिकता के महत्व का निर्धारण करने वाले राजनीतिक एजेंटों को सम्मिलित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

हित समूह

प्रयोग पर आधारित साहित्य की एक अन्य विशेषता, दबाव अथवा हित समूहों की भूमिका है। राजनीतिक वातावरण की भूमिका और हित समूहों के साथ उसके संबंध नीति निर्धारण की प्रक्रिया (बर्द्धन 1984, शेखर 2005) को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। हम भारत में विकास की प्रक्रिया की सामान्य और पीडीएफ की विशेष व्याख्या करने में इस दृष्टिकोण का इस्तेमाल करेंगे। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति की कार्यप्रणाली काफी जटिल है। राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन की जरूरत

1 राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उद्गम डाउन्स के मतदाता और राजनीतिज्ञ के व्यवहार से संबंधित कार्य (1957), सरकारी नीतियों की आपूर्ति और मांग के संबंध में ब्यूकॉनन और टुलॉक के सिद्धांत (1962), दबाव समूहों पर ऑल्सन के कार्यों (1965, 1982), समाज को लाभ पहुंचाए बगैर अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर लाभ अर्जित करने संबंधी सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रेंट-सीकिंग (टुलॉक, 1967, क्रूगर, 1974) से देखा जा सकता है।

होती है और यह धन केवल उद्योगपतियों और कृषि लॉबियों जैसे कुछ चुनिंदा समूहों द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है।

इसलिए यह बहुत स्वाभाविक है कि राजनीतिक पार्टियां प्रभावशाली हित समूहों पर निर्भर रहती हैं और इस तरह नीति निर्धारण और कार्यान्वयन में राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों की नीतियों संबंधी पसंद अक्सर उन्हें आवश्यक धन उपलब्ध कराने वाले हित समूहों द्वारा निर्देशित होती है। राजनीतिक गतिविधियों के लिए धन एकत्र कराना अधिकतर हित समूहों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इन समूहों

चित्र 1: क्रियान्वयन

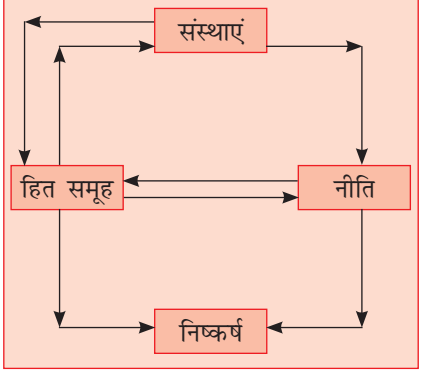

की राजस्व का सृजन करने वाली गतिविधियां अवश्य होनी चाहिए। शायद यही कारण है कि खेतीहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर, गरीब और वंचित लोगों आदि के कमजोर समूह अक्सर नीतिगत मामलों के दायरे से बाहर रह जाते हैं। राजनीतिक पार्टियों को धन उपलब्ध कराने के संसाधन न होने के कारण उन्हें वह प्राथमिकता नहीं मिल पाती, जिसके वे हकदार हैं।

सूचना की असमानता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब विभिन्न हित समूहों के बीच सूचना की असमानता होती है, राजनीतिक दल बेहतर जानकारी रखने वाले लोगों की अधिक संख्या वाले समूहों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हित समूह नीति को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए अपने सदस्यों को जानकार और व्यवस्थित करने पर संसाधन खर्च करें।

राजनीतिक प्रक्रियाओं के अलावा एक अन्य तरीका भी है जिसके द्वारा हित समूह नीति को प्रभावित कर सकते हैं। हित समूह निष्कर्षों को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष तौर पर लोगों को व्यापक रूप से लक्षित कर सकते हैं। हित समूह मानवाधिकारों, औद्योगिक प्रदूषण आदि मामलों पर निजी कंपनियों को नियंत्रित करने वाली नीतियों के संबंध में जनता को विरोध और प्रदर्शनों के जरिए निर्वाचित अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में ऑपरेशन का माध्यम चुनाव अथवा कानूनी प्रक्रियाओं की बजाए सौदेबाजी है।

छत्तीसगढ़ और बिहार में पीडीएस

इस भाग में हम पिछले भाग में रेखांकित राजनीतिक अर्थव्यवस्था वाले दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए बिहार और छत्तीसगढ़ में कार्य निष्पादन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।

वर्ष 2004 तक, छत्तीसगढ़ में पीडीएस निजी संचालन के अधीन थी। उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के निजी संचालन की प्रमुख समस्याएं अनियमित आपूर्ति और अनाज का खुले बाज़ार में पहुंचना थीं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की गई। एक प्रमुख सुधार छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सीपीडीएस) व्यवस्था 2004 की शुरुआत थी। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पहल की गईं जैसे- निजी लोगों के साथ वितरण एवं सीधे राशन की दुकानों को अनाज पहुंचाने, वितरण वाले ट्रकों पर पीले रंग का पेंट करने, एफपीएस पर हर महीने की सात तारीख तक अनाज पहुंचाना अनिवार्य बनाने, विवरणों का कंप्यूटरीकरण करते हुए वितरण में लगे ट्रकों को ट्रैक करना, पीडीएस को अर्द्ध-सामान्य यानी क्वासी-यूनिवर्सल (80 प्रतिशत) बनाने इस प्रकार बड़ी आबादी की ओर से बेहतर सेवाओं की मांग में वृद्धि करने, एफपीएस ऑपरेटर की कमीशन 8 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति क्विंटल करते हुए धोखाधड़ी करने का लालच घटाने, प्रत्येक घर के बाहर नाम, कार्ड का प्रकार और मूल्य जैसा विवरण लिखने, ताकि बीपीएल अथवा एएवाई कार्ड का इस्तेमाल कर रहे अयोग्य परिवारों के नाम सार्वजनिक हो जाए।

बिहार में पीडीएस सदैव कई समस्याओं से जूझती रही है। (देखें जॉस मूज (2001), 5 गांवों के 150 घरों के सर्वेक्षण पर आधारित) इनमें प्रमुख रूप से सभी स्तरों पर बड़े पैमाने पर अनाज की धोखाधड़ी, वितरण में असंगतियां (निष्कासन एवं समावेशन त्रुटियां), राज्य में अनाज की अपर्याप्त पैदावार, बिहार राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम (बीएसएफसीएससी),

चित्र 2: नीति-निर्धारण एवं कार्यान्वयन

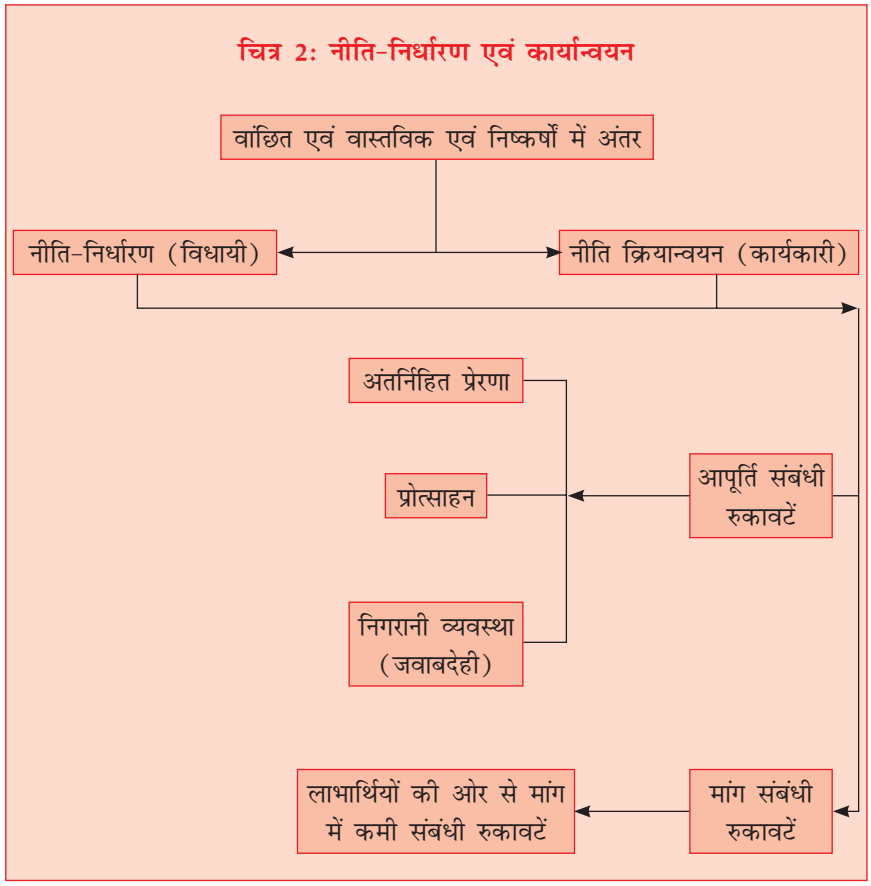

पीडीएस डीलरों, लोक सेवकों, स्थानीय राजनीतिज्ञों यहां तक कि मंत्रियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और मिलीभगत तथा बहुत कम आर्थिक वृद्धि जिसकी वजह से अपर्याप्त संसाधनों पर संभ्रांत लोगों का कब्जा जैसी समस्याएं शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ और बिहार के कामकाज के अंतर की व्याख्या साधारण राजनीतिक अर्थव्यवस्था की रूपरेखा (चित्र-1 और चित्र-2) में की जा सकती है। हित समूहों, संस्थाओं और नीति में परस्पर संपर्क है। यह पारस्परिक प्रभाव विविध दिशाओं वाला है और विकास की प्रक्रिया में विविध हितधारकों पर इसका अलग-अलग तरह का प्रभाव (चित्र-1) पड़ सकता है। ये एक-दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं और इनका असर अंतिम निष्कर्षों पर पड़ सकता है।

वांछित और वास्तविक निष्कर्षों में अंतर आपूर्ति अथवा मांग में अंतर (चित्र-2) की वजह से हो सकते हैं। आपूर्ति के संबंध में समस्याएं मुख्य रूप से आंतरिक प्रेरणा के अभाव, उचित प्रोत्साहन ढांचा न होने और उपयुक्त निगरानी तंत्र के अभाव के कारण हो सकती हैं लेकिन मांग संबंधी खामियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो मुख्य रूप से लाभार्थियों की सुस्पष्ट मांग के अभाव के कारण होती हैं। ऐसा, सामूहिक कार्रवाई की समस्या से निपटने में होने वाली कठिनाइयों के फलस्वरूप है।

कवरेज बढ़ाने से अब बड़ी तादाद में लाभार्थियों का हित पीडीएस व्यवस्था में है, जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस इसने मांग पक्ष को सशक्त बनाया है (चित्र-2)। पीडीएस कवरेज में विस्तार, पीडीएस मूल्यों में कमी, कंप्यूटरीकरण, घरों तक अनाज पहुंचाने, राशन की दुकानों का निजीकरण समाप्त करने और शिकायत निवारण की उचित व्यवस्था करने जैसे अनेक उपायों ने राज्य में पीडीएस व्यवस्था में सुधार लाने में सहायता की है।

बिहार और छत्तीसगढ़ के अंतर को उपरोक्त रूपरेखा का इस्तेमाल करते हुए समझा जा सकता है। वर्ष 2004 तक छत्तीसगढ़ की शुरुआती समस्याएं एफपीएस तक आपूर्ति में अनियमितता और बड़े पैमाने पर अनाज के खुले बाजार में पहुंचने की थीं। इसकी प्रमुख वजह उचित प्रोत्साहन संरचना न होना और आपूर्ति के संबंध में उचित निगरानी की व्यवस्था न होना थी। (चित्र-2) सीपीडीएस व्यवस्था के प्रारंभ के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप करने से परिदृश्य बदल गया। एफपीएस ऑपरेटरों का कमीशन 8 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति क्विंटल करने से उनके प्रोत्साहन संबंधी ढांचे को बेहतर बनाया गया।

इससे अनाज को खुले बाज़ार में पहुंचाने के एफपीएस डीलरों के लालच में कमी आई। साथ ही साथ ट्रकों की कंप्यूटरों द्वारा ट्रेकिंग करके और ट्रकों को पीले रंग से पेंट करके निगरानी और चौकसी मजबूत की गई। ट्रकों को पीले रंग से पेंट करने से उनका निर्धारित स्थानों के अलावा किसी अन्य जगहों पर रुकना और अनाज उतारना मुश्किल हो गया। कवरेज बढ़ाने से अब बड़ी तादाद में लाभार्थियों का हित पीडीएस व्यवस्था में है, जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसने मांग पक्ष को सशक्त बनाया है (चित्र-2)।

पीडीएस कवरेज में विस्तार, पीडीएस मूल्यों में कमी, कंप्यूटरीकरण, घरों तक अनाज पहुंचाने, राशन की दुकानों का निजीकरण समाप्त करने और शिकायत निवारण की उचित व्यवस्था करने जैसे अनेक उपायों ने राज्य में पीडीएस व्यवस्था में सुधार लाने में सहायता की है। इस प्रकार, आपूर्ति, साथ ही साथ मांग में सुधार से छत्तीसगढ़ को दशक भर की अल्प अवधि में पीडीएस के संबंध में आदर्श राज्य के रूप में उभरने में मदद मिली है। सीपीडीएस नीति ने लाभार्थियों का हित समूह तैयार करने में सहायता की है जिसके परिणामस्वरूप मांग पक्ष को मजबूत बनाने में मदद मिली है। (नीति – चित्र-1 में हित समूह लिंक)

दूसरी ओर, बिहार में पीडीएस वर्ष 2011 तक कई समस्याओं जैसे- सभी स्तरों पर बड़े पैमाने पर अनाज के मामले में धोखाधड़ी, वितरण में असंगतियों (निष्कासन एवं समावेशन त्रुटियां), बिहार राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम (बीएसएफसीएससी), पीडीएस डीलरों, लोक सेवकों, स्थानीय राजनीतिज्ञों यहां तक कि मंत्रियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और मिलीभगत (मूज, 1998, 2001) से ग्रसित रही। ऐसी हालत का मुख्य कारण राज्य में अनाज की अपर्याप्त पैदावार था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में सशक्त खाद्य लॉबी अनुपस्थित रही। अर्थव्यवस्था में सामान्य निष्क्रियता और आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर असमानताओं ने, पीडीएस व्यवस्था के प्रमुख लाभार्थियों यानी गरीबों को लगभग मौन कर दिया। व्यवस्थित सिविल सोसायटी और मीडिया के अभाव के परिणामस्वरूप पीडीएस, यहां आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु की तरह चुनावी नारे के रूप में नहीं उभर रही थी। यहां लाभार्थियों, मीडिया, सिविल सोसायटी तथा सदाशयी नौकरशाहों और राजनीतिज्ञ की ओर से सुव्यवस्थित रूप से कार्य करने वाली पीडीएस की स्पष्ट मांग किए जाने की जरूरत थी।

यह सब पिछले कुछ वर्षों में बदल गया है। पिछले तीन वर्षों, विशेषकर पिछले 12 महीनों में व्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा है। ऐसा मुख्य रूप से बिहार सरकार (द्रेज और खेड़ा, 2015) द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से हुआ है। सुधार के चिन्ह 2011 में ट्रैकिंग कूपन की व्यवस्था शुरू होने के साथ ही दिखने लगे थे। पिछले तीन वर्षों में और खास तौर पर पिछले 12 महीनों में और ज्यादा सुधार लाए गए हैं। सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आंकड़े (एसईसीसी) का इस्तेमाल करते हुए राशन कार्डों की नई सूची तैयार की गई है। बिहार में करीब 75 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास आज या तो राशन कार्ड या अंत्योदय कार्ड है। पहली बार, ज्यादातर लोग अब जानते हैं कि वे पीडीएस के माध्यम से हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्राप्त करने के हकदार हैं। पीडीएस को चुनावी चर्चाओं में लाने से राज्य में राजनीतिक संवाद में भी बदलाव आया

पीडीएस को चुनावी चर्चाओं में लाने से राज्य में राजनीतिक संवाद में भी बदलाव आया है। विपक्षी पार्टियां भी अब लोगों को उनके अधिकारों को जानने और बकाया की मांग करने में सहायता दे रही हैं। इन सभी की परिणति पीडीएस के लाभार्थियों द्वारा दबाव बढ़ाने में हुई है। यह परिस्थिति कुछ वर्ष पहले के हालात से बिल्कुल भिन्न है, जब ज्यादातर लोगों को पीडीएस शायद ही कभी कुछ मिलता था।

है। विपक्षी पार्टियां भी अब लोगों को उनके अधिकारों को जानने और बकाया की मांग करने में सहायता दे रही हैं। इन सभी की परिणति पीडीएस के लाभार्थियों द्वारा दबाव बढ़ाने में हुई है। यह परिस्थिति कुछ वर्ष पहले के हालात से बिल्कुल भिन्न है, जब ज्यादातर लोगों को पीडीएस शायद ही कभी कुछ मिलता था।

पूर्ववर्ती चर्चा दर्शाती है कि बिहार और छत्तीसगढ़ में पीडीएस के कामकाज में सुधार मुख्य रूप से प्रशासन में की गई पहलों से हुआ है, जिनके परिणामस्वरूप आपूर्ति में सुधार हुआ है और मांग पक्ष मजबूत हुआ है।

अन्य राज्यों के अनुभव

अन्य राज्यों में भी नीति निर्धारण और कार्यान्वयन में ऐसे ही सुधारों के परिणामस्वरूप सकारात्मक निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं (खेड़ा 2011 क और 2011ख, राघव पुरी 2012)

हिमाचल प्रदेश में पीडीएस सामान्य (लेकिन एक समान नहीं है) है। बीपीएल परिवार, एपीएल परिवारों से कम मूल्य के हकदार हैं। अनाज के अतिरिक्त अन्य पीडीएस वस्तुएं (दालें और खाद्य तेल) समान मूल्य पर सभी परिवारों को उपलब्ध कराई जाती हैं। यह सभी कुछ, अनेक परियोजनाएं शुरू किए बिना, दुर्गम इलाके होने के बावजूद और तमिलनाडु की तरह सख्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था अपनाए बगैर प्राप्त किया गया है। यह मुख्य रूप से पीडीएस का सर्वव्यापीकरण करने, और इस प्रकार लाभार्थियों की ओर से मांग में वृद्धि होने की वजह से संभव हो सका है।

तमिलनाडु में, समय के साथ, लोगों के अनुकूल और सस्ती प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए प्रभावी निगरानी प्रणालियां बनाई गईं। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरल और किफायती उपाय लागू किए गए। किसी भी अन्य राज्य ने व्यवस्थाएं लागू करने में इतना सोच विचार कर काम नहीं किया। (अलामु 2011)

आंध्र प्रदेश ने साधारण निष्कासन मापदंड का इस्तेमाल करते हुए निष्कासन त्रुटियों में कमी की। हालांकि समावेशन संबंधी त्रुटियां आंध्र प्रदेश में काफी अनियंत्रित हैं। ओडिशा कोरापुट-बोलंगीर-कालाहांडी क्षेत्र (के बी के) में पीडीएस के सर्वव्यापीकरण सहित वर्ष 2008 से ही छत्तीसगढ़ मॉडल का अनुसरण कर रहा है। एफपीएस के प्रबंधन का दायित्व ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है। राजस्थान ने भी मई 2010 से उपरोक्त सुधारों में से कुछेक को लागू किया है। परिणामों से पता चलता है कि 2010 में शुरू किए गए सुधारों का वहां की पीडीएस के कामकाज पर प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। झारखंड में संभवत: सबसे अपूर्ण और अप्रचलित बीपीएल सूचियां हैं। हालांकि झारखंड ने हाल ही में पीडीएस में कुछ सुधारों की शुरुआत की है। चावल का पीडीएस मूल्य वर्ष 2009 से घटाकर एक रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। निश्चितता और घर तक अनाज पहुंचाने के लिए, पीडीएस अनाज के वितरण के लिए समय सारणी बनाई गई है।

निष्कर्ष

ज्यादातर राज्यों में व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए - पीडीएस कवरेज का विस्तार, पीडीएस मूल्यों में कटौती, कंप्यूटरीकरण, घर तक अनाज पहुंचाने, राशन की दुकानों का निजीकरण समाप्त करने और एफपीएस का सामुदायिक प्रबंधन, शिकायत निवारण के लिए उचित व्यवस्था करने और एफपीएस कमीशन में वृद्धि जैसे सुधारों के प्रति व्यापक रूझान है। इस पुनरुत्थान का महत्वपूर्ण अंग, पीडीएस को क्रियाशील बनाने और सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर रही पीडीएस की कवरेज बढ़ाते हुए मांग को सशक्त बनाने तथा लाभार्थियों का हित बढ़ाने की नई राजनीतिक इच्छा है।

तमिलनाडु में, समय के साथ, लोगों के अनुकूल और सस्ती प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए प्रभावी निगरानी प्रणालियां बनाई गईं। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरल और किफायती उपाय लागू किए गए। किसी भी अन्य राज्य ने व्यवस्थाएं लागू करने में इतना सोच विचार कर काम नहीं किया।

संदर्भ

अलामु, आर (2011): ''इस जस्ट वर्क्स इन तमिलनाडु'' द हिंदु, 25 सितंबर

बर्धन, प्रणब (1984): ''द *पोलिटिकल इकॉनमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया*,'' ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, वॉल्टन स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड

ब्यूकॉनन, जे. एम. और टुलॉक, जी. (1962): ''द *कैल्क्युलस ऑफ कन्सेन्ट*'', ऐन आर्बर: यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन प्रेस

डाउन्स, ए. (1957): ''एन इकनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, न्यूयॉर्क: हार्पर एंड राउ

द्रेज़, ज्यां और रीतिका खेड़ा (2015): ''*अंडरस्टैंडिंग लीकेजिज़ इन द पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम*'' इकनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम-1, संख्या 7, पीपी 39-42

ग्रॉसमैन, जीन एम. और एल्हानन हैल्पमैन (2001): स्पेशल इंटरेस्ट पॉलिटिक्स, कैम्ब्रिज एंड लंदन: एमआईटी प्रेस। *जर्नल ऑफ इकनॉमिक लिटरेचर*, वॉल्यूम - XL, दिसंबर 2002, पीपी 1221-1229 में डेविड पी. बैरन की समीक्षा भी देखें।

कीफर, फिलिप एंड खेमानी, स्तुति (2003): ''द पोलिटकल इकनॉमी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, *बैकग्राउंड पेपर फॉर डब्ल्यूडीआर 2004: : मेकिंग सर्विसिज वर्क फॉर द पुअर पीपुल*''

खेड़ा, रीतिका (2011 क): ''ट्रेन्ड्स इन द डाइवर्जन ऑफ पीडीएस ग्रेन'' *इकनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली*, 46 (अंक 21) पीपी 106-113

खेड़ा, रीतिका (2011 ख): ''रिवाइवल ऑफ द पीडीएस: एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशन्स'' *इकनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली*, 46 (44 एवं 45) पीपी

36-50 क्रूगर, ए. ओ. (1974): 'द *पोलिटिकल इकनॉमी ऑफ द रेंट-सीकिंग सोसायटी*' अमेरिकन इकनॉमिक रिव्यू 64: 291-303

मैक्कॉर्मिक, आर.ई. एंड टॉलिसन, आर.डी. (1981): *पोलिटिशियन्स, लेजिस्लेशन एंड इकनॉमी : एन इंक्वायरी इन टू द इंट्रेस्ट-ग्रुप थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट*, बोस्टन : मार्टिनस निजॉफ

मूज, जॉस (1988): 'फूड पॉलिसी एंड पोलिटिक्स: 'द पोलिटिकल इकनॉमी ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम इन इंडिया', द जर्नल ऑफ पेसेन्ट स्टडीज़, वॉल्यूम-25, संख्या-2, जनवरी 1998, पीपी 77-101

मूज, जॉस (2001): 'फूड एंड पॉवर इन बिहार एंड झारखंड : पीडीएस एंड इट्स फंक्शनिंग', *इकनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली*, 25 अगस्त, 2001 पीपी 3289-3299

ऑल्सन, एम. जूनियर (1965): 'द *लॉजिक ऑफ कलैक्टिव एक्शन: पब्लिक गुड्स एंड द थ्योरी ऑफ ग्रुप्स*', कैम्ब्रिज: हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

(1982): द राइज़ एंड डिक्लाइन ऑफ नेशन्स: इकनॉमिक ग्रोथ, स्टैगलेशन एंड सोशल रिजिडिटीज़, न्यू हैवन: येल यूनिवर्सिटी प्रेस

पिगू, ए.सी. (1932): द इकनॉमिक्स ऑफ वेल्फेयर लंदन: मैकमिलन(1920),

पुरी, राघव (2012): 'रिफॉर्मिंग द पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम: लेसन्ज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़, *इकनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली*, 4 फरवरी, 2012, वॉल्यूम XLVII संख्या 5 पीपी 21-23

शेखर, सी.एस.सी. (2005): 'इकनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलेपमेंट एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स', *इकनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली*, वॉल्यूम -40, संख्या 50, दिसंबर 10-16, 2005 पीपी 5338-5346. पुलाप्री बालाकृष्णन (ईडी), में पुन: प्रकाशन, *इकनॉमिक एंड ग्रोथ इन इंडिया: एसैज़ फ्रॉम इकनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली*, ओरिएंट ब्लैकस्वॉन, जून 2011

टुलॉक, जी.जे. (1967): 'द वेल्फेयर कॉस्ट्स ऑफ टैरिफ्स, मोनोपोलिज़ एंड थैट', वेस्टर्न इकनॉमिक जर्नल 5: 224-232

बेरोजगारी का समाधानः समावेशी विकास की पहचान

कमलदेव सिंह

दरिद्रता और बेरोजगारी का तो मानो चोली दामन का साथ है। एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह बेरोजगार है तथा वह बेरोजगार है इसलिए गरीब है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्यों में लगाने, स्वावलंबी बनाने तथा आत्मविश्वास पैदा करने में असफल रही है। अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक चुनौती यह है कि गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर कहां से निकलेंगे। उत्पादक रोजगार विकास के लिए बहुत जरूरी है। गुणवत्तापूर्ण रोजगार समावेशी विकास के लिए बहुत जरूरी है और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सबसे उचित माध्यम है

भारत आर्थिक-सामाजिक इतिहास के एक बहुत दिलचस्प दौर से गुजर रहा है। मौजूदा समय में भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत की कुल आबादी में 25 साल से कम आयु के युवाओं की संख्या लगभग 50 प्रतिशत और 35 साल से कम उम्र के युवाओं की तादाद 65 प्रतिशत के आसपास है। अनुमानों के मुताबिक वर्ष 2020 में एक आम भारतीय की औसत उम्र 29 साल होगी, जबकि उस समय एक आम चीनी की औसत आयु 37 वर्ष होगी। यही नहीं, वर्ष 2030 में भारत में निर्भरता अनुपात यानी आयु-जनसंख्या अनुपात सिर्फ 0.5 प्रतिशत होगी जिसका अर्थ यह है कि देश की कुल आबादी में काम करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा और निर्भर लोगों की तादाद कम होगी।

अर्थशास्त्री इसे जनसांख्यकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) की स्थिति कहते हैं। यह किसी भी देश को बड़े आर्थिक लाभ के साथ-साथ उसकी अर्थव्यवस्था को तीव्र वृद्धि दर के रास्ते पर ले जा सकता है। अर्थशास्त्रियों की मानें तो पिछले डेढ़-दो दशकों में भारत की तेज विकास दर के पीछे यह एक प्रमुख कारण रहा है। यही कारण है कि हाल के कुछ वर्षों में देश के अर्थशास्त्रियों और नीति-निर्माताओं के बीच यह मुद्दा खासा चर्चा का विषय रहा है जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति का फायदा उठाने के लिए क्या किया जाना चाहिए।

यह चर्चा और भी अहम हो जाती है जब हम जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने में नाकाम रहते हैं तो इसका गलत प्रभाव भी हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि श्रम शक्ति में शामिल होने वाली युवा आबादी को बेहतर शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध कराए जाएं, ताकि इन श्रम शक्तियों की क्षमता का लाभ उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी मिल सके। यह न केवल जनसांख्यकीय लाभांश की स्थिति का फायदा उठाने के लिए बल्कि समावेशी विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भी अपनी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत इस समय दुनिया की सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है। रिपोर्ट में जारी आंकडों के मुताबिक इस समय भारत में युवाओं की तादाद तकरीबन 35.6 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 28 प्रतिशत है। दुनिया के अन्य देश तो इस मामले में हमारे आसपास भी नहीं हैं। इस युवा ऊर्जा और उत्साह से लबरेज रहने के कारण ही भारत की संभावनाओं को बेहतर करार दिया जाता है। इस युवा आबादी में यकीनन यह सामर्थ्य है कि वह भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाएगी, साथ ही तेजी से बढ़ती जा रही दुनिया के अन्य मुल्कों की मानव संसाधन की जरूरत को भी पूरा करेगी।

भारत के युवाओं का डंका आज दुनिया में जोर-शोर से बज रहा है। अपनी मेधा और मेहनत की बदौलत भारतीय युवा दुनिया के हर कोने में अपनी धाक जमा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि यह तस्वीर का केवल एक पक्ष है। मुकम्मल तस्वीर यह है कि देश के अधिकांश युवा अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी के शिकार हैं। ऐसे युवाओं की

लेखक अध्यापक व सामाजिक कार्यकर्ता हैं। युवा संबंधी विषयों पर नियमित लेखन करते हैं। ईमेलः devkamalsingh@gmail.com

तादाद भी कुछ कम नहीं है जो अच्छी-खासी डिग्री हासिल करने के बावजूद रोजगार के लिए तरस रहे हैं। हर वर्ष बेरोजगारों की पहले से मौजूद जमात में लगभग सवा करोड़ युवा और जुड़ जाते हैं। उनकी बदकिस्मती यह भी है कि पिछले वर्षो में देश में जॉबलेस ग्रोथ (रोजगारहीन विकास) की स्थिति रही है। युवाओं में भटकाव की स्थिति के चलते देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। उनकी सेहत का सवाल भी चिंतित करता है, खासकर मधुमेह जैसी बीमारियां उन्हें जिस तेजी से चपेट में ले रही हैं। समझने की जरूरत है कि युवा देश की संपदा तभी बनेंगे जब वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तथा समुचित शिक्षित और प्रशिक्षित होंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह एक मुकम्मल युवा नीति को तैयार करे और उसे अमल में लाए। इस मोर्चे पर होने वाली कोई भी कोताही देश को जनसांख्यिकी लाभांश से वंचित करेगी और कई दुरुह चुनौतियों को उत्पन्न करेगी।

सर विलियम बैवरीज के अनुसार ''संसार में पांच आर्थिक राक्षस मानव जाति को ग्रसित करने के लिए तैयार हैं- निर्धनता, अज्ञानता, गंदगी, बीमारी और बेरोजगारी, परंतु इनमें बेरोजगारी सबसे भयंकर है।'' बेरोजगारी का अर्थ है, काम करने योग्य एवं काम करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए काम का अभाव। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार तब कहलाएगा, जबकि वह काम करने के योग्य है तथा काम करना चाहता है, किंतु उसे काम नहीं मिलता। अर्थात् जो शारीरिक व मानसिक दृष्टि से काम करने की क्षमता रखता है एवं काम करना चाहता है परंतु उसे कार्य नहीं मिलता अथवा काम से अलग होने के लिए बाध्य किया जाता है। वर्तमान में बेरोजगारी की समस्या विश्वव्यापी समस्या है, किंतु यहां भारत के संदर्भ में विचार करें तो पाते हैं कि भारत में बेरोजगारी विभिन्न रूपों में पाई जाती है।

दरिद्रता और बेरोजगारी का तो मानो चोली दामन का साथ है। एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह बेरोजगार है तथा वह बेरोजगार है इसलिए गरीब है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्यों में लगाने, स्वावलंबी बनाने तथा आत्मविश्वास पैदा करने में असफल रही है। भारत में मांग व प्रशिक्षण की सुविधाओं में समन्वय के अभाव में कई विभागों में प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी है। उक्त कारणों के अतिरिक्त भारत में विद्युत की कमी, परिवहन की असुविधा, कच्चा माल तथा औद्योगिक अशान्ति के कारण नये उद्योग स्थापित नहीं हो रहे हैं, वहीं उत्पादन में तकनीकी विधियों को लागू करने से भी बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। हस्त व लघु उद्योगों की अवनति, त्रुटिपूर्ण नियोजन, यंत्रीकरण एवं अभिनवीकरण, स्त्रियों द्वारा नौकरी करना, विदेशों से भारतीयों का आगमन आदि कारण भी बेरोजगारी समस्या के लिए उत्तरदाई हैं। बेरोजगारी की समस्या समाज में आज अत्यंत भयंकर एवं गंभीर समस्या बन गई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तेज गति के बावजूद उच्च गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं। रोजगार वृद्धि की इस धीमी दर के कारण ही अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग मौजूदा विकास को रोजगार विहीन विकास की संज्ञा देता हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि कृषि क्षेत्र से जो युवा रोजगार के लिए उद्योगों और सेवा क्षेत्र की ओर आ रहे हैं, उन्हें ज्यादातर अस्थाई श्रमिक के रूप में रोजगार मिलता है। वहां पर उन्हें कम वेतन के साथ-साथ मामूली सामाजिक सुरक्षा मिलती है। नीति निर्माताओं के लिए यह स्थिति चुनौती के साथ परेशानी का सबब बना हुआ है।

उद्योगों विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं, जबकि कृषि क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में सेवा और उद्योगों की ओर आ रहे हैं। रोजगार विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण रोजगार के बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक मुद्दे को उठाया गया है।

रोजगार और समावेशी विकास

इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2005-10 के बीच विनिर्माण क्षेत्र में करीब 50 लाख रोजगार समाप्त हो गए। दूसरी ओर सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई और इसी अवधि में 2.8 करोड़ रोजगार के नए अवसर निकले। वहीं वर्ष 2005-10 के बीच सिर्फ 40 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि उद्योगों विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं, जबकि कृषि क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में सेवा और उद्योगों की ओर आ रहे हैं। रोजगार विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण रोजगार के बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक मुद्दे को उठाया गया है। सर्वेक्षण में स्वीकार किया गया है कि अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक चुनौती यह है कि गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर कहां से निकलेंगे। उत्पादक रोजगार विकास के लिए बहुत जरूरी है। गुणवत्तापूर्ण रोजगार समावेशी विकास के लिए बहुत जरूरी है और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सबसे उचित माध्यम है।

उद्योगों में रोजगार पैदा हो रहे हैं, पर ज्यादातर नौकरियां असंगठित क्षेत्र में है जहां कम उत्पादक और अस्थाई प्रवृत्ति के साथ कम आय व सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं है। सेवा क्षेत्र में रोजगार की प्रकृति उच्च उत्पादक है लेकिन हाल के वर्षो में सेवा क्षेत्र में रोजगार की गति बहुत धीमी रही है। देश के सामने कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाते हुए उससे बाहर विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में उत्पादक रोजगार पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करके ही आने वाले दशकों में तेज और समावेशी विकास का रास्ता खोला जा सकता है।

आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2010 से 2020 तक के दशक में उद्योगों और सेवा क्षेत्र में 2000-10 के दशक की गति के जैसे रोजगार के अवसर बढ़े तो कृषि क्षेत्र का कुल रोजगार में हिस्सा मौजूदा 41 प्रतिशत से घटकर मात्र 40 प्रतिशत रह जाएगा। इसी तरह अगर श्रमशक्ति में भागीदारी दर और बेरोजगारी दर 2010 के स्तर पर रहे तो वर्ष 2020 में कोई 28 लाख रोजगार के अवसर कम होंगे। सर्वेक्षण के मुताबिक यह कुल श्रम शक्ति का मात्र शून्य दशमलव पांच प्रतिशत होगा लेकिन अगर श्रम शक्ति में भागीदारी की दर में सिर्फ दो प्रतिशत वृद्धि होने और 56 की बजाए 58 प्रतिशत होने तथा ज्यादा महिलाओं को रोजगार के लिए बाहर आने पर गुमशुदा रोजगार की संख्या 1.37 करोड़ हो जाएगी।

इस मुद्दे पर देश में तीखी बहस जारी है कि क्या सख्त श्रम कानून रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की राह में बाधक बना हुआ है।

देश में सख्त श्रम कानूनों के कारण ज्यादातर रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में हैं यानी बिना किसी संविदा और सुविधाओं के श्रमिकों को काम करना पड़ता है। सर्वेक्षण के मुताबिक अभी 95 प्रतिशत रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में है और कोई 80 प्रतिशत श्रमिक बिना किसी संविदा के काम करने को मजबूर हैं। ट्रेड यूनियनें पिछले कई वर्षों से सरकार और नियोजकों पर श्रम-कानूनों का माखौल उड़ाने का आरोप लगाते हुए रोजगार के अनौपचारिकीकरण और ठेकाकरण का विरोध कर रही हैं। सर्वेक्षण पर सवाल यह है कि क्या श्रम-कानूनों को ढीला करने और नियोजकों को हायर-फायर का अधिकार देने से वे श्रमिकों को स्थाई नौकरी और सभी सामाजिक लाभ देने लगेंगे। देश में रोजगार के मौके बढ़ने लगेंगे और उनकी गुणवत्ता में सुधार आएगा।

कौशल और ज्ञान आर्थिक और सामाजिक विकास की चालक शक्तियां होती हैं। जिन देशों में कौशल का स्तर बेहतर होता है वे दुनिया भर में चुनौतियों और सुअवसरों से बेहतर ढंग से समायोजन करते हैं। सरकार प्रशिक्षण मूल सुविधा के सृजन के प्रति गंभीर है और

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना- युवा सशक्तीकरण की नई दिशा

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख योजना है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। नवगठित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। इसके तहत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यू एफ) और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। कार्यक्रम के तहत तृतीय पक्ष आकलन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशिक्षुओं को नकद पारितोषिक दी जाएगी। नकद पारितोषिक औसतन 8,000 रूपए प्रति प्रशिक्षु होगी। कौशल प्रशिक्षण एनएसडीसी द्वारा हाल ही में संचालित कौशल अंतर अध्ययनों के जरिए मांग के आकलन के आधार पर दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग और व्यावसायिक घरानों से विचार विमर्श कर भविष्य की मांग का आकलन किया जाएगा। इसके लिए एक मांग समूहक मंच भी शुरू किया जा रहा है।

कौशल विकास के लक्ष्य निर्धारित करते समय हाल में ही लागू किए गया प्रमुख कार्यक्रम जैसे कि 'मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन और स्वच्छ भारत अभियान के मांगों को भी ध्यान में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मुख्य रूप से श्रम बाज़ार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों पर जोर होगा और विशेषकर कक्षा 10 व 12 के दौरान स्कूल छोड़ गए छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एनएसडीसी के प्रशिक्षण साझेदारों द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 2,300 केंद्रों के एनएसडीसी के 187 प्रशिक्षण साझेदार हैं। इनके अलावा केंद्र व राज्य सरकारों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को भी इस योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए जोड़ा जाएगा। सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं को इस योजना के लिए योग्य होने के लिए एक जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। पीएमकेवीवाई के तहत सेक्टर कौशल परिषद व राज्य सरकारें भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे।

योजना के तहत एक कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) भी तैयार की जाएगी जो सभी प्रशिक्षण केंद्रों के विवरणों और प्रशिक्षण व पाठ्यक्रम की गुणवत्ता की जांच करेगी और उन्हें दर्ज भी करेगी। जहां तक संभव होगा प्रशिक्षण प्रक्रिया में बायोमिट्रिक सिस्टम व वीडियो रिकार्डिंग भी शामिल की जाएगी जो पीएमकेवीआई से जानकारी ली जाएगी जो पीएमकेवीआई की प्रभावशीलता के मूल्यांकन का मुख्य आधार होंगे। शिकायतों के निपटान के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए एक ऑनलाइन नागरिक पोर्टल भी शुरू किया जाएगा।

कुल 1120 करोड़ रुपए के परिव्यय से 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसमें पूर्व शिक्षा-प्रशिक्षण को चिह्नित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस मद में 220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं को जुटाने तथा जागरुकता फैलाने के लिए 67 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं को कौशल मेलों के जरिए जुटाया जाएगा और इसके लिए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। कौशल व उद्यम विकास वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। नवगठित कौशल व उद्यम विकास मंत्रालय की मेक इन इंडिया अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अभियान भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए अहम पहल है। विकासशील अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र समेत सभी क्षेत्रों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने में इस मंत्रालय की अहम भूमिका है।

इस दिशा में उठाए गए सभी उपायों को शामिल करने के लिए एक नयी राष्ट्रीय कौशल व उद्यम विकास नीति भी तैयार की गयी है। इस नीति के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल के साथ विकास को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में प्रयास मिशन के तौर पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत तीन संस्थान कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास प्रयासों को नीतिगत दिशा दे रही है और इनकी समीक्षा भी कर रही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय प्रधानमंत्री की परिषद के नियमों को लागू करने के लिए रणनीतियों पर कार्य कर रहा है। एनएसडीसी एक गैर-लाभ कंपनी है और गैर संगठित क्षेत्र समेत श्रम बाज़ार के लिए कौशल प्रशिक्षण की जरुरतों को पूरा कर रही है।

भारत ने विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना ली है। उम्मीद है कि भारत शीघ्र ही विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। वर्ष 2020 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र भी बन जाएगा। जनसंख्या के सकारात्मक कारकों और उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल की सतत उपलब्धता की मदद से हमारा देश विश्व अर्थव्यवस्था में विशेष छाप छोड़ सकता है। भविष्य के बाज़ारों के लिए कौशल विकास से लेकर मानव संसाधन विकसित करने के लिए हाल में ही घोषित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अवश्य ही हमारी अर्थव्यवस्था को पूर्ण लाभ मिलेगा। नई नीति के तहत मिशन के तौर पर लागू की गई यह योजना मानव संसाधन और उद्योग के विकास में एक नए युग की शुरुआत करेगी।

युवा वर्ग को बेहतर प्रशिक्षण रोजगार दे रही है। 11वीं योजना अवधि में कौशल विकास इनोवेटिव स्कीम शुरू की गई थी। इसका आधार था। मोड्युलर इमप्लायेबल स्किल्स यह स्कीम उन लोगों के लिए थी जो समय से पहले ही स्कूली शिक्षा छोड़ देते हैं और जो श्रमिक का काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र में रोजगार की योग्यता में सुधार लाने के लिए यह स्कीम चलाई गई। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक लगभग 16 लाख लोग प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत बड़ी संख्या में लोगों के कौशल विकास का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक 150 करोड़ लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय को एक सौ मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बराबर कोशिश कर रही है और प्रशिक्षण क्षमता बढ़ा दी गई है इसके लिए सभी सरकारी आईटीआई को आधुनिक बनाया जा रहा है और वे दो तीन शिफ्टों में काम कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के आईटीआई में प्रशिक्षित लोगों की संख्या बढ़ गई है।

12वीं योजना अवधि में सरकार एक ऐसी सर्वसमावेशी नीति लाने वाली है, जिसके अंतर्गत देश के कम आयु के युवा को रोजगार पाने के बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे। मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा वे निम्नलिखित होंगे:-

- **उत्पादन क्षेत्र पर जोर–** इसको आर्थिक विकास की चालक शक्ति बनाया जाएगा और इसमें वर्ष 2025 तक एक सौ मिलियन अतिरिक्त नौकरियां सृजित की जाएंगी।
- ऐसी नीतियां शुरू की जाएंगी जिनसे श्रम सघन उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिले और लोगों को ज्यादा रोजगार अवसर मिल सकें। इनमें वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा और फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग, रत्न और जवाहरात जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त एवं बैंकिंग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन जैसे सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे।
- **अनौपचारिक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण कौशल की प्राथमिकता तय करना–** इसके लिए गांवों से आकर शहरों में बसने वाले लोगों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि विकास सर्व समावेशी हो सके।
- बाज़ार की मांग के अनुरूप कौशल के मोड्यूलों को तैयार करना और इस काम में स्किल्स काउंसिलों की मदद लेना ताकि प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को उचित रोजगार दिलाया जा सके।
- रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मोड्यूलों को रोजगार परक बनाना, ताकि उसके अनुरूप मोड्युलर इम्प्लायेबल स्किल कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ दिलाना।
- साधनहीन छात्रों को शिक्षा ऋण लेने में सक्षम बनाना (क्रेडिट गारंटी फंड)
- कौशल विकास के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए वंचित वर्गों को कौशल विकास कार्यक्रमों से लाभ पहुंचाना।
- राष्ट्रीय स्तर पर कौशल का रजिस्टर बनाना और उसे मंत्रालयों/राज्यों से संबद्ध करना ताकि लोगों को रोजगार का एक मंच मिल सके।

भारत जैसे विकासशील देश को अपनी बेरोजगारी के उन्मूलन हेतु सर्वप्रथम जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को हाथ में लेकर परिवार नियोजन, महिला शिक्षा, शिशु स्वास्थ्य के कार्य अपनाने होंगे। कृषि विकास के लिए शोध गति से विस्तार एवं कृषि में उन्नत बीजों को अपनाना होगा। नियोजन की प्रभावी नीति, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए तथा उन्हें कच्चा माल, औजार, लाइसेंस व अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति, परिवहन संबंधी अड़चन दूर करने का प्रयत्न किया जाए।

वर्तमान शिक्षा पद्धति को रोजगारोन्मुख बनाए जाने की महती आवश्यकता है। यदि माध्यमिक शिक्षा के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं की अधिकाधिक स्थापना कर युवकों को प्रशिक्षित कर वित्त, कच्चे माल व विपणन की सुविधा देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाय तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, गांवों में रोजगारोन्मुख नियोजन, युवा शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। इस दिशा में प्रयत्न हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

अगर भारत को जनसांख्यकीय लाभ का पूरा फायदा उठाना है तो उसे न सिर्फ व्यापक आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना होगा बल्कि कृषि में निवेश और तकनीक को बढ़ाने से लेकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में श्रम सुधारों को प्राथमिकता देनी होगी। यही नहीं प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा ताकि सेवा क्षेत्र को योग्य प्रत्याशियों की कमी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप को बढ़ाना देने और युवाओं को नए कौशल सिखाने पर जोर देना होगा ताकि रोजगार की गुणवत्ता में सुधार हो सके। ❑

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) भारत की एकमात्र संस्था है जिसका मूल उद्देश्य कौशल विकास है और जो निजी तथा सरकारी साझेदारी में काम करने वाली इकाई है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कौशल विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा इस बात के लिए समर्पित है कि असंगठित क्षेत्रों को इन प्रयत्नों का पूरा लाभ मिले। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (2008-09) में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के गठन की घोषणा की थी। कई बार ऐसा होता है की कुछ इकाइयां कौशल के विकास का प्रयास तो करती हैं परंतु उनसे फायदा लेने हेतु जो वित्त चाहिए होता है उसकी उनके पास कमी होती है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यह वित्त प्रदान कर उनके लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। निजी तथा सरकारी साझेदारी का एक मॉडल भी तैयार करने में एनएसडीसी की बड़ी भूमिका है जिससे निजी इकाईयों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा समर्थन देने तथा उनके साथ समन्वय बिठाने में मदद मिलेगी। बोप निगम 21 भिन्न-भिन्न क्षेत्रों पर एकाकी रूप से ध्यान केंद्रित करता है जिससे प्रत्येक सेक्टर की क्षमता को समझने तथा उसमे निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

वंचितों का विकास: नयी पहलें

अनिल सौमित्र

भारत में विकास को राजनैतिक दृष्टि से देखने का प्रचलन नहीं था। लेकिन, 21वीं सदी के प्रारंभिक दशक में विकास का परिपेक्ष्य राजनीतिक सोच, बहस और चिंता का विषय बनने लगा। विकास का प्रश्न चुनाव अभियानों का केंद्रीय विषय बन गया। राजनीतिक दल कोई भी हो, विकास के मुद्दे से मुंह नहीं चुरा सकते हैं। कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र में यह एक बड़ा परिवर्तन था

विकास के प्रश्न को प्राय: अर्थशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाता रहा है। राजनीतिक दृष्टि अब व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप, क्षेत्रीय, भाषाई, जातीय और साम्प्रदायिक संकीर्णताओं से मुंह मोड़ने लगी। अकादमिक और सामाजिक संगठन ही नहीं, बल्कि राजनीतिक संगठन भी अपने प्रस्तावों में विकास की अवधारणा पर बहस करने लगे। विकास के मॉडल की आलोचनाएं सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु राजनीतिक दृष्टि से भी की जाने लगी। स्वातंत्र्योत्तर भारत के विकास मॉडल को दोषपूर्ण, एकांगी, असंतुलित और सांप्रदायिक आरोपित किया गया। हालांकि भारतीय संविधान के प्रावधानों का हवाला देकर इन आरोपों को खारिज भी किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात् देश के संविधान में धर्म (पंथ), वंश, जाति और लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिशोध कर दिया गया (अनुच्छेद 15) और सभी नागरिकों को स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) तथा समानता (अनुच्छेद 14 तथा 16)के अधिकार प्रदान किए गए। किंतु सामाजिक न्याय और समानता के स्थान पर एक नए प्रकार की सामाजिक विषमता और असमानता पैदा हो गई। विषमता की खाई पाटने की कोशिशों ने समाज में नई खाइयों को जन्म दे दिया। पुरानी समस्याएं दूर नहीं हुईं, नई समस्याएं बढ़ गईं। वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी और साम्यवादी विकास मॉडल के अंतर्द्वन्द्व उभरने लगे। विकासशील देशों पर आर्थिक उदारीकरण और मुक्त बाज़ार व्यवस्था को स्वीकार करने का दबाव बढ़ने लगा। भारत के संदर्भ में कहा जाने लगा कि समाजवाद हो या पूंजीवाद, दुनिया के कुछ देशों के लिए भले ही उपयुक्त हों, ये भारत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। देश की प्रकृति के हिसाब से विकास मॉडल बनाने और अपनाने पर जोर दिया गया। यह कहा गया कि भारत में प्रचुर प्राकृतिक संपदा, विपुल मानव संसाधन, सामाजिक-सांस्कृतिक पूंजी और समृद्ध विरासत है, इसलिए किसी भी विदेशी विकास मॉडल की बजाए देशी विकास मॉडल पर भारत का विकास होना चाहिए। विकास की प्रक्रिया को परंपरा की ऊर्जा से पोषित होना चाहिए।

समावेशी विकास की आवश्यकता

हालांकि आजादी के बाद की सभी सरकारों ने देश के विकास बहुत जोर दिया लेकिन विकास मॉडल की अनुपयुक्तता के कारण विकास में जनसामान्य की भागीदारी, सभी वर्गों का विकास और वंचित और पिछड़े तबकों का उन्नयन बाधित हुआ। संविधान के हवाले से लंबे अरसे तक सकारात्मक पक्षपातपूर्ण विकास पर जोर दिया गया। हालांकि यह सकारात्मक पक्षपात गरीबों, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के पक्ष में ही किया गया, ताकि वे विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। किंतु जिस साामजिक न्याय, समता और समानता की अपेक्षा के साथ पक्षपातपूर्ण विकास प्रक्रिया का क्रियान्वयन हुआ, इसके

लेखक मीडिया एक्टीविस्ट और शोधार्थी हैं। लेखन, शोध और विकास संचार के क्षेत्र लगभग दो दशकों से सक्रिय हैं। फिलहाल पाञ्चजन्य के विशेष संवाददाता और स्पंदन संस्था के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। आलेख में प्रस्तुत विचार व्यक्तिगत हैं। ईमेल: anilsaumitra0@gmail.com

परिणामस्वरूप वंचितों, शोषितों, पिछड़ों और उपेक्षितों की एक नई जमात पैदा हो गई। आरक्षण और सब्सिडी के माध्यम से वंचितों का विकास संभव नहीं हो सका।

जाति और सम्प्रदाय के आधार पर पक्षपातपूर्ण विकास की कोशिशों के कारण जनसंख्या के एक बड़े हिस्से में असंतोष और भटकाव की स्थिति निर्मित हुई। अनेक क्षेत्रों में जाति और वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। कई वंचित समूहों को सामाजिक और आर्थिक संरचना ने परावलंबी बना दिया है। ये ऐसे समूह हैं जो विकास की प्रक्रिया का लाभ नहीं ले पाए हैं। विकास की एकांगी प्रक्रिया ने इन्हें एक प्रकार से निःशक्त और पंगु बना दिया है। विकास की धारा से वंचित वे लोग जो विपन्न थे, और अधिक विपन्न हो रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या में लगातार वृद्धि दर्ज

वर्तमान केंद्र सरकार ने समावेशी विकास या सर्वसमावेशी विकास की प्रक्रिया अपनाई है। इस सरकार का नारा है - सबका साथ, सबका विकास। इस नारे का राजनीतिक और समाजशास्त्रीय अभिप्राय है कि विकास की प्रक्रिया में जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, और सम्प्रदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

की जा रही है। यद्यपि सुधार के अनेक प्रयास हुए, लेकिन सभी नाकाफी सिद्ध हो गए। आरक्षण तथा सब्सिडी का प्रावधान और भूदान आंदोलन, जैसे कई सकारात्मक सरकारी-गैर सरकारी प्रयास किए गए। इन प्रयासों की असफलता को नक्सल जैसी हिंसक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। यह स्थिति तब दिखाई देती है जब भारत में वर्षों से अंतिम व्यक्ति का विकास, अन्त्योदय और सर्वोदय जैसी विकास अवधारणाएं चर्चा में रही हैं।

अनेक लोग वर्षों से लिंग, जाति, नस्ल, सम्प्रदाय, आयु और क्षेत्र के कारण विकास की प्रक्रिया से वंचित रहे हैं। इसके कारण देश और दुनिया में असमानता और भेदभाव का न सिर्फ विस्तार हुआ, बल्कि यह और अधिक गहरा भी हुआ। दुनिया के 10 प्रतिशत धनी लोगों का अधिकार 85 प्रतिशत संसाधनों पर हो गया, जबकि 50 प्रतिशत गरीब लोगों को एक प्रतिशत संसाधन ही उपलब्ध हैं। भारत में भी कमोबेश इसी प्रकार की स्थिति दिखाई देती है। अनेक पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद भी आर्थिक-सामाजिक विषमता की खाई को पाटना संभव नहीं हो सका। जवाहर रोजगार योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण आवास स्कीम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा गांधी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसे अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के बावजूद भारत के दो चेहरे दिखाई देते हैं। एक चेहरा तो 'रिच इंडिया' का है, जबकि दूसरा चेहरा 'वंचित भारत' का है। भारत में एक वर्ग ने तो आर्थिक उदारीकरण, तकनीकी विकास और नीतिगत परिवर्तनों को भरपूर लाभ उठाया, किंतु एक बड़ा वर्ग इन अवसरों को एक दर्शक की भांति देखता ही रहा।

वंचित भारत और रिच इंडिया का समेकन एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान केंद्र सरकार ने समावेशी विकास या सर्वसमावेशी विकास की प्रक्रिया अपनाई है। इस सरकार का नारा है - सबका साथ, सबका विकास। इस नारे का राजनीतिक और समाजशास्त्रीय अभिप्राय है कि विकास की प्रक्रिया में जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, और सम्प्रदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। हितग्राही या लाभार्थी चयन में दरकिनार कर दिए, हाशिए पर खड़े, छूट गए और वंचित रह गए व्यक्तियों को प्राथमिकता तो मिलेगी, लेकिन लिंग, जाति, नस्ल, भाषा, सम्प्रदाय या क्षेत्र जैसी पस्थितियों के आधार पर उनके साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। राज्य यह दबाव नहीं बनाएगा कि सांप्रदायिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को संसाधनों पर सबसे पहले हक दिया जाएगा। हालांकि समावेशी विकास भारत के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है। सदियों पूर्व यहां सर्वे भवंतु सुखिनः की सामाजिक परिकल्पना व्यक्त की गई थी लेकिन, एक नई विश्व व्यवस्था की संरचना के संदर्भ में, विकास के एक आयाम के रूप में समावेशी विकास को देखने-समझने की आवश्यकता है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अपेक्षा समावेशी विकास ही है। इसके अंतर्गत 8 प्रतिशत विकास दर हासिल करने का लक्ष्य है। समावेशी विकास में निर्धनता में कमी लाने का प्रयास, रोजगार वृद्धि तथा रोजगार में गुणात्मक व संख्यात्मक वृद्धि, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, सामाजिक विकास, क्षेत्रीय विषमता में कमी, पर्यावरण संरक्षण और आय के समान वितरण पर विशेष जोर दिया जाएगा।

सबका साथ, सबका विकास

समावेशी विकास की पहली शर्त है समाज के सभी वर्गो तक संसाधनों, सुविधाओं, सेवाओं और अवसरों तक पहुंच व भागीदारी सुनिश्चित करना। यह तभी संभव है समाज के सभी सदस्यों की योग्यता और क्षमता अवसरों के इस्तेमाल लायक हो। इसीलिए वर्तमान सरकार ने सभी के कौशल विकास की बात कही है। सरकार ने इसी दृष्टि से 'स्किल इंडिया' या 'हुनरमंद भारत' की दिशा में

समावेशी विकास भारत के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है। सदियों पूर्व यहां सर्वे भवंतु सुखिनः की सामाजिक परिकल्पना व्यक्त की गई थी लेकिन, एक नई विश्व व्यवस्था की संरचना के संदर्भ में, विकास के एक आयाम के रूप में समावेशी विकास को देखने-समझने की आवश्यकता है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अपेक्षा समावेशी विकास ही है।

कदम बढ़ाया है। इसके लिए वंचित, पिछड़े, दरकिनार और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों तक शिक्षा और हुनर पहुंचाना आवश्यक है। जाहिर है समाज में शिक्षा, लिंग, ग्रामीण परिक्षेत्र, सुदूर वनवासी अंचल, निर्धनता और आयु प्रस्थिति के कारण उपेक्षा, अवसरों की कमी और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किंतु वर्तमान केंद्रीय सरकार ने अनेक योजनाओं का सूत्रपात किया है जो इन सीमाओं के परे जाकर वंचितों और हाशिए के लोगों के लिए विकास की मुख्यधारा में स्थान सुनिश्चित करता है। मौजूदा सरकार की मंशा है कि विकास प्रक्रिया में किसी को भी नजरंदाज न किया जाए। सभी स्वीकार हों, बहिष्कार किसी का नहीं हो। सरकार का साथ सभी को मिले, सभी सरकार के साथ हों। विकास की प्रक्रिया और अवसर से कोई वंचित न रह जाए।

वंचितों का सशक्तीकरण

दोषपूर्ण विकास प्रक्रिया हाशिए का निर्माण करती है। इसके कारण अंतिम छोर का ही विस्तार होता है। जनसंख्या का बड़ा हिस्सा तेजी से इसी हाशिए की ओर जाने लगता है। गत वर्षों की विकास प्रक्रिया में ग्रामीण और वनवासी (जनजाति), महिलाएं और किसानों की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इसी हाशिए में दिखाई देता है। इस दशा में वंचितों, अधिकारविहीन, अवसरविहीन और संसाधनविहीन लोगों की तादाद काफी बढ़ जाती है और समाज संघर्ष का अखाड़ा बन जाता है। भारत की स्थिति कुछ हद तक ऐसी ही प्रतीत होती है। वर्तमान सरकार ही नहीं, बल्कि विकास विज्ञानी भी इसका समाधान समावेशी विकास में ही देख रहे हैं।

वर्तमान सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों से भविष्य की मंशा स्पष्ट होती है। इसमें वंचित वर्ग के सशक्तीकरण की नीयत झलकती है। सरकार का खास जोर इस बात पर है कि किनारे खड़े ग्रामीण, वनवासी और महिलाओं को कैसे मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए। योजनाकारों और नीति-निर्धारकों की चिंता है कि विकास की प्रक्रिया और परिणति को संतुलित और समावेशी कैसे किया जाए। आर्थिक विकास और अवसरों की उपलब्धता को समान वितरण के ढांचे में कैसे नियोजित किया जाए।

सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों से भविष्य की मंशा स्पष्ट होती है। इसमें वंचित वर्ग के सशक्तीकरण की नीयत झलकती है। सरकार का खास जोर इस बात पर है कि किनारे खड़े ग्रामीण, वनवासी और महिलाओं को कैसे मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए। योजनाकारों और नीति-निर्धारकों की चिंता है कि विकास की प्रक्रिया और परिणति को संतुलित और समावेशी कैसे किया जाए।

महिलाओं के लिए

भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। किंतु महिलाओं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अवसरों की उपलब्धता से वंचित है, हाशिए पर है। महिलाएं निर्णय प्रक्रिया और भागीदारी में सबसे पीछे है। शारीरिक दुर्बलता, अशिक्षा, निर्धनता, अस्वास्थ्य और सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण उनकी दयनीय स्थिति है। महिलाओं की इस स्थिति के रहते भारत के विकास, उत्थान, उन्नति, प्रगति और एक भारत-श्रेष्ठ भारत का सपना बेमानी है। इस हकीकत को समझते हुए भारत सरकार ने समावेशी विकास में सबसे पहले आधी आबादी को हकदार और भागीदार बनाया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना, विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, बाल स्वच्छता अभियान, और मिशन इंद्रधनुष जैसे पहल महिलाओं के स्वावलंबन और सशक्तीकरण की दिशा में क्रांतिकारी प्रयास हैं। अब प्रत्येक महिला के लिए स्वयं का बैंक खाता रखना संभव हो गया है। अब उसकी कमाई के पैसे पर उसका पूर्ण नियंत्रण होगा। वर्षों के बाद अल्पआय, अल्पबचत करने वाली महिलाओं में भी आत्मविश्वास दिखाई देने लगा है।

कमजोर तबके की महिलाओं के लिए भी आर्थिक स्वतंत्रता और स्वावलंबन के कारण अच्छे दिन का आगाज हुआ है। स्त्री सशक्तीकरण की दिशा में सरकार की अति महत्त्वाकांक्षी योजना 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के रूप में देश के सामने आई है। मध्यप्रदेश में 'बेटी बचाओ' अभियान के अंतर्गत ऐसी ही एक योजना 'लाडली लक्ष्मी' पहले से ही संचालित है। बेटियां परिवार और समाज के लिए बोझ की बजाए निधि समझी जाएं, इसके लिए सरकार ने बेटी-बचाओ-बेटी पढ़ाओ के साथ 'सुकन्या समृद्धि योजना' की शुरुआत भी की है। इस योजना से बेटियों की पढ़ाई और उनके विवाह में मदद होगी। इसके अंतर्गत बेटी के पैदा होने से 10 वर्ष की उम्र तक डाकघर अथवा अधिकृत बैंक में 'सुकन्या समृद्धि खाता' खुलवाया जा सकता है। इसमें कम से कम एक हजार रुपये और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम डेढ़ लाख रुपये किया जा सकता है। यह राशि खाता खुलने के 14 वर्षों तक जमा करना पड़ेगा। किंतु बेटी के 21 वर्ष होने पर खाता पूर्ण होगा। जब बालिका 18 वर्ष की हो जाएगी तब उसे जमा राशि का 50 प्रतिशत, और शेष राशि 21 वर्ष की आयु होने पर प्राप्त होगी।

प्रधानमंत्री के आह्वान पर टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज और भारती फाउंडेशन जैसी अनेक संस्थाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पहल की है। ये संस्थाएं देश के विभिन्न हिस्सों में विद्यालयीन छात्राओं और ग्रामीण महिलाओं के लिए शौचालयों के निर्माण का कार्य करेंगी। सरकार ने अगस्त, 2014 में सभी राज्य सरकारों को पुलिस बल में नियुक्तियों में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही देशभर में 660 'निर्भया केंद्र' की शुरुआत भी की गई है। इन केंद्र में बलात्कार पीड़ित महिलाओं को तत्काल चिकित्सा और मनो-सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते अपराध को रोकने के लिए 'हिम्मत' एप्लीकेशन, शिशुओं के लिए महत्त्वाकांक्षी टीकाकरण अभियान 'मिशन इंद्रधनुष' और लापता बच्चों के लिए 'ट्रैक चाइल्ड' वेबसाइट का संचालन अनूठी पहल है।

प्रधानमंत्री के आह्वान पर टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज और भारती फाउंडेशन जैसी अनेक संस्थाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पहल की है। ये संस्थाएं देश के विभिन्न हिस्सों में विद्यालयीन छात्राओं और ग्रामीण महिलाओं के लिए शौचालयों के निर्माण का कार्य करेंगी।

जनजातियों का समावेश

महिलाओं की ही तरह आबादी का एक और बड़ा हिस्सा दरकिनार है। वनवासी अंचलों में निवासरत जनजाति समाज भी विकास की मुख्यधारा से बहिष्कृत रहा है। इस समाज को औद्योगिकीकरण, नगरीकरण के साथ ही दोषपूर्ण विकास का खामियाजा भुगतना पड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना विकास, रोजगार आदि इनकी पहुंच से अभी भी दूर है। जनजातीय समाज पिछड़ेपन के कारण अनेक प्रकार के षड्यंत्रों का शिकार होता रहा है। सरकार ने जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए 'वन-बंधु कल्याण योजना' की शुरुआत की है। वर्ष 2014-15 के 100 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया था। उल्लेखनीय है कि मेघालय की 86.1 प्रतिशत और नागालैंड की 86.5 प्रतिशत आबादी जनजाति है। इसीलिए योजना में अन्य जनजातीय क्षेत्रों के साथ ही

उत्तर-पूर्व के राज्य भी शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि भारत तभी समृद्ध, सफल और यशस्वी होगा, जब देश का जनजाति समाज समृद्ध और सफल होगा। जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं को संबद्ध करने कोशिश भी कर रही है। प्रधानमंत्री ने जनजाति विकास के लिए नव गठित नीति आयोग को भी निर्देशित किया है। जनजातीय समाज में परिवर्तन और विकास के लिए सरकार प्रौद्योगिकी की पहुंच भी सुलभ कराने की कवायद कर रही है।

किसानों के लिए पहल

महिला और जनजाति समाज की ही तरह किसान भी वंचित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य वंचित समूहों की ही तरह भारत में किसानों की दशा दयनीय है। कृषि क्षेत्र में विकास और उन्नति का लाभ कृषकों की बजाए बिचौलियों और उद्योगपतियों को ही मिलता रहा है। देश के अनेक हिस्सों में किसानों की आत्महत्या की खबरें सामान्य हैं। जो किसान देश की जनता का भरण-पोषण करता है, जिसे अन्नदाता के नाम से संबोधित किया जाता है वही खाद्यान की कमी और कुपोषण का शिकार है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि और कृषि को उद्योग का स्वरूप देने का प्रयास कर रही है। डेयरी, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और प्रसंस्करण में गुणवत्ता विकास के द्वारा कृषि क्षेत्र को वैश्विक मानकों के आधार पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। मध्यप्रदेश सरकार पहले से ही कृषि को लाभ का व्यापार बनाने की योजना को क्रियान्वित कर रही है। संसद में लंबित भूमि अधिग्रहण विधेयक को भी सरकार इसी मंशा के साथ प्रचारित कर रही है। समावेशी विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और कृषि समर्थित उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही अधोसंरचना विकास तथा ग्रामीण लोगों की आर्थिक-शैक्षणिक सशक्तिकरण का प्रयास भी आवश्यक होगा।

सरकार ने सूचना साझा करने, जनसंख्या के अधिकतम हिस्से का कौशल विकास करने, सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों को विस्तृत करने, विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और विकास को धारण करने हेतु क्षमता संवर्द्धन का प्रयास किया है। इसका परिणाम समाज में आत्मविश्वास की वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है।

समावेशी विकास की बाधाएं

भारत जैसे बड़े और विकासशील देश में समावेशी विकास एक बड़ी चुनौती है। सामाजिक अंतर्विरोधों, विकारों और पूर्वाग्रहों ने इस चुनौती को और अधिक जटिल कर दिया है। जो परिवर्तन सामाजिक परंपराओं और मानकों से मेल नहीं खाता, समाज या तो उसे अस्वीकार कर देता है या बड़ी मुश्किल से स्वीकार करता है। असंतुलित और सामाजिक रूप से प्रतिकूल विकास समाधान की बजाए समस्याओं को पैदा करती है। जटिल सामाजिक संरचना, जनसंख्या के बड़े हिस्से की निर्धनता, क्षेत्रीय विषमता, भिक्षावृत्ति, भ्रूण-हत्या, महिला अपराध, बालिकाओं का स्कूल बहिष्कार, महिलाओं के बारे में परंपरागत पूर्वाग्रह, किसानों की दयनीय स्थिति, अकुशल श्रमशक्ति, प्राथमिक और उच्च शिक्षा की निम्न गुणवत्ता, बाज़ार और उदारीकरण का दबाव आदि ऐसी समस्याएं हैं जो समावेशी विकास के समक्ष बाधा बनकर खड़ी हैं। गत एक वर्ष में सरकार ने सूचना साझा करने, जनसंख्या के अधिकतम हिस्से का कौशल विकास करने, सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों को विस्तृत करने, विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और विकास को धारण करने हेतु क्षमता संवर्द्धन का प्रयास किया है। इसका परिणाम समाज में आत्मविश्वास की वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है।

केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि और कृषि को उद्योग का स्वरूप देने का प्रयास कर रही है। डेयरी, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और प्रसंस्करण में गुणवत्ता विकास के द्वारा कृषि क्षेत्र को वैश्विक मानकों के आधार पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सरकार प्रयासरत है।

निष्कर्ष

समावेशी विकास वैश्विक और भारतीय संदर्भों में नया नहीं है। आजादी के बाद विकास मॉडल के विभिन्न प्रारूपों का प्रयोग होता रहा है। किंतु विकास प्रारूपों का भारतीयकरण न होने के कारण दोषपूर्ण विकास प्रक्रिया का संचालन होता रहा। समस्याएं कम होने या खत्म होने की बजाए बढ़ती गईं। देश में एकांगी और असंतुलित विकास के कारण विषमता और असमानता का विकास हुआ। प्राचीनकाल से ही उपलब्ध विकास दर्शन और अवधारणा को नजरंदाज करने के कारण अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। अब लंबे अरसे के बाद समावेशी विकास का ताना-बाना तैयार किया जा रहा है। विकास में हिस्सेदारी और जिम्मेदारी की भावना स्थापित की जा रही है। इस विकास प्रक्रिया में जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा, आयु, सम्प्रदाय आदि हाशिए पर हैं। समग्र जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो रहा है। विकास की मुख्यधारा में वंचित, तिरस्कृत, बहिष्कृत और दरकिनार आबादी का स्थान सुनिश्चित किया जा रहा है। समावेशी विकास में महिला, जनजाति और किसानों को विशेष महत्त्व देने की कोशिश हो रही है। यह जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा है। समावेशी विकास की प्रक्रिया से देश में उन्नति और समृद्धि के साथ सद्भावना, समरसता और श्रेष्ठता भी आएगी। हालांकि वर्तमान सरकार एक वर्ष में समावेशी विकास का आगाज ही कर पायी है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आवश्यकता इस बात की है कि विकास मॉडल का भारतीय संदर्भों में अनुकूलन हो। विकास के लिए भारतीय मानक, पद्धति और प्रक्रिया गढ़े जाएं। मूल्यांकन और उपचार की पद्धति भी भारतीय हो। भारत का विकास भारतीय दृष्टि से हो, तभी यह सार्थक और सफल सिद्ध होगा। ❑

समावेशी विकास का ताना-बाना तैयार किया जा रहा है। विकास में हिस्सेदारी और जिम्मेदारी की भावना स्थापित की जा रही है। इस विकास प्रक्रिया में जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा, आयु, सम्प्रदाय आदि हाशिए पर हैं। समग्र जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो रहा है। विकास की मुख्यधारा में वंचित, तिरस्कृत, बहिष्कृत और दरकिनार आबादी का स्थान सुनिश्चित किया जा रहा है।

बीमा योजनाएं: सामाजिक सुरक्षा की ठोस पहल

जितेंद्र सिंह

जीवन, दुर्घटना के कारण होने वाली निशक्तता के जोखिम को कवर करने वाली और वृद्धावस्था में आमदनी संबंधी योजनाएं लाखों गरीबों की सेवा करने का एक मॉडल है और देश में पुख्ता और स्थाई सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये योजनाएं ग्राहकों के संदर्भ में बेहद कामयाब रही हैं। योजना के निष्पादन का आकलन इस अल्प अवधि और सिर्फ ग्राहकों के संदर्भ में ही नहीं किया जा सकता। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इन योजनाओं ने गरीबों को एक विकल्प मुहैया कराया है, शासन को व्यवस्थित किया है और वित्तीय संस्थानों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सहित तीन प्रमुख योजनाएं हाल ही में प्रारंभ की गई हैं। ये तीनों योजनाएं क्रमशः जीवन व दुर्घटनावश होने वाली निशक्तता के जोखिम को कवर करेंगी और विशेष आयु वर्ग के लोगों के लिए वृद्धावस्था में आमदनी की व्यवस्था हो सकेगी। बीमा योजनाओं में नामित व्यक्ति/ग्राहक, प्रति वर्ष क्रमशः मात्र 330 रुपये और 12 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करके ग्राहक की मृत्यु अथवा स्थायी निशक्तता की स्थिति में 2 लाख रुपये का दावा कर सकता है। प्रीमियम की राशि पॉलिसी धारक के खातों से 'स्वतः लेकर जमा कर ली जाएगी' (यानी यह राशि 'ऑटो डेबिटेड' होगी)। ये बीमा योजनाएं एक वर्ष -1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक हैं और इनका हर साल नवीकरण कराना होगा। इन बीमा योजनाओं तक पहुंच बनाने के लिए ग्राहक को सिर्फ एक साधारण सा एक पृष्ठ का फॉर्म भरना होगा और उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। ये योजनाएं देश में पुख्ता और सुगम सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क तैयार करने की दिशा में उठाया गया कदम हैं। इन योजनाओं की कई महत्वपूर्ण नवीन विशेषताएं हैं।

पहली, ये योजनाएं लगभग सभी के लिए सुलभ हैं, क्योंकि ये उन सबको भी कवर करती हैं, जो इसी तरह के उत्पादों को निजी तौर पर प्राप्त नहीं कर सकते। आयु, बैंक खाते आदि जैसी सीमाएं हालांकि इसके दायरे को सीमित करती हैं, लेकिन इसके बावजूद इन उत्पादों को व्यवहारिक एवं कार्यान्वयन योग्य बनाने के लिए ऐसा किया जाना संभवतः आवश्यक हैं। प्रीमियम/निवेश की राशि इतनी कम इसलिए रखी गई है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इन तक पहुंच बना सके।

दूसरी, ग्राहक द्वारा प्रीमियम/निवेश के संदर्भ में किया जाने वाला योगदान उसे जिम्मेदार बनाता है और उसमें इस प्रकार के उत्पादों की आदत विकसित करने में सहायता करता है। यह ऐसे वित्तीय उत्पादों के बारे में जनता के बीच पर्याप्त जागरूकता भी फैलाता है। इतना ही नहीं, यह बैंकों और जनता के बीच संबंधों को प्रोत्साहन देंगी और इस प्रकार वित्तीय समावेशन को भी बल मिलेगा।

तीसरी, इस पूरी प्रक्रिया में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ग्राहक को बीमा कंपनी से सीधे संपर्क नहीं करना पड़ता, बल्कि बैंक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। बैंक प्रीमियम की राशि खातों से निकालकर स्वतः जमा कर लेता है। मृत्यु या निशक्तता की स्थिति में, लाभार्थियों को बैंक के साथ लिखा-पढ़ी करनी पड़ती है और बैंक दावे का भुगतान कराने के लिए उनका मामला बीमा कंपनी के समक्ष उठाता है। दावे की राशि बैंक खाते में जमा होती है। इस व्यवस्था से ग्राहकों को बेहद सुविधा हो गई है।

चौथी, जन धन योजना में शुरू किए गए 'बिज़नेस कॉरसेपोंडेंट' (बीसी) मॉडल से बैंकों की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। कोई भी योग्य बेरोजगार युवा बैंक के साथ बीसी बन सकता है। बीसी बैंक की शाखा से काफी दूरी पर स्थित किसी गांव में छोटा-मोटा लेन-देन (जमा और निकासी) कर सकता है, खाते खोल सकता है और लोगों को बीमा और पेंशन उत्पाद बेच सकता है। इस तरह, बैंक अपनी लेन-देन संबंधी लागत में पर्याप्त कमी ला सकते हैं।

पांचवीं, बीमा और पेंशन उत्पाद राष्ट्र के लिए बचत संघटित करते हैं, जिनका उपयोग, परंपरागत सामाजिक सुरक्षा उत्पादों स्वर्ण एवं जमीन के विपरीत, लाभकारी निवेश में किया जा सकता है। जोखिम घटाने के परंपरागत उपायों तक गरीबों की पहुंच नहीं थी।

इन नवाचारों के साथ, इन पॉलिसियों ने ग्राहकों की संख्या के संदर्भ में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। थोड़े से अंतराल में, 27.06.2014 तक करीब 10.42 करोड़ लोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों

लेखक भारतीय आर्थिक सेवा के 2008 बैच से संबद्ध हैं और औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार कार्यालय में उपनिदेशक के पद पर हैं। आलेख में प्रस्तुत विचार उनके व्यक्तिगत विचार हैं। ईमेलः singh.jitender@nic.in

(आरआरबी) के माध्यम से संचयी रूप से पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई के ग्राहक बन चुके थे। इस दिशा में पीएसबी ने करीब 78 प्रतिशत, आरआरबी 16 प्रतिशत योगदान दिया और शेष योगदान निजी बैंकों, ग्रामीण सहकारी संस्थाओं और शहरी सहकारी संस्थाओं ने दिया। 10.42 करोड़ के संचयी आंकड़े के अंतर्गत, किसी व्यक्ति द्वारा तीनों पॉलिसियों का ग्राहक बनने पर उसको तीन बार गिना जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा दो पॉलिसियों का ग्राहक बनने पर उसको दो बार गिना जाता है। इन पॉलिसियों का ग्राहक बनने वाले लोगों की वास्तविक संख्या काफी कम हो सकती है।

संचयी ग्राहकों में से, करीब तीन-चौथाई ने दुर्घटना बीमा और करीब एक-तिहाई ग्राहकों ने जीवन बीमा लिया है। एक प्रतिशत से भी कम ने पेंशन योजना को चुना है। लोगों की प्राथमिकताओं का रुख दुर्घटना बीमा की ओर है। इसकी वजह-मात्र 12 रुपये सालाना जैसा मामूली प्रीमियम तथा 18 से 70 वर्ष का विशाल आयु वर्ग होना भी हो सकती है, जबकि इसकी तुलना में जीवन बीमा का प्रीमियम अपेक्षाकृत काफी अधिक-330 रुपये सालाना है और यह 50 वर्ष की आयु तक सीमित है और दोनों में 2 लाख रुपये का समान जोखिम कवर मिलता है।

संचयी ग्राहकों में से सिर्फ एक-तिहाई ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो कुल आबादी में इनके 68 प्रतिशत योगदान और कुल गरीबों में 78 प्रतिशत हिस्सेदारी की तुलना में काफी कम है। इसकी वजह जागरूकता की कमी और ग्रामीण इलाकों में बैंकों की पैठ कम होना हो सकती है। संचयी ग्राहकों में मात्र एक-चौथाई महिलाएं हैं और ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में समान रूप

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

• यह एक वर्ष की टर्म जीवन बीमा कवर योजना है, जो वर्ष दर वर्ष नवीनीकरणीय है और जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर दिया जाता है।

• किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये देय है। प्रीमियम राशि 333 रुपये प्रति सदस्य प्रति वर्ष है।

• यह प्रीमियम राशि खाताधारक के बैंक खाते से ''ऑटो डेबिट'' सुविधा के अनुसार एक किस्त में काट ली जाएगी। योजना के अनुभव की समीक्षा के दौरान पुन: जांच में आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन के अध्यधीन सदस्य योजना के लागू रहने तक प्रति वर्ष ''ऑटो डेबिट'' का एकबारगी अधिदेश भी दे सकते हैं।

• सहभागी बैंकों के सभी बैंक खाताधारक (एकल/संयुक्त), जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष है, इसमें शामिल होने के लिए पात्र होंगे। किसी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कई खाते हों, तो ऐसे मामलों में, वह व्यक्ति केवल एक खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा।

• 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक की कवर अवधि के लिए, सदस्यों को 31 मई, 2015 तक योजना में अपना नामांकन करवाना था तथा 31 मई, 2015 तक, स्वत: जमा करने की सहमति देनी थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त, 2015 कर दिया गया है। इसका हर वर्ष नवीकरण कराना होगा।

• ऑटो डेबिट से प्रीमियम भुगतान कर निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर संभावित कवर प्राप्त कर सकते हैं। नए पात्र सदस्य भविष्य के वर्षों में इसी प्रकार शामिल हो सकते हैं।

• सदस्य के जीवन का बीमा निम्नलिखित घटनाओं में से किसी भी एक घटना घटने पर समाप्त होगा–

▶ 55 साल की उम्र (निकटतम जन्म दिन) होने पर बशर्ते यह कि, उस तिथि तक वार्षिक नवीनीकरण हो।

▶ बैंक के साथ खाता बंद होने पर या बीमा कवर चालू रखने हेतु पर्याप्त राशि न होने पर।

▶ यदि सदस्य एलआईसी/अन्य कंपनी के साथ एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया गया है और एलआईसी/अन्य कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है तो उस स्थिति में बीमा कवर 2 लाख रुपये तक सीमित होगा तथा प्रीमियम जब्त किया जा सकता है।

• प्रीमियम का विनियोजन

एलआईसी/बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम: 289/- रुपये प्रति वर्ष

बीसी/माइक्रो/निगमित/अभिकर्ताओं को व्यय प्रतिपूर्ति: 30/- प्रति वर्ष

सहभागी बैंकों को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति 11/- प्रति वर्ष

• संयुक्त खाते के मामले में उक्त खाते के सभी खाताधारक योजना में शामिल हो सकते हैं। बशर्ते कि वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हों और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 330 रुपये की दर से प्रीमियम का भुगतान करते हों।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

• योजना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसकी अवधि एक वर्ष है, जिसका नवीकरण प्रत्येक वर्ष किया जा सकता है और जोकि दुर्घटनावश मृत्यु एवं विकलांगता के लिए सुरक्षा प्रदान करती है।

• **योजना के अंतर्गत लाभ तथा देय प्रीमियम क्या होगा?**

	लाभ की तालिका	राशि
क	मृत्यु	2 लाख रु.
ख	दोनों आंखों की कुल और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना या एक आंख की नजर खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना	2 लाख रु.
ग	एक आंख की नजर की कुल तथा अपूरणीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना।	

प्रीमियम- प्रत्येक सदस्य द्वारा 12/- रुपये प्रति वर्ष।

• सहभागी बैंकों में 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु वाले समस्त खाताधारी इस योजना में शामिल होने के हकदार हैं। कोई भी व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के द्वारा ही इस योजना में शामिल हो सकता है।

• निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में सदस्य का दुर्घटना कवर समाप्त/सीमित हो जाएगा–

▶ 70 वर्ष की आयु (निकटतम जन्मदिन) तक।

▶ खाते की समाप्ति या बीमा जारी रखने के लिए राशि की अपर्याप्तता।

▶ यदि सदस्य एक से अधिक खातों से कवर होता है और बीमा कंपनी को प्रीमियम अनजाने में होता है, तो बीमा कवर को एक खाते तक सीमित कर दिया जाएगा और प्रीमियम को जब्त किया जा सकता है।

▶ पीएसजीआईसी 10 रुपये प्रति वर्ष प्रति सदस्य;

▶ बीसी सूक्ष्म/कारपोरेट एजेंट को व्यय की प्रतिपूर्ति 1 रुपये प्रति वर्ष

▶ भागीदार बैंक को संचालन व्यय की प्रतिपूर्ति 1 रुपये प्रति वर्ष

• प्राकृतिक आपदाएं दुर्घटना जैसी हैं। इसलिए ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली कोई मृत्यु/अपंगता, पीएमएसबीवाई में यथा परिभाषित है और कवर की जाती है। आत्महत्या के कारण होने वाली मृत्यु को इसमें शामिल नहीं किया जाता है लेकिन हत्या की स्थिति शामिल है।

• इस योजना में नामांकन कराने वाला खाताधारक की मृत्यु के मामले में नामांकन फॉर्म में दिए गए नियुक्त व्यक्ति द्वारा या अभिदाता बैंक खाताधारक द्वारा कोई नामांकन न किए जाने/अनुसार नामिती के मामले में कानूनी वारिस वारिसों द्वारा दावा दायर किया जा सकता है।

• सड़क, रेल या अन्य वाहन संबंधी दुर्घटनाओं/किसी अपराध के कारण होने वाली मृत्यु जैसे-डूबने, पेड़ से गिरने, दुर्घटनाओं के मामले में दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस को की जानी चाहिए। सांप के काटने आदि के मामले में दुर्घटना के समर्थन में अस्पताल के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है।

से वितरित है। ये अनुपात अलग-अलग योजनाओं में ज्यादा भिन्न नहीं हैं। अब तक, 28 लोगों को जीवन बीमा के अंतर्गत दावों का भुगतान किया जा चुका है और आठ लोगों को दुर्घटना बीमा के तहत भुगतान हो चुका है।

ये योजनाएं सरकार, बैंकों और लोगों के समक्ष चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं :

- ग्रामीण इलाकों में इन योजनाओं के बारे में जागरूकता और समझ का अभाव एक प्रमुख रुकावट है। ग्रामीण इलाकों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जो वांछित सूचना को निश्चित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराए। किसी भी अवस्था पर ग्राम पंचायत को सम्मिलित किए बिना गांवों में जागरूकता फैलाना और भी मुश्किल हो जाता है।
- जेजेबीवाई और एसबीवाई के अंतर्गत इन खातों में थोड़ी बहुत रकम जमा होने से जन धन योजना से संबद्ध ज़ीरो बैलेंस वाले खाते के रख-रखाव पर आने वाली भारी भरकम लागत में हालांकि कुछ हद तक कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद बीमा खातों के रख-रखाव और प्रोसेसिंग की लागत बैंकों के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है।
- कम जमा राशि वाले इन खातों के रख-रखाव की क्षमता में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करना बैंकों के लिए संभवत: व्यवहारिक नहीं होगा, जबकि मौजूदा कर्मचारियों को इस काम पर लगाने से अन्य कार्यों पर असर पड़ सकता है।
- बीसी नियुक्त करने की व्यवहारिकता खातों की संख्या और इन खातों में होने वाले लेन-देन पर निर्भर करती है। क्योंकि इनमें से अधिकांश खाते अल्प राशि अथवा कम जमा राशि वाले हैं, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि वे बैंक के लिए उपयोगी कारोबार सृजित कर सके।
- गांव में काम करने वाले बीसी को लैपटॉप, बिजली और इंटरनेट की अच्छी कनैक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। यदि वह लैपटॉप और इनवर्टर पर निवेश कर भी दे, तो भी ज्यादातर गांवों में इंटरनेट की खराब कनैक्टिविटी प्रभावी कामकाज की दिशा में बहुत बड़ी रुकावट है।

संक्षेप में कहें, तो जीवन, दुर्घटना के कारण होने वाली निशक्तता के जोखिम को कवर करने वाली और वृद्धावस्था में आमदनी संबंधी योजनाएं लाखों गरीबों की सेवा करने का एक मॉडल है और देश में पुख्ता और स्थाई सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के निष्पादन का आकलन इस अल्प अवधि और सिर्फ ग्राहकों के संदर्भ में ही नहीं किया जा सकता। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इन योजनाओं ने गरीबों को एक विकल्प मुहैया कराया है। ❑

अटल पेंशन योजना

• अटल पेंशन योजना (एपीवाई) भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित पेंशन योजना है। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं के अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पर 1000/- रुपये, 2000/- रुपये, 3000/- रुपये, 4000/- रुपये और 5000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम तयशुदा पेंशन प्रदान की जाएगी।

• भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है। पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं: अभिदाता की आयु 18-40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
उसका एक बचत बैंक खाता होना चाहिए।
संभावित आवेदक के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए तथा उसका विवरण पंजीकरण के दौरान बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

• एपीवाई में सरकार 1 जून, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के दौरान योजना में शामिल हुए पात्र एपीवाई खाता धारकों को कुल अंशदान का 50 प्रतिशत अर्थात् 1000/- रुपये प्रतिमाह में जो भी कम हो, का सह-अंशदान करेगी। सरकारी सह-अंशदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा।

• एपीवाई खाता खोलने के लिए:
- ▸ बैंक शाखा से संपर्क करें जहां पर व्यक्ति का बचत बैंक खाता है।
- ▸ एपीवाई पंजीकरण प्रपत्र भरें। आधार/मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं।
- ▸ मासिक अंशदान के अंतरण के लिए बचत बैंक खाते में अपेक्षित शेष राशि रखना सुनिश्चित करें।

• एपीवाई खाता खोलने के लिए आधार नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है। तथापि, नामांकन के लिए दीर्घावधि में पेंशन अधिकार तथा हकदारी से संबंधित विवादों से बचने के लिए लाभार्थियों, उसके पति/पत्नी एवं नामितों की पहचान के लिए आधार मुख्य केवाईसी दस्तावेज होगा।

• सभी अंशदान अभिदाता के बचत बैंक खाते से स्वत: जमा सुविधा के जरिए मासिक विप्रेषित किए जाने हैं।

• विनिर्दिष्ट तारीख को अंशदान के लिए बचत बैंक खाते में अपेक्षित शेष राशि न बनाए रखना चूक माना जाएगा। बैंकों को विलम्ब से किए गए भुगतान की अतिरिक्त राशि एकत्र करना अपेक्षित है, ऐसी राशि न्यूनतम 1/- रुपया प्रतिमाह से 10/- रुपया प्रतिमाह निम्नानुसार भिन्न होगी।

▸ 100/- रुपये प्रतिमाह तक अंशदान के लिए 1/- रुपया प्रतिमाह

▸ 101/- रुपये से 500/- रुपये प्रतिमाह तक अंशदान के लिए 2/- रुपये प्रतिमाह, ▸ 501/- रुपये से ▸ 1000/- रुपये प्रतिमाह तक अंशदान के लिए 5/- रुपये प्रतिमाह, 1001/- रुपये प्रतिमाह तक अंशदान के लिए 10/- रुपये प्रतिमाह

अंशदान राशि का भुगतान बंद कर दिए जाने से इस प्रकार होगा–

☞ 6 माह बाद खाता फ्रीज कर दिया जाएगा, ☞ 12 माह बाद खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा, ☞ 24 माह बाद खाता बंद कर दिया जाएगा।

अभिदाता को सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक खाते में अंशदान राशि के स्वत: जमा कराने के लिए पर्याप्त निधि हो।

तालिका 1: 1000/- रुपये की गारंटीशुदा पेंशन प्राप्त करने के लिए निवेश

आयु	अंशदान के वर्ष	मासिक अंशदान (रुपये में)
18	42	42
20	40	50
25	35	76
30	30	116
35	25	181
40	20	291

• कोई भी अंशदाता केवल एक एपीवाई खाता खोल सकता है और वह एकमात्र होगा।

• अंशदाता को समय-समय पर एसएमएस अलर्ट के द्वारा अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अंशदान राशि के बारे में सूचित किया जाएगा। अंशदाता को खाते की विवरणी की प्रति भी प्रेषित की जाएगी।

• स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत 18-40 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी पंजीकृत अंशदाता स्वत: एपीवाई योजना में चयन के विकल्प के आधार पर शामिल हो जाएंगे। तथापि, एपीवाई के अंतर्गत सरकार के पांच वर्ष के सह-अंशदान के लाभ स्वावलम्बन योजना के अंशदाताओं को पहले से ही प्राप्त अंशदान राशि की मात्रा के अनुसार मिलेंगे। यदि स्वावलम्बन हिताधिकारी ने सरकार के सह-अंशदान के 1 वर्ष के लाभ को प्राप्त किया हो तो एपीवाई के तहत सरकार के सह-अंशदान का लाभ 4 वर्ष अथवा उसी प्रकार से प्रदान किया जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

ई-मंडी

ई-मंडी, एक इलैक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेटफॉर्म है, जो पूरी विपणन प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने का सुविधाजनक तरीका उपलब्ध कराते हुए, खुदरा और थोक विक्रेता दोनों के लिए सब्जियों को अच्छे दामों पर ऑनलाइन बेचने का अवसर उपलब्ध कराता है। ई-मंडी परियोजना की मदद से, देशभर की विनियमित मंडियां एक समान ई-प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी, जो देशभर के किसानों और खुदरा एवं थोक विक्रेताओं जैसे व्यापारियों को पारदर्शक ढंग से कृषि उत्पादों को सबसे ज्यादा अनुकूल दामों पर खरीदने अथवा बेचने का अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही, विक्रेताओं द्वारा किसानों को ठगने की गुंजाईश भी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा, निजी बाज़ारों (मंडियों) को ई-प्लेटफॉर्म तक पहुंच बनाने की भी इजाजत होगी और इस प्रकार उसका व्यापक प्रसार हो सकेगा।

ई-मंडी की अवधारणा की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई, क्योंकि देश की कृषि मंडियों को समान ई-प्लेटफॉर्म पर मिलाना मौजूदा कृषि विपणन व्यवस्था की चुनौतियों यथा- अलग-अलग एपीएमसी द्वारा प्रशासित विविध मंडी क्षेत्रों में राज्यों का बंटा होना, विविध मंडी शुल्कों की वसूली, अलग-अलग एपीएमसी में कारोबार करने के लिए विविध प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता, एकाधिकार जैसी स्थिति उत्पन्न करने वाली लाइसेंसिंग संबंधी बाधाएं, खराब ढांचागत सुविधाएं, प्रौद्योगिकी का कम इस्तेमाल, सूचना की असमानता, दाम का पता लगाने की अस्पष्ट प्रक्रिया, ऊंचा मंडी शुल्क, आवाजाही पर नियंत्रण आदि से निपटने में बहुत उपयोगी होगा। इसलिए किसानों को बेहतर दाम उपलब्ध कराने के लिए, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार लाने के लिए, बर्बादी में कमी लाने के लिए और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर एकीकृत राष्ट्रीय मंडी बनाने के लिए एक समान ई-प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महसूस की गई।

ई-मंडियों की स्थापना कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघों के जरिए समान इलैक्ट्रॉनिक-प्लेटफॉर्म बनाकर की जाएगी, जिसका इस्तेमाल देशभर की चुनिंदा विनियमित मंडियों में किया जाएगा। इस योजना के लिए वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। देशभर की कुल 585 चुनिंदा मंडियों को कवर किया जाएगा जिनमें से 250 मंडियां वर्ष 2015-16 में, 200 मंडियां 2017-18 और 135 मंडियां 2017-18 में कवर की जाएंगी। इनमें से कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा संघ शासित प्रदेशों और राज्यों को सॉटवेयर की निशुल्क आपूर्ति किया जाना शामिल होगा और भारत सरकार द्वारा प्रत्येक मंडी को बुनियादी सुविधाएं जुटाने के लिए 30 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

यह मॉडल कर्नाटक में संचालित किया गया था और इसने देश के लिए एक मिसाल कायम की। कर्नाटक ने अपनी सभी प्रमुख 55 मंडियों को साथ जोड़ा और एक पोर्टल बनाया। इस पोर्टल ने बिक्री के लिए उपलब्ध सभी उत्पादों की सूचियों को दर्ज किया। राज्य के 30,000 व्यापारियों में से प्रत्येक को यूज़र नेम और पासवर्ड दिए गए। इस प्रकार, बेंगलूरु में बैठा कोई व्यापारी, जान सकता था कि दूसरे जिलों में किसी उत्पाद के कितने बोरे उपलब्ध हैं। दूरी के आधार पर, जिसे तय करके ही व्यापारी को उत्पाद मंगवाना था, उसने उपलब्ध बोरों पर बोली लगाई। किसान ने देखा कि उसे सबसे ज्यादा दाम कौन दे रहा है, उसने उसी आधार पर फैसला किया। प्लेटफॉर्म द्विपक्षीय व्यापार और नियत दाम की भी इजाजत देता है, जैसे सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। अब तक कर्नाटक में ई-मंडी व्यवस्था ने पिछले 16 महीनों में गरी, तूर, धान, रागी, मूंगफली, तिल, मकई आदि जैसी वस्तुओं का कारोबार करके 8,521 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। हालांकि यह अवधारणा एक विकसित हो रही बाज़ार व्यवस्था के पक्ष में काम कर रही है, लेकिन इस बारे में किसानों को जागरूक बनाना राज्य का कर्तव्य होगा कि यह व्यवस्था और ई-प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर किस प्रकार प्रभावी रूप से काम करेगा।

प्रस्तुति: वाटिका चंद्रा, उपसंपादक (योजना, अंग्रेजी) ईमेल: vchandra.iis2014@gmail.com

योजना
आगामी अंक

अगस्त 2015

स्मार्ट सिटी: शहरी भारत की नयी तस्वीर

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की एक परिणाम केंद्रित मुख्य कौशल विकास योजना है। यह कौशल को प्रमाण और पुरस्कार देने की योजना है जिसके द्वारा भारतीय युवाओं को परिणाम केंद्रित कौशल प्रशिक्षण और उसके फलस्वरूप उन्हें रोजगार लायक बनाया जा सकेगा। योजना में भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण, आकलन और संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं के सर्टिफिकेशन के बाद डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार दिया जाएगा। इस योजना के द्वारा 24 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। सारे प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र उस हिसाब से दिए जाएंगे जो खास-खास क्षेत्रों में कौशल विकास को लेकर उन्मुख हो।

उद्देश्य:

➢ मौजूदा श्रम-बल की उत्पादकता बढ़ाना और देश की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षण और प्रमाणन देना। ➢ कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को तरह-तरह से प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय मदद देना। प्रमाणन प्रक्रिया का मानकीकरण करना और एक कौशल रजिस्ट्री के निर्माण की शुरुआत करना। ➢ कौशल प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को अधिकृत संस्थानों के द्वारा औसतन 8000 रुपये प्रति उम्मीदवार के हिसाब से पुरस्कृत करना

मुख्य विशेषताएं

➢ उन मानक के हिसाब से ही प्रशिक्षण दिया जाएगा (नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टेंडर्ड्स, एनओसी और योग्यता पैक, खास नौकरियों के लिए क्यूपी) जो उद्योग-जगत के द्वारा तैयार किया हो। ➢एनएसडीसी (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) के प्रशिक्षण पार्टनर को निबंधित होने से पहले खास शर्तों का पालन करना होगा। सरकार से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र और अन्य पार्टनर केंद्रों को एसएससी से मान्यता लेनी होगी जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों। ➢ प्रशिक्षण के उद्देश्य में नए पाठ्यक्रम, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास, साफ-सफाई के प्रति व्यावहारिक ज्ञान और अच्छी कार्य संस्कृति का ज्ञान देना भी शामिल है। ➢ पुरस्कार राशि: अलग-अलग नौकरी की भूमिका में मौद्रिक पुरस्कार स्तर के हिसाब से अलग-अलग होता है। विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन और प्लंबिंग सेक्टर में ज्यादा प्रोत्साहन की व्यवस्था। ➢ इसके ज्यादा से ज्यादा प्रसार और लोगों की भागीदारी के लिए स्थानीय, राज्य और जिला सरकारों के सहयोग और साथ ही सांसदों का सहयोग लिया जाएगा। ➢ कौशल प्रशिक्षण के आकलन के लिए तीसरी पार्टी से आकलन करवाया जाएगा जो कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर का होगा। जिन प्रशिक्षुओं को पहले से अनुभव होगा उन्हें उनकी क्षमता के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। यह उन लोगों के विकास में अहम योगदान देगा जिन्होंने अनौपचारिक क्षेत्र में कुछ कौशल का अर्जन किया है और उनके कौशल उन्नयन में भी मदद देगा। साथ ही यह मौजूदा श्रम-बल को फिर से प्रशिक्षित करने की दिशा में भी मदद देगा। इसका मुख्य ध्यान उस क्षेत्र पर होगा जहां इसकी सबसे ज्यादा मांग है।

लाभार्थियों के लिए योग्यता

ए) जो उम्मीदवार कौशल विकास करना चाहता है उसे एक सक्षम प्रशिक्षण प्रदाता से कौशल का ज्ञान हासिल करना चाहिए। बी) उसे उस योजना के शुरू होने के एक साल के भीतर आकलन करनेवाली एजेंसी से सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। सी) उस योजना के क्रियान्वयन के समय पहली बार और सिर्फ एक बार मौद्रिक पुरस्कार लेना चाहिए। डी) जिन प्रशिक्षुओं ने कामयाबीपूर्वक प्रशिक्षण लिया है और जो नौकरी की तलाश में हैं उस दरम्यान उनके लिए मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

नेशनल करियर सर्विस

सरकार ने एक नेशनल करियर सर्विस की शुरुआत की है ताकि युवाओं की आकांक्षाओं को अवसरों के साथ जोड़ा जा सके। साथ ही नौकरी के उम्मीदवारों के निबंधन, नियोक्ताओं, कौशल विकास करनेवालों और करियर काउंसलरों को भी एक मंच पर लाया जा सके। यह नौकरी दिलाने वाली सेवा बहुत सारी सेवाओं के बारे में सत्यापन करेगी जैसे कौशल विकास पाठ्यक्रम के बारे में सूचना, इंटर्नशिप और करियर काउंसलिंग आदि-आदि। यह पोर्टल जिन-जिन सेवाओं को प्रदान करेगी उसमें शामिल हैं:

✓ नौकरी संबंधी सेवाओं को हासिल करने के लिए ऑनलाइन निबंधन। आधार द्वारा सत्यापित डाटाबेस जो कहीं से भी देखा जा सकता है।
✓ संस्थानों का ऑनलाइन निबंधन जिसके साथ नौकरी के अवसर या उसकी सूचना भी होगी। ✓ क्लाउड तकनीक के आधार पर पूर्णत: कंप्यूटरीकृत इलेक्ट्रानिक सेवा ताकि काम स्वचालित तरीके से हो सके। ✓ करियर काउंसेलिंग, गाइडेंस, कौशल विकास पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप, एप्रेंटिसशिप योजना आदि के बारे में जानकारी के लिए ऑनलाइन सूचना तक पहुंच। ✓ बहु-प्रभावी माध्यमों जैसे सीएससी, कियोस्क आदि के द्वारा रोजगार से संबंधित सेवाओं को प्रदान करना। ✓ मूल्य संवर्धित सेवाओं जैसे अपडेट, सूचना आदि देना। इसके लिए एसएमएस, ईमेल और आईवीआर का प्रयोग करना। बहुभाषी कॉल सेंटर सेवा का प्रयोग करना ताकि उम्मीदवार संस्थानों के साथ अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकें। ✓ सारे रोजगार केंद्रों, जिलों, राज्यों और राज्य सरकार के रोजगार केंद्रों तक सूचना को साझा करना और सूचना हासिल करना, सूचना को समेकित करना। उसमें विनिर्माण और उद्योग संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, प्रशिक्षण प्रदाताओं और परीक्षा संस्थाओं को शामिल करना। ✓ स्मार्ट फोन, लैपटॉप और अन्य उपकरणों पर पोर्टल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

प्रकाशक व मुद्रक: डॉ. साधना राउत, अपर महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक: ऋतेश पाठक

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2015-17
Reg.No. D.L.-05/3231/2015-17 at RMS, Delhi
23 जुलाई, 2015 को प्रकाशित • 29-30 जुलाई, 2015 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2015-17
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

एक सम्पूर्ण वार्षिक संदर्भ ग्रंथ के साथ

प्रतियोगिता परीक्षाओं में

सफलता

मूल्य ₹ 320/-

समसामयिक ताजा घटनाओं का विश्लेषण, खेल समाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग व्यापार, विशिष्ट व्यक्तियों, पुरस्कारों एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर उपयोगी सामग्री

कोड 862

ताजा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवेचन

English Edition Code No. 800 • ₹ 265.00

नवीन आँकड़ों एवं तथ्यों सहित

अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें।

प्रतियोगिता दर्पण || 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 66753330 • पटना 2673340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 7060421008